(ब) असंगठित क्षेत्र में कार्यरत अभ्यर्थी/मजदूर जो कौशल उन्नयन बढ़ाना चाहते हों।

04 अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होगी अथवा पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी मान्य होगी।

05 अभ्यर्थियों की आयु सीमा 16 वर्ष से 35 वर्ष अथवा पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार निर्धारित आयु सीमा मान्य होगी।

06 अभ्यर्थी के माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय भारत सरकार द्वारा निर्धारित अल्पसंख्यक प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित आय सीमा के अनुसार हो।

07 इस योजना के तहत किसी अभ्यर्थी विशेष द्वारा कोचिंग/प्रशिक्षण का लाभ केवल एक बार ही लिया जा सकेगा।

08 योजना मैं प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को पात्रतानुसार विभाग की छात्रगृह सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।

प्रशिक्षण हेतु नोडल एजेंसी – यह योजना मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित होगी। उक्त निगम इस योजना की नोडल एजेन्सी होगी।

प्रशिक्षण के विषय – निःशुल्क प्रशिक्षण के अंतर्गत ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्मिलित किए जाएँगें जिससे रोजगार प्राप्ति की प्रबल संभावना होत तथा बैंकिंग/बीमा/रेल्वे, राज्य लोक सेवा आयोग आदि की प्रवेश परीक्षाएं, आई.टी.एवं कम्प्यूटर से संबंधित विषय, बी.पी.ओ. कॉल सेन्टर, हॉस्पिटिलिटी, टूर्स एण्ड ट्रेवल्स, रिटेल सेल एवं मार्केटिंग, एयर होस्टेज, सिक्युरिटी फोर्सेस, एन.सी.वी.टी. एवं एम.ई.एस. स्कीम अंतर्गत स्वीकृत विविध रोजगारन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा अन्य ऐसे सामयिक प्रशिक्षण जिनसे प्रशिक्षण उपरान्त निकट भविष्य में रोजगार उपलब्ध होने की संभावना हो।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना

प्रदेश के अल्पसंख्य वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार के रूप में कृषि क्षेत्र जैसे डेयरी, मुर्गी, पालन, बकरी पालन, परिवहन क्षेत्र में आटो रिक्शा, टैक्सी, बस बस, छोटे व्यवसाय जैसे दुकान, फर्नीचर निर्माण, रेडीमेट गारमेण्ट, बेकरी इत्यादि, तकनीकी व्यवसाय में कम्प्यूटर इन्टरनेट, फोटोकापी तथा पिछड़े वर्ग के परम्परागत व्यवसाय एवं तकनीकी कौशल को अपग्रेड कर उसका उपयोग स्वरोजगार के क्षेत्र में करने के लिए बैंकों के माध्यम से संचालित करने हेतु ''मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक स्वरोजगार'' योजना वर्ष 2011–12 से लागू की गई है।

ग्रामोद्योग एवं वन विभाग–

लोक वानिकी के माध्यम से ग्रामीणों और पंचायतों की आय

उद्देश्य – निजी तथा राजस्व भूमि पर खड़े वनों तथा पड़ती भूमि की उत्पादकता बढ़ाकर भूमि स्वामियों और पंचायतों को नियमित आय सुनिश्चित करवाना।

पात्र हितग्राही –

1. निजी भूमि पर खड़े वनो/वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों, पड़ती भूमि का वैज्ञानिक प्रबंधन करने के इच्छुक भूमि स्वामी।
2. जिन पंचायतों के क्षेत्र में राजस्व विभाग के बड़े झाड़–छोटे झाड़ के जंगल/पड़ती जमीन हो और उस पर वानिकी विकास करने की इच्छुक ग्राम पंचायतें।

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया– योजना का क्रियान्वयन वन विभाग और राजस्व विभाग के सहयोग से किया जाता है। वन विभाग क्रियान्वयन में नोडल भूमिका निभाता है।

संपर्क – वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) से संपर्क किया जा सकता है।

ग्रामीणों को निरस्तार सुविधाएं

उद्देश्य – प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय वनों से निस्तार सुविधाएं उपलब्ध करवाना।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र –

1 निस्तार नीति में रियासत की सुविधा वनों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि के ग्रामों की होती है। इन ग्रामों को उपलब्धता के आधारपर वनोपज का प्रदाय वन समितियों के माध्यम से किया जाता है। जिन ग्रामों में वन समिति गठित नहीं है, वहां विभागीय निस्तार डिपो से वनोपज का प्रदाय किया जाता है।

2 वन सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों को उपलब्धता के आधार पर पूर्ण बाजार मूल्य पर ग्राम पंचायत के माध्यम से वनोपज उपलब्ध करवायी जाती है।

3 नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र के निवासी स्थानीय बाजार से वनोपज प्राप्त कर सकते है।

4 स्वयं के उपयोग अथवा बिक्री के लिये सिरबोझ द्वारा उपलब्धता के अनुसार गिरी, पड़ी, और सुखी लकड़ी लाने की सुविधा है।

विस्तार व्यवस्था के अंतर्गत उपलब्धतानुसार बसोड़ परिवार को एक वर्ष में अधिकतम 1500 बांस प्रदाय किये जाने की प्रावधान है।

वन्य–प्राणियों द्वारा जन हानि करने पर क्षतिपूर्ति

उद्देश्य– वन्य जीवों द्वारा हमला पर सहायता।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र तथा क्रियान्वयन– योजना में वन्यप्राणियों के हमले से किसी व्यक्ति के घायल या मृत होने पर आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है। प्रभावित घायल या मृत व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधि सक्षम शासकीय चिकित्सक के प्रमाण–पत्र के आधार पर निम्नानुसार क्षतिपूर्ति पा सकते है –

1 मृत्यु हो जाने पर 1 लाख 50 हजार रूपये तथा इलाज पर हुआ व्यय।

2 घायल होने पर 30,000 रूपये (अधिकतम)।

3 स्थायी रूप से अपंग होने पर 1 लाख रूपये एवं इलाज पर हुआ व्यय।

4 घायल होने पर तात्कालिक सहायता 1000 रूपये तथा मृत्यु होने पर 5000 रूपये तात्कालिक आर्थिक सहायता परिवारजनों को देने का प्रावधान है, जो कुल क्षतिपूर्ति में समायोजित की जायेगी। योजना संपूर्ण प्रदेश में लागू है।

विशेष – सादे आवेदन में घटना की लिखित जानकारी तत्काल समीपस्थ वन अधिकारी को देना अनिवार्य है।

वन्य–प्राणियों द्वारा निजी मवेशी/पशुओं को मारे जाने पर हमला

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र– वन्य प्राणियों द्वारा घरेलू निजी पशुओं को मारे जाने पर पशु मालिको को प्रति मवेशी आर्थिक सहायता राजस्व पुस्तक परिपत्र के आधार पर उपलब्ध करवायी जाती है। योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश में लागू है।

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया– सहायता पाने के लिए यह आवश्यक है कि –

(i) निजी पशु मारे जाने पर सूचना समीप के वन अधिकारी को घटना के 48 घंटे के अंदर दी गई हो।

(ii) मारे गये मवेशी/पशु को मारे गये स्थान से नहीं हटाया गया हो।

(iii) मवेशी के मारे जाने की घटना का सत्यापन, वन विभाग के अधिकारी, जो कम से कम वन परिक्षेत्राधिकारी के पद का हो, द्वारा किया गया हो।

संपर्क – प्रकरण की सूचना मालिक द्वारा लिखित/मौखिक रूप में निकटतम वन अधिकारी को दी जाना चाहिए।

तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना

उद्देश्य– तेंदूपत्ता संग्राहकों की मृत्यु होने की स्थिति में आश्रितो/परिवारजनों को आर्थिक सहायता के रूप में।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र– नामांकिता व्यक्ति को 3500 रूपये प्रदाय किये जाते है। दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की स्थिति में 25 हजार रूपये उत्तराधिकारियों को प्राप्त होता है। यदि कोई संग्राहक दुर्घटना के कारण आंशिक

रूप से विकलांग हो जाता है, तो उस स्थिति में 12,500 रूपये और पूर्ण विकलांग होने पर उसे या उसके उत्तराधिकारी को 25 हजार रूपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना संपूर्ण प्रदेश में लागू है। मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहकों का बीमा कराया जाता है।

संयुक्त वन प्रबंध एवं वन विकास अभिकरण

संयुक्त वन प्रबंध समितियों को लाभांश वितरण :

मध्यप्रदेश वन विभाग के अंतर्गत वर्तमान में 15,228 संयुक्त वन प्रबंध समितियां गठित होकर कार्यरत है। इन समितियों के माध्यम से कुल 66,874 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की सुरक्षा एवं विकास के कार्य कराये जा रहे है। प्रदेश के वनों में रहने वाले निवासियों को वनोपज का पहला अधिकार इन्हीं समितियों का मानते हुए शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष काष्ठ एवं बांस के लाभांश का वितरण किया जाता है। इसके अंतर्गत इमारती लकड़ी के शुद्ध आय का 10 प्रतिशत राशि वन समिति सदस्यों को वितरित करने का प्रावधान है। बांस के लाभ की शत–प्रतिशत राशि कटाई में संलग्न श्रमिकों को वितरण की व्यवस्था है।[13]

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. आगे आये लाभ उठाये 2009, प्रकाशक आयुक्त जनसंपर्क, टेगोर मार्ग, भोपाल, पृष्ठ सं. 26
2. मध्यप्रदेश संदर्भ 2012, आयुक्त जनसंपर्क भवन, टेगोर मार्ग, भोपाल, पृष्ठ सं. 273
3. मध्यप्रदेश संदेश अंक 11, वर्ष 110, नवम्बर 2014 प्रकाशन जनसंपर्क, भवन बाणगंगा भोपाल
4. मध्यप्रदेश शासन दैनंदिनी म.प्र. शासन, भोपाल, पृष्ठ सं. 62
5. सहायक आयुक्त कार्यालय : जिला संयोजक, भोपाल, पृष्ठ सं. 13
6. मध्यप्रदेश संदेश 2008, अंक 3, पृष्ठ सं. 41
7. आगे आये लाभ उठाये 2009, पृष्ठ सं. 78
8. आगे आये लाभ उठाये 2011, पृष्ठ सं. 64
9. आगे आये लाभ उठाये 2012, पृष्ठ सं. 51
10. वर्मा राम स्वरूप, अछुतों की समस्या और समाधान
11. आँकड़े मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग, भोपाल मध्यप्रदेश, 2009
12. आँकड़े मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग, भोपाल मध्यप्रदेश, 2013
13. मुख्यमंत्री की अभिनव योजनाएँ 2013 जनसंपर्क कार्यालय, भोपाल, पृष्ठ सं. 51

पंचम् अध्याय

विद्यानसभा निर्वाचन एवं भाजपा सरकार

1. निर्वाचन के प्रमुख मुद्दे –

भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में सत्तारूढ़ केन्द्रीय सरकार के विरूद्ध भ्रष्टाचार को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया तथा भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस सरकार जनता की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम नहीं रहीं इस अवधि में प्रदेश में गरीबी, मंहगाई जैसी समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। भाजपा ने कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों का प्रबल विरोध किया है, तथा शासन एवं प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को जनता के समक्ष उजागर किया। अपने चुनावी प्रचार में राम राज्य अभियान किया। बेरोजगारी के खिलाफ युवकों की रेली, मंहगाई के विरूद्ध मोर्चे आदि शामिल है।

इस तरह मध्यप्रदेश में राजनीतिक परिवर्तन लाने एवं आकांक्षाओं को पूर्ण करने तथा सक्षम प्रशासन देने वाली भाजपा सरकार का संकल्प भाजपा के उपरोक्त कार्यकाल के साथ सम्बन्धित है।

मध्यप्रदेश राजनीति में भारतीय जनता पार्टी –

मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आरंभ से ही सशक्त राजनीति दल के रूप में कार्यरत है। प्रदेश के कई भागों में विशेष रूप से मध्यभारत और उत्तरी मध्यप्रदेश में जनसंघ के व्यापक प्रभाव से भाजपा को प्रदेश राजनीति में अपना आधार और विस्तार स्थापित करने में अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। प्रदेश में यह एक सुसंगठित दल के रूप में अपनी पहचान रखती है। प्रदेश की चुनौती राजनीति में इस दल ने न केवल अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, अपितु स्थानीय मुद्दों और राजनीतिक समस्याओं पर भी ध्यान केन्द्रित किया है। इन सबके फलस्वरूप यह दल आज मध्यप्रदेश में द्विदलीय व्यवस्था का प्रमुख

आधार स्तम्भ बन गया है, जिसने विरोधी दल और सत्तारूढ़ दल दोनों रूपों में कार्य किया है।[1]

संगठन एवं नेतृत्व –

मध्यप्रदेश में भाजपा का सुदृढ़ व्यापक एवं अनुशासित संगठन है। संगठन के प्रति दो वर्ष में चुनाव होते है संगठन के पदों पर कोई दो बार से अधिक बार निर्वाचित नहीं हो सकता अर्थात कोई व्यक्ति लगातार चार वर्ष से अधिक समय तक संगठन का पदाधिकारी नहीं रह सकता है। इस प्रक्रिया में दल में व्यक्तिकरण से मुक्ति मिलती है। संगठनात्मक निर्वाचन राज्य जिला, तहसील एवं मंडल स्तर पर सम्पन्न होते है। प्रत्येक स्तर पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, कोषाध्यक्ष एवं कार्यकारणीयाँ शामिल की जाती है।

प्रदेश स्तर पर दल को कई कुशल एवं लोकप्रिय नेताओं से नेतृत्व प्राप्त हो रहा है। इनमें श्री शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल गौर, विजयाराजे सिंधिया, कुशभाऊ ठाकरे, कैलाश जोशी, सुन्दरलाल पटवा, लखीराम अग्रवाल, प्यारेलाल खण्डेलवाल, कैलाश सारंग, श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डे एवं आरिफ बेग, भेरूलाल पाटीदार आदि।

चुनाव प्रचार –

विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनीतिक दल अपनी–अपनी रणनीति बनाते हैं। जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए बड़े–बड़े होर्डिंग्स, समाचार पत्रों में विज्ञापन में प्रचार सामग्री छपवाकर राजनीतिक दल प्रचार के माध्यम से पूरी कोशिश करते हैं। हर राजनीतिक दल की रणनीति बनाने के लिए 5 से 10 आदमियों की कमेटियां होती हैं जो यह विकसीत करती हैं, कि किस मुद्दे को उठाना है, उसकी रणनीति तैयार की जाती है।[2]

बीजेपी ने 71 फीसदी सीटं जीतीं और वोट बढ़ाए –

पार्टी	2013		2008		वोट : में बदलाव
	सीट	वोट :	सीट	वोट :	
बीजेपी	165	45	143	38	7
कांग्रेस	58	36	71	32	4
अन्य	7	19	16	30	.11

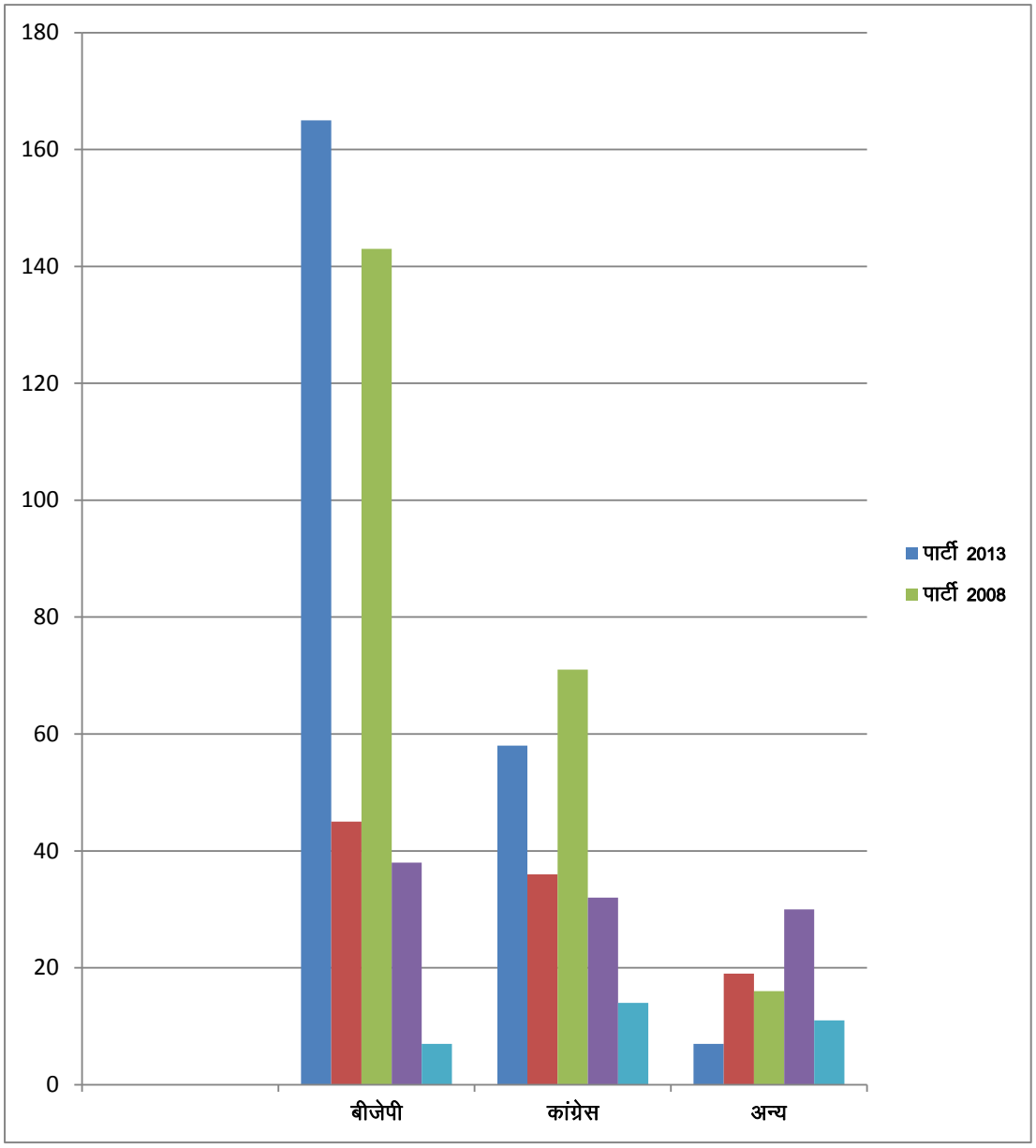

कांग्रेस की इस तरह की रणनीतिक गलतियां तो अपनी जगह थीं, लेकिन इससे कहीं बड़ा कारण शिवराज सिंह की वह लोकप्रियता रही जो उन्होंने दिग्विजय सिंह के 10 साल के राज के बाद बिल्कुल पैदल हो चुके मध्यप्रदेश में मामूली काम करके अर्जित कर ली।

कांग्रेस विकास न होने की लड़ाई आंकड़ों में लड़ रही थी, उसका आधार भी कमजोर रहा। केंन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के 2012–13 के अनंतिम आंकड़ों के मुताबिक 10.02 फीसदी के साथ मध्य प्रदेश जीडीपी ग्रोथ (सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि) के मामले में भारत के प्रमुख राज्यों में रहा। सरकार के पिछले 10 साल के आंकड़े बताते हैं, कि राज्य में सड़कों का जाल 44,787 किलोमीटर से बढ़कर 90,000 किलोमीटर तक फैल गया है। वहीं सिंचित क्षेत्र तीन गुना बढ़कर 7.5 लाख हेक्टेयर से 25 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया है। बिजली उत्पादन क्षमता 4,673 मेगावाट से बढ़कर 10,621 मेगावाट हो गई है। गेहूं का उत्पादन 49.23 लाख मिलियन टन से बढ़कर 127 लाख मिलियन टन पहुंच गया है। इसके अलावा ग्रामीण महिलाओं को ध्यान में रखकर लाडली लक्ष्मी और गांव की बेटी जैसी योजनाएं शुरू की गईं। शिवराज सिंह चौहान के लोकसेवा गारंटी कानून (2010) ने दुनिया भर का ध्यान इसकी ओर खींचा। सिटीजन चार्टर के मुताबिक अगर अधिकारी तय समय अवधि के भीतर राशन कार्ड, पानी का कनेक्शन, जन्म और विवाह प्रमाण पत्र जैसी आधारभूत सेवाएं देने में नाकाम रहते हैं तो उनसे आर्थिक दंड दिया जाएगा।[3]

शिवराज सिंह चौहान की सबसे बड़ी चिंता अफसरशाही, भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही उनकी लड़ाई और कई मानव सूचकांक संकेतकों पर राज्य के प्रदर्शन को सुधारना होगी। उदाहरण के लिए राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सिर्फ 60 फीसदी है, यहां शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 जन्म में से 59 है, जबकि राष्ट्रीय औसत इससे काफी कम 44 का है। सरकार से उम्मीद है, कि वह उद्योगीकरण को प्राथमिकता देगी और 67 फीसदी कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था में

किसानों की स्थिति सुधारने पर फोकस करेगी। शिवराज सिंह चौहान की सबसे बड़ी खूबी यह रही है, कि उन्होंने हर व्यक्ति के करीब रहते हुए कैसे पार्टी के अलग–अलग गुटों और आरएसएस के बीच दक्षता के साथ तालमेल बनाए रखा। साथ ही उन्होंने सफलतापूर्वक संयत और मेहनती नेता की अपनी छवि प्रस्तुत की।

अगर बीजेपी के स्टार मुख्यमंत्रियों की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान की हालिया जीत ने उन्हें मजबूती के साथ मोदी के बाद दूसरे नंबर पर ला खड़ा किया है। चौहान भी अपनी जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। चुनाव जीतने के तुरंत बाद उन्होंने कहा, कि लोकसभा चुनाव 2014 में मध्यप्रदेश अनुपातिक रूप से बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें जीताने वाला राज्य साबित होगा। अनुपातिक शब्द को स्पष्ट करते हुए शिवराज ने कहा, कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी तो हैं, जहां से 80 सीटें आती हैं। अब वे पांच और साल के लिए राज्य की कमान संभालने को तैयार हैं और बीजेपी की पहली पंक्ति के नेताओं में अपनी जगह बना चुके हैं।[4]

गठबंधन –

मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव में अनेक गठबंधन होते हैं जैसे देश की राजनीति में चुनाव के समय गठबंधन होते हैं। वर्तमान में राजनीतिक दलों का दो गठबंधन केन्द्र में है, यूपीए व एनडीए। इन ग्रुपों में अनेक राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने मिलकर गठबंधन किया है। पूर्व में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने उस समय क्षेत्रीय राजनीतिक दल मिलकर एनडीए बनाया गया था। जिसमें भाजपा सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी। उसके बाद विगत दस सालों से यूपीए गठबंधन केन्द्र में सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है। यूपीए की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी हैं। राजनीतिक दल जब अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना सकते तब वह अन्य राजनीतिक दल को अपने साथ मिलाकर गठबंधन तैयार करते हैं और उसी के अनुसार सरकार चलाते हैं। उक्त गठबंधन केंद्र की राजनीति के लिए होता है। प्रदेश की राजनीति के लिए उक्त राजनीतिक दल गठबंधन के लिए स्वतंत्र रहते हैं। अनेक प्रदेशों में राजनीतिक दल गठबंधन कर

विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, किन्तु मध्यप्रदेश में मुख्य राजनीतिक दल कांग्रेस व भाजपा हैं। अन्य राजनीतिक दलों का ज्यादा प्रभाव मध्यप्रदेश में नहीं है। इसलिए मध्यप्रदेश में गठबंधन के माध्यम से चुनाव नहीं के बराबर लड़े जाते हैं। प्रदेश में चुनाव परिणाम आने के बाद जिस दल के सबसे ज्यादा विधायक होते हैं या स्पष्ट बहुमत मिलता है, तो वह राजनीतिक दल सरकार बना लेता है। अगर विधायक बहुमत से कम होते हैं तो निर्दलीय विधायक को अपनी और खींचने का प्रयास करते हैं या अन्य राजनीतिक दलों के विजयी उम्मीदवारों को अपने साथ मिलकर गठबंधन की कोशिश करते हैं। इसके लिए निर्वाचित विधायकों को मंत्रिमण्डल में पद दिलाने का आश्वासन दिया जाता है। प्रत्येक राजनीतिक दल अपने–अपने प्रत्याशियों को जीताने के लिए संगठन के माध्यम से प्रदेश से लेकर जिला शहर तहसील ब्लॉक गांव पोलिंग बुथ यहां तक कि मतदान केन्द्र तक सक्रिय रहते हैं। चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दल पोलिंग बुथ वार्ड मोहल्ला गांव नगर एवं प्रत्येक क्षेत्र से कमेटियां बनाई जाती हैं। जिसका कार्य पोलिंग बुथ के मतदाता को अपनी प्रत्याशी की जानकारी या चुनाव चिन्ह पहुंचाने का उद्देश्य रहता है ताकि प्रत्येक मतदाता तक कमेटियों के माध्यक से प्रचार करते हैं। इन कमेटियों का कार्य मतदाता को पोलिंग बुथ तक मतदान के लिए पहुंचाना इन कमेटियों के माध्यम से मतदाताओं को चुनाव सामग्री नकली मतपत्र वोटर लिस्ट मतदान पर्ची आदि मतदाता तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है।

2. घोषणा –पत्र कांग्रेस बनाम भाजपा –

2008 विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। सभी पार्टियों ने अपने–अपने घोषणा–पत्र जारी किए थे। कांग्रेस तथा भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र के मुख्य बिन्दु निम्न हैं–

कांग्रेस के विधानसभा चुनाव के लिए जारी किए गए अपने घोषणा–पत्र में कांग्रेस ने अड़तालिस 48 बिंदुओं वाला घोषणा पत्र जारी किया है–

1. किसानों को ब्याज मुक्त कृषि उत्पादन ऋण।
2. किसानों के सभी विवादित बिजली बिल माफ किए जाएंगे।
3. किसानों को 05 हॉर्सपॉवर तक बिजली मुफ्त।
4. फसल के मौसम के दौरान थ्री फेस पर पर्याप्त बिजली।
5. भाजपा शासन के किसानों के बिजली संबंधी प्रकरण वापस होंगे।
6. अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यकों सहित सामान्य वर्ग के गरीबों को निःशुल्क एक बत्ती कनेक्शन।
7. गरीबों की सूची की जांच व पुनः सर्वे।
8. गरीबों को दो रूपए प्रतिकिलो व अतिगरीबों को एक रूपये प्रतिकिलो गेहूं।
9. गरीबों को कैरोसीन पर 2 रूपये प्रति लीटर सब्सिडी।
10. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकान से बी.पी.एल. कार्डधारियों को 35 रूपये किलो राशन प्रतिमाह।
11. बी.पी.एल. के महिला पुरूषों की साड़ी व धोती निःशुल्क।
12. गरीबों को मुफ्त नमक, बेरोजगारों को भत्ता।
13. इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ आयोग की स्थापना।
14. नए जिलों की मांग के चलते जिला पुर्नगठन आयोग बनेगा।
15. युवाओं के विकास हेतु नई युवा नीति।
16. वृद्ध, विधवा, निराश्रित, विकलांग, पेंशन की राशि 500 रूपये प्रतिमाह।
17. उद्योगों व नीजि क्षेत्रों में प्राथमिकता पर स्थानीय लोगों को रोजगार।
18. बालिका समृद्धि की नई योजनाओं के तहत वयस्क होने पर बालिका को दो लाख रूपये।
19. ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले छात्रों को तकनीकी व चिकित्सा शिक्षा में सहकारी बैंक से तीन फीसदी ब्याज पर ऋण।
20. युवाओं के लिए जिलों में रोजगार कॉल सेंटर।
21. आई.आई.टी. के तीन नए संस्थान व साफ्टवेयर इंडस्ट्री को बढ़ावा।
22. नौजवानों को व्यवसाय के लिए कम ब्याज पर दीर्घ अवधि ऋण।

23. गरीब अनुसूचित जाति व जनजाति के भूमिहीन किसानों को कृषि भूमि खरीदने के लिए वित्तीय सहायता।
24. बी.पी.एल.कार्डधारियों को सरकारी अस्पतालों में गम्भीर बीमारियों के निःशुल्क ईलाज हेतु राजीव गांधी आरोग्य श्रीजीवन बीमा योजना प्रीमियम राज्य सरकार देगी।
25. छठा वेतनमान जस का तस लागू।

कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के लिए जारी किए गए घोषणा पत्र में सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने का वादा किया। इस पत्र में कर्मचारियों को छठा वेतन आयोग का लाभ जस का तस दिया जाएगा एवं पांचवे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर किया जाएगा।[5]

भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र के मुख्य बिन्दू निम्न हैं–

1. प्रदेश के सभी गांवों एवं नगरों के हर घर को 24 घण्टे बिजली देने का वादा।
2. राज्य में जैविक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
3. राज्य को प्रथम जैविक प्रदेश बनाने का संकल्प जताते हुए खेती को फायदे का धंधा बनाने का संकल्प लिया।
4. किसानों को 5 से घटाकर 3 प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण और बिजली हॉर्सपॉवर के मान से फ्लेट रेट पर दी जाएगी।
5. मंडियों में आने वाले किसानों को 5 रूपये थाली भोजन देने का वादा।
6. अतिगरीबों को 2 रूपये किलो गेहूं और 25 पैसे प्रति किलो धान देने का वादा।

विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस के घोषणा पत्रों में ज्यादातर हर बार वही पुराने मुद्दे सामने आते रहे हैं। कांग्रेस एवं भाजपा के प्रमुख नेताओं द्वारा खुली बगावत और भाजपा पार्टी की सतत् सक्रियता से जिले में चुनावी संघर्ष तीखा, रोमांचकारी और जिज्ञासा से ओतप्रोत हो गया।

3. मुख्यमंत्री–स्वतंत्र योजना कारक –

जीवन परिचय –

शिवराज सिंह चौहान का जन्म 5 मार्च 1959 को हुआ। उनके पिता का नाम श्री प्रेमसिंह चौहान और माता श्रीमती सुंदरबाई चौहान हैं। उन्होंने भोपाल के बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर (दर्शनशास्त्र) तक स्वर्ण पदक के साथ शिक्षा प्राप्त की। सन् 1975 में मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रसंघ अध्यक्ष रहे आपात काल का विरोध किया और 1976–77 में भोपाल जेल में रहे। अनेक जन समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन किए और कई बार जेल गए। सन् 1977 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। वर्ष 1992 में उनका श्रीमती साधना सिंह के साथ विवाह हुआ। उनके दो पुत्र हैं। जबकि आपने आजीवन कुवाँरे रहने की प्रतिज्ञा ली थी।

राजनीतिक करियर –

सन् 1977–78 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री बने। सन् 1975 से 1980 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मध्य प्रदेश के संयुक्त मंत्री रहे। सन् 1980 से 1982 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश महासचिव, 1982–1983 में परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारणी के सदस्य, 1984–85 में भारतीय जनता युवा मोर्चा, मध्य प्रदेश के संयुक्त सचिव, 1985 से 1988 तक महासचिव तथा 1988 से 1991 तक युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे।

जनप्रतिनिधि के रूप –

श्री चौहान 1990 में पहली बार बुधनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। इसके बाद 1991 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से पहली बार सांसद बने। श्री चौहान 1991–92 मे अखिल भारतीय केशरिया वाहिनी के संयोजक तथा 1992 में अखिल भारतीय जनता युवा मोर्चा के महासचिव बने। सन् 1992 से 1994 तक भारतीय

जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव नियुक्त। सन् 1992 से 1996 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, 1993 से 1996 तक श्रम और कल्याण समिति तथा 1994 से 1996 तक हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य रहे।

श्री चौहान 11 वीं लोक सभा में वर्ष 1996 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से पुनः सांसद चुने गये। सांसद के रूप में 1996–97 में नगरीय एवं ग्रामीण विकास समिति, मानव संसाधन विकास विभाग की परामर्शदात्री समिति तथा नगरीय एवं ग्रामीण विकास समिति के सदस्य रहे। श्री चौहान वर्ष 1998 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से ही तीसरी बार 12 वीं लोक सभा के लिए सांसद चुने गये। वह 1998–99 में प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे। श्री चौहान वर्ष 1999 में विदिशा से मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए।

श्री चौहान वर्ष 2005 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किये गये। श्री चौहान को 29 नवम्बर 2005 को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। प्रदेश की तेरहवीं विधानसभा के निर्वाचन में श्री चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक की भूमिका का बखूबी निर्वहन कर विजयश्री प्राप्त की। श्री चौहान को 10 दिसम्बर 2008 को भारतीय जनता पार्टी के 143 सदस्यीय विधायक दल ने सर्वसम्मति से नेता चुना। श्री चौहान ने 12 दिसम्बर 2008 को भोपाल के जंबूरी मैदान में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की।

चौथी बार 13 वीं लोक सभा के लिये सांसद निर्वाचित हुए। वे 1999–2000 में कृषि समिति के सदस्य तथा वर्ष 1999–2001 में सार्वजनिक उपक्रम समिति के सदस्य रहे।

सन् 2000 से 2003 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इस दौरान वे सदन समिति (लोक सभा) के अध्यक्ष तथा भाजपा के राष्ट्रीय सचिव रहे। श्री चौहान 2000 से 2004 तक संचार मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। श्री शिवराज सिंह चौहान पाँचवी बार विदिशा से 14 वीं लोक सभा के

सदस्य निर्वाचित हुये। वह वर्ष 2004 में कृषि समिति, लाभ के पदों के विषय में गठित संयुक्त समिति के सदस्य, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, भाजपा संसदीय बोर्ड के सचिव, केन्द्रीय चुनाव समिति के सचिव तथा नैतिकता विषय पर गठित समिति के सदस्य और लोकसभा की आवास समिति के अध्यक्ष रहे।भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में सत्तारूढ़ केन्द्रीय सरकार के विरूद्ध भ्रष्टाचार को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया तथा भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि कांग्रेस सरकार जनता की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम नहीं रहीं इस अवधि में प्रदेश में गरीबी, मंहगाई जैसी समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। भाजपा ने कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों का प्रबल विरोध किया है, तथा शासन एवं प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को जनता के समक्ष उजागर किया। अपने चुनावी प्रचार में राम राज्य अभियान किया। बैरोजगारी के खिलाफ युवकों की रेली, मंहगाई के विरूद्ध मोर्चे आदि शामिल है।

इस तरह मध्यप्रदेश में राजनीतिक परिवर्तन लाने एवं आकांक्षाओं को पूर्ण करने तथा सक्षम प्रशासन देने वाली सरकार का संकल्प भाजपा के उपरोक्त कार्यकाल के साथ सम्बन्धित है। जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की (नेतृत्व) महत्वपूर्ण भूमिका रही।

''मध्यप्रदेश विधान सभा के मई, 2010 सत्र में श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, द्वारा दिनांक 11 मई, 2010 को स्वर्णिम मध्यप्रदेश के निर्माण संबंधी कुछ संकल्प मध्यप्रदेश विधान सभा में किए गए।''

राज्य का ऐसा सर्वांगीण एवं समावेशी विकास हो, जिससे प्रदेश वासियों का जीवन उत्तरोत्तर समृद्ध एवं खुशहाल बने तथा उन्हें अपनी क्षमताओं के अनुरूप सर्वश्रेष्ठ कार्य करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने का अवसर मिल सके। हम प्रदेश में खेती को लाभ का धंधा बनाने; मूलभूत सेवाओं के विस्तार के साथ अधोसंरचना का निरंतर सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए; निवेश का अनुकूल वातावरण निर्मित करना, सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ व्यवस्था उपलब्ध

करायी जाएगी। महिलाओं, अनुसूचित जाति, में सक्रिय भागीदारी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सामान्य निर्धन वर्ग को सशक्त कर उनकी विकास में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, सुदृढ़ सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाये रखेंगे तथा राज्य व्यवस्था का सुव्यस्थित किया जाएगा।

1. प्रदेश की विकास दर को 9 से 10 प्रतिशत तक रखे जाने का प्रयास किया जाये।
2. 24 घंटे सिंगल फेस विद्युत प्रदाय तथा कृषि कार्यों के लिए 8 घंटे बिजली प्रदाय हेतु फीडर विभक्तीकरण सहित आवश्यक अधोःसंरचना निर्मित की जाये।
3. बिजली की व्यवस्था तथा गुणवत्ता में सुधार एवं बिजली की दरों में कमी करने के उद्देश्य से समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में वर्ष 2013 तक 9 प्रतिशत की कमी लायी जाये।
4. प्रदेश में बिजली आपूर्ति की स्थिति में सुधार के लिए वर्ष 2013 तक वर्तमान में स्थापित कुल क्षमता में न्यूनतम 5000 मेगावट की वृद्धि की जाए।
5. गैर अपरम्परागत ऊर्जा के उत्पादन, उपकरणों एवं ऊर्जा संरक्षण के उपायों के प्रोत्साहन के लिए अनुदान की व्यवस्था की जाये।
6. प्रदेश के संभागीय मुख्यालयों को 4 लेन एवं जिला मुख्यालयों को 2 लेन सड़कों से जोड़ा जाये, सभी ग्रामों को बारहमासी संपर्क सड़कों से जोड़ा जाये।
7. चिन्हित राजमार्गों के समुचित संधारण के लिए स्टेट हाईवे फण्ड का निर्माण किया जाये।
8. शासकीय भवनों के निर्माण के लिए परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों का गठन किया जाये।
9. सुनियोजित विकास के लिए सभी शहरों के सिटी डेवलपमेंट प्लॉन तैयार कराये जायें।
10. नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए अधोःसंरचना बोर्ड का गठन किया जाये।

11. सभी नगरीय निकायों को फायर ब्रिगेड की सुविधा उपलब्ध कराई जाये।
12. इन्दौर एवं भोपाल में मैट्रो ट्रेन फिजिबिलटी सर्वे कराया जाये।
13. ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री पेयजल योजना प्रारम्भ की जाए।
14. प्रत्येक ग्राम का मास्टर प्लॉन बनाया जाये।
15. आगामी 3 वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण किया जाए।
16. आगामी 4 वर्षों में सिंचाई की स्थापित क्षमता में 7.50 लाख हेक्टेयर की वृद्धि की जाए।
17. सिंचाई की स्थापित क्षमता के समुचित उपयोग के लिए कमाण्ड एरिया डेवलपमेण्ट प्रोग्राम सहित सभी कारगर उपाय किये जाए।
18. वैज्ञानिक आधारों पर जल के युक्तियुक्त दोहन की योजना बनायी जाए।
19. वैज्ञानिक कृषि के लिए मृदा स्वास्थ पत्रक (हेल्थ कार्ड) तैयार किये जायें।
20. किसानों को देय अनुदान की राशि सीधे उनके खातों में जमा की जाये।
21. उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल में आगामी 3 वर्षों में 5 लाख हेक्टेयर की वृद्धि की जाए।
22. भण्डारगृह क्षमता तथा सुदृढ़ विपणन व्यवस्था के साथ प्रदेश को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित किया जाये।
23. प्रदेश की विपणन सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए।
24. प्रदेश के सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाए।
25. चिन्हित विकास खण्डों में चलित पशु चिकित्सालय चलाये जाये।
26. दुग्ध क्रांति लाने के उद्देश्य से दुग्ध समितियों के गठन के साथ नये मिल्क रूट विकसित किए जाए।
27. किसान क्रेडिट कार्ड के अनुरूप फिशरमेन क्रेडिट कार्ड पर 3 प्रतिशत ब्याज दर पर कार्यशील पूंजी हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाये।

28. मछुआरों की मजदूरी दरों में वृद्धि की जाए तथा प्रभावित मछुआरों के पुनर्वास की नई नीति बनाई जाये।
29. वन आधारित रोजगार को बढ़ाने के लिए वनों में टसर, लाख एवं चारागाह का विकास किया जाये।
30. वन्य जीवों के संरक्षण का कार्य प्रभावी तरीके से किया जाये।
31. पुनर्वास नीति का समग्र पुनः निरीक्षण कर किसानों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाये। भावी परियोजनाओं में किसान की भूमि का अर्जन 5 लाख रूपये प्रति एकड़ की दर से कम दर पर नहीं किया जाए।
32. पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप में अभी तक हुए निवेश में आगामी 3 वर्षों में दुगुनी वृद्धि की जाये।
33. खनिजों का मूल्य संवर्धन प्रदेश में ही किये जाने को प्रोत्साहित करने की नीति बनायी जाए।
34. दिल्ली–मुम्बई,भोपाल–इन्दौर,भोपाल–बीना,जबलपुर–कटनी–सतना–सिंगरौली औद्योगिक कॉरिडोर का योजनाबद्ध विकास किया जाये।
35. प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों में सृजित रोजगार में यथासंभव 50 प्रतिशत प्रदेश के मूल निवासियों को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जाये।
36. प्रदेश में नियमित रूप से रोजगार मेलों का आयोजन किया जाये।
37. समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बनाया जाये।
38. शासकीय प्राधिकरण द्वारा आवंटित ई.डब्ल्यू.एस आवास एवं भूखंडों के विक्रय–पत्रों /पट्टों को स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान की जाए।
39. प्रत्येक आदिवासी विकास खण्ड में अंग्रेजी माध्यम की आश्रम शालायें संचालित की जाए।
40. 50 से कम सीटों वाले आदिमजाति कल्याण विभाग के समस्त छात्रावासों को 50 सीटर छात्रावासों में परिवर्तित किया जाये।

41. कपिलधारा से लाभान्वित अनुसूचित जाति के कृषकों को सिंचाई के लिए विद्युत/डीजल पम्प उपलब्ध कराया जाए।
42. आगामी 3 वर्षों में सभी जिलों में पिछड़े वर्गों के लिए 100 सीटर बालक छात्रावास उपलब्ध कराये जाये।
43. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत राशि बढ़ाकर रूपये 10,000 की जाये।
44. प्रदेश में अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन की स्थापना की जाए।
45. राज्य बीमारी सहायता निधि एवं दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना का विस्तार किया जाये।
46. वर्ष 2013 तक शिशु मृत्यु दर वर्तमान 72 से घटाकर 50 प्रति हजार एवं मातृ मृत्यु दर वर्तमान 335 से घटाकर 225 प्रति लाख करने का प्रयास किया जाये।
47. सकल प्रजनन दर को 2013 तक 2.6 प्रतिशत करने का प्रयास किया जाये।
48. आवश्यकतानुसार 5 किलोमीटर के दायरे में हाईस्कूल की स्थापना की जाये।
49. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान सकल पंजीयन अनुपात को 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर आगामी 3 वर्षों में 15 प्रतिशत प्राप्त करने का प्रयास किया जाये।
50. गुणवत्ता व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आई.टी.आई. का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन किया जाये।
51. प्रदेश में बहुविध बोलियों यथा–बुंदेली, मालवी, निमाड़ी, बघेली, बैगा, भीली, कोरकू, गौंडी आदि के विकास व संरक्षण का कार्य किया जाये।
52. राज्य स्तर पर मेलों एवं वृहद् धार्मिक आयोजनों के विकास एवं संचालन के लिए प्राधिकरण गठित किया जाए।
53. खेल सुविधाओं का विस्तार पंचायत स्तर तक किया जाये।
54. मध्यप्रदेश खेल प्राधिकरण का गठन किया जाये।

55. पुलिस बल में चरणबद्ध तरीके से वृद्धि की जाये तथा इण्डिया रिजर्व बटालियन का गठन किया जाये।

56. सेना के भूतपूर्व सैनिकों की एक सुरक्षा वाहिनी का गठन किय जाये।

57. अवैध वन कटाई, अवैध खनिज उत्खनन, बिजली चोरी, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण रोकने तथा बी.पी.एल. सूची में दर्ज अपात्र व्यक्तियों के नाम काटने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाये।

58. राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए भू–राजस्व संहिता में संशोधन किये जाये।

59. ग्रामीण आबादी के पट्टे वितरित किय जाये।

60. पंचायत सचिवों के जिला कैडर की स्थापना की जाये।

61. ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन आरंभ किया जाये।

62. सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु बार कोडेड फूड कूपन योजना लागू की जाये।

63. राशन की दुकान प्रत्येक कार्य दिवस को खुली रखी जाए।

64. वैट के अधिकतम प्रकरणों को स्व–कर निर्धारण के दायरे में लाया जाये और कम्पोजीशन की सीमा 60 लाख रूपये की जाए।

65. पारदर्शी, जवाबदेही एवं संवेदनशील प्रशासन स्थापित करने की व्यवस्था के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग किया जाए।

66. एकीकृत वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली स्थापित की जाए।

67. राज्य में वांछित प्रशासनिक व्यवस्था में निरंतर सुधार की अनुशंसाएँ करने का उत्तरदायित्व अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान को सौंपा जाये।

68. प्रशासनिक अमले को पुरस्कृत एवं दण्डित करने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाये।

69. सिटीजन चार्टर को लोक सेवाओं के प्रदाय की गारण्टी अधिनियम के रूप में लागू किया जाये।

70. शासकीय खरीदी पारदर्शी एवं उचित दरों पर करने के लिए वर्तमान व्यवस्था में यथोचित परिवर्तन किये जाये।

यह भी प्रस्तावित है कि यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करे कि कृषि उत्पादों का वायदा बाजार पूर्णतः बंद करने; प्रदेश के बी.पी.एल. परिवारों की वास्तविक संख्या के अनुसार खाद्यान्न आवंटित करने; आवासहीनों की संख्या के अनुरूप इंदिरा आवास योजना में राशि प्रदान करने; ताप विद्युत गृहों की आवश्यकता के अनुरूप उचित गुणवत्ता का कोयला प्रदान करने; प्रदेश के वन क्षेत्रों के विकास के लिए सीएएमपीए की राशि विमुक्त करने; शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन दिये जाने; इंदौर–दाहोद और शेष रेल लाईनें निर्मित करने तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं की पर्यावरण संबंधी अनुमतियाँ शीघ्र जारी की जाये।

स्वर्णिम मध्यप्रदेश के निर्माण सम्बन्धी यथासंशोधित संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

4. मुख्यमंत्री द्वारा घोषित योजनाएँ –

मध्यप्रदेश सरकार अपने राज्य के हर एक नागरिक के जीवन में खुशी और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे स्वस्थ राज्य की पहल स्पष्ट होती है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम, लाड़ली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री की पंचायतें, समाधान ऑन लाइन, बेटी बचाओ अभियान जैसी योजनाएं, राज्य की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में पहल के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। यह योजनाएं विशिष्ट परिणाम प्रदान कर रही हैं, और प्रत्यक्ष परिवर्तन ला रही है। इनमें से कुछ इतनी प्रभावशाली है, की अन्य राज्य भी इन्हे अपना रहे है।

लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 –

'मध्यप्रदेशलोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010' देश में पहली बार, अपनी खास तरह का अधिनियम है, जो निर्धारित समय सीमा में नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं के प्रदान की गारंटी देता है।

यह 'ऐतिहासिक अधिनियम' अच्छे शासन को प्राप्त करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता का एक प्रतिबिंब है। 'मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010' नागरिकों को निर्धारित समय के भीतर बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं के प्रदान की गारंटी देता है और ऐसा करने में विफलता के लिए जवाबदेही तंत्र की योजना करता है। इस अधिनियम के तहत, जाति, जन्म, विवाह और अधिवास प्रमाण पत्र जारी करना, पीने के पानी के कनेक्शन, राशन कार्ड, भू–अभिलेखों की प्रतियां जैसी 52 महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। हर सेवा की डिलीवरी के लिए एक समय अवधि तय किया गया है। जो अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहता है और इन सेवाओं को समय पर प्रदान नहीं करता हैं, उसे प्रति दिन 250 रुपये से लेकर अधिकतम 5000 रुपये तक की रकम का भुगतान, जुर्माने के रूप में करना पडता है।

यह अधिनियम दो चरण की अपील प्रक्रिया प्रदान करता है। जब नागरिक को समय पर अधिसूचित सेवा प्राप्त नहीं होती, तब वह प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। यदि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी लापरवाह है अथवा नागरिक उसके निर्णय से असंतुष्ट है, तो वह दूसरे अपील प्राधिकारी के पास अपील दायर कर सकते हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ दूसरे अपीलीय प्राधिकारी को जुर्माना लगाने के और अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश देने की शक्ति होती है। जहां अपराधी अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाता है, वही आवेदकों को असुविधा झेलने के कारण मुआवजे का भुगतान किया जाता हैं। यह अनोखा कानून सिटीजन चार्टर के उद्देश्यों को साकार करने के लिए एक प्रभावी साधन प्रदान करता है।

अधिनियम ने वर्ष 2012 का पुरस्कार जीता, 'लोक सेवाओं के वितरण में सुधार वर्ग में इस अधिनियम को संयुक्त राष्ट्र का वर्ष 2012 का लोक सेवा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राज्य ने 73 देशों से और 483 नामांकनों में से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। संयुक्त राष्ट्र का यह 'लोक सेवा पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्टता की एक प्रतिष्ठित पहचान है।[6]

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना –

यह 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अपने नागरिकों को हर संभव तरीके से सहायता प्रदान करने के लिए राज्य के गंभीर प्रयासों का एक और उदाहरण है। इस अनूठी योजना के तहत किसी भी धर्म के वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य सरकार के खर्च पर उनके पसंद के धार्मिक स्थानों का दौरा करने की सुविधा प्रदान की गई है।

बेटी बचाओ अभियान –

'बेटी बचाओ अभियान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के व्यक्तिगत नेतृत्व के तहत मध्यप्रदेश सरकार द्वारा की गई पहल है।

लड़कियों के लिंग अनुपात में जारी गिरावट को रोकना और उससे जुडे सामाजिक असर और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना, इस अभियान के उद्देश्य है।

मुख्यमंत्री ने कन्या भ्रूणहत्या की निन्दनीय प्रथा को समाप्त करने हेतु स्वयं लोगों से मिलने और उन्हें प्रेरित करने के लिए कई स्थानों का दौरा किया। इस अभियान के तहत समाज में एक स्वस्थ लिंग संतुलन के लिए कन्या भ्रूण को बचाने के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए कई गतिविधियां चलाई गई।

पंचायत– समाज के विभिन्न समूह के साथ सीधी बातचीत

पंचायत के आयोजन के माध्यम से राज्य सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का सबसे अच्छा प्रयास किया हैं।

मुख्यमंत्री द्वारा एक अनोखी और विशेष पहल में, विकास के मुद्दों पर भावी हितधारकों के विभिन्न समूहों के साथ संवाद आयोजित किया गया। अब तक 24 पंचायतों का आयोजन किया गया है, जिनमें सबसे अधिक मुख्यमंत्री के सरकारी निवास पर रहे है। इनमें – श्रमिक, साइकिल रिक्शा खींचनेवाले, मंडी हमाल, विक्रेता, मछुआरें, शारीरिक रूप से विकलांग, वरिष्ठ नागरिक, नौकर नौकरानी, महिलाएं, किसान, खिलाडी, छात्र, कारीगर और लघु उद्यमी शामिल है। इन पंचायतों में बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण फैसले और योजनाएं घोषित की गई है। यह एक लोकतांत्रिक प्रयास है, जिसमें समाज के ज्यादातर वंचित समूहों, उनकी चिंताओं, उम्मीदों और अपेक्षाओं को आवाज देकर उसीके आधार पर उनके हित में तत्काल निर्णय किए गए है।

इस पहल के साथ कई कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ किया गया है इनमें मुख्यमंत्री मजदूरों के लिए सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री मंडी हमाल सुरक्षा योजना, शहरी महिला नौकरानी कल्याण कोष, वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना, मुख्यमंत्री किसान सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना आदि शामिल है।

समाधान–

सभी स्तरों पर प्रशासन को संवेदनशील बनाने के प्रभावी साधन के रूप में, सहानुभूति, संवेदनशीलता और उच्च प्राथमिकता के एक दृष्टिकोण के साथ लोगों की शिकायतों को पता करने तथा उन्हे हल करने के उद्देश्य के साथ 'समाधान ऑनलाइन शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम हर महीने के पहले मंगलवार को आयोजित किया जाता है। सभी जिला और विभाग के अधिकारियों को किसी भी स्पष्टीकरण के लिए उस दिन कार्यालय में रहने के लिए कहा जाता है। लगभग 20 से 25 आवेदन पत्रों को बेतरतीब ढंग से चयन कर, इस कार्यक्रम के ही दिन

वेबसाइट के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भेजे जाते है। संबंधित अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री के कार्यालय को यह रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत की जाती है। मुख्यमंत्री खुद शिकायतकर्ता और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के साथ रिपोर्ट की समीक्षा करते है।

मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का वेबसाइट के माध्यम से पालन किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा के माध्यम से सभी जिलें इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं।

एक दिन का शासन –

'समाधान एक दिन में एक बहुत ही अभिनव और आवेदकों के लिए लगभग 21 प्रमाण पत्र, मांग के अनुसार उसी दिन उपलब्ध कराने वाला एक कार्यक्रम है। जनता को सुबह 11.00 से दोपहर 1:30 बजे तक आवेदन देना होता है, जिसके बाद दिन की समाप्ती से पहले उन्हें प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। यदि आवेदन अस्वीकार हो या उसमें देरी हो, तब उसके कारण आवेदकों को बताए जाते है। कलेक्टर प्रत्येक दिन के अंत में आवेदन के निपटारे पर नजर रखता है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप, बहुत पैसे और समय खर्च करने के बाद भी हाथ में प्रमाण पत्र प्राप्त करने में अनिश्चितता की नागरिकों की अग्नि परीक्षा समाप्त हो गई है। इससे राजस्व उत्पन्न होता है, जनता का विश्वास बढ़ता है और मध्यस्थ की भूमिका समाप्त होकर लंबित मामलों की संख्या भी घटती है।

लाड़ली लक्ष्मी योजना –

लड़कियों की शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में सुधार कर उसके माध्यम से लड़कियों के भविष्य की मजबूत नींव रखने और समाज में लड़की के जन्म को लेकर एक सकारात्मक बदलाव के लाने के उद्देश्य के साथ, वर्ष 2006 में इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना के तहत राज्य सरकार हर लड़की के जन्म के बाद, उसके नाम पर हर साल, 6 हजार रुपए मूल्य के राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदी करती हैं, जब तक यह राशि 30,000 रुपये तक पहुँच जाए। इस योजना के तहत लड़की को छठी कक्षा में प्रवेश पर 2 हजार रुपये दिये जाते है, नौवीं कक्षा में प्रवेश पर 4 हजार रुपये दिये जाते है और ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश पर 7500 रुपये दिये जाते है।

कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं में पढ़ाई के दौरान उसे प्रति माह 200 रुपये दिये जाते है। जब लड़की की आयु 21 वर्ष हो जाती है और वह उम्र के 18 साल से पहले शादी नही करती, तब उसे एक ही समय में एक लाख रुपये की राशि का

भुगतान किया जाता है। दो जीवित बच्चों के बाद परिवार नियोजन अपनाने वाले, आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत और आयकर की सीमा से बाहर वाले माता–पिता को इस योजना के लाभ प्रदान किए जाते है।[7]

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना –

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर यह योजना शुरू की गई है। गरीब, जरूरतमंद, बेसहारा परिवारों को उनकी बेटियों, विधवाओं, तलाकशुदाओं की शादी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के तहत, घर की चीजें और सामूहिक विवाह खर्च के लिए 15,000 रुपए की सहायता दी जाती है। लड़की के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने की शर्त के साथ सामूहिक विवाह में यह सहायता दी जाती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. गिरिजा शंकर, चुनाव मध्यप्रदेश 2008–09 अपूर्वा प्रकाशन, भोपाल, पृष्ठ सं. 17
2. भाम्भरी, सी.पी., इलेक्शनस् – 191: एन एनालिसिस, बी. आर. पब्लिशिंग, नयी दिल्ली, 1991, पृष्ठ सं. 39
3. भाम्भरी, सी.पी. भारतीय जनता पार्टीः पेरीफेरी टू सेण्टर, शिप्रा पब्लिकेशंस, दिल्ली, 2001, पृष्ठ सं. 13
4. भगत के. अंजना, इलेक्शन्स एण्ड इलेक्टोरल रिफार्मस् इन इण्डिया, विकास पब्लिशिंग हाऊस, नयी दिल्ली, 1996, पृष्ठ सं. 87
5. भगवानदास, विश्व में दलीय प्रणाली का उद्भव एवं विकास, महिला विधि भारती, विधि भारती परिषद, दिल्ली, 1999, पृष्ठ सं. 74
6. विधानसभा निर्वाचन 2013 घोषणा–पत्र भारतीय जनता पार्टी
7. मध्यप्रदेश संदर्भ 2012 प्रकाशक आयुक्त जनसंपर्क जनसंपर्क भवन टेगोर मार्ग, भोपाल, पृष्ठ सं. 31

षष्ठम् अध्याय

भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल

भूमिका –

लोकतंत्र में मताधिकार के प्रयोग द्वारा सत्ता का परिवर्तन एक सामान्य प्रक्रिया है। वर्ष 2003 में मध्यप्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए उस समय कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी। जनता का कांग्रेस सरकार के प्रति घोर विरोध था।

विरोध के कारण –

विरोध के कई कारण थे, उनमें से मुख्य कारणों की चर्चा एवं समीक्षा की जाये तो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने का कारण स्वयं ही हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है जैसे कि :

1) विद्युत आपूर्ति की स्थिति –

जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी, तब विद्युत आपूर्ति की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। बेहिसाब विद्युत कटौती से जनता में रोष था। विद्युत व्यवस्था के प्रति कांग्रेस शासन का गैर जिम्मेदाराना रवैया भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ।

2) सड़कों की खराब स्थिति –

किसी देश अथवा राज्य की अर्थव्यवस्था की नस सड़के कहलाती है, परन्तु जब कांग्रेस का शासन था, तो गांवों, शहरों, प्रमुख नगरों को जोड़ने वाली सड़कों की हालत खराब थी। इस वजह से जनता त्राहि–त्राहि कर रही थी।

3) भाजपा की कमान उमा भारती के हाथों में होना –

उमा भारती भाजपा की तेज–तर्रार एवं कुशल नेत्री के रूप में उभरकर सामने आयी, उनकी वाकपटुताा एवं नेतृत्व दामता ने जनता का स्नेह प्राप्त कर लिया।

4) विरोध लहर –

कांग्रेस नेतागण कांग्रेस की हार की वजह विरोधी लहर को मानते है। कांग्रेस के नेतागणों का विचार था कि जनता की सामान्यतः कई समस्याएँ होती है परन्तु शासन चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, तब भी जनता की सभी समस्याएँ हल नहीं हो सकती है। इस कारण से जनता ने कांग्रेस के खिलाफ मताधिकार का प्रयोग किया।

निष्कर्ष –

जनता ने आखिरकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए कांग्रेस सरकार के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का जवाब चुनाव में दिया और वर्ष 2003 में मध्यप्रदेश में कांग्रेस शासन के कुशासन का अंत किया।[1]

उमा भारती मध्यप्रदेश की 16 वें मुख्यमंत्री के रूप में (कार्यकाल 08/12/2003 से 22/08/2004)

मध्यप्रदेश में 2003 का चुनाव भाजपा ने उमा भारती के नेतृत्व में लड़ा थ। इस चुनाव में भाजपा ने तीन चौथाई बहुमत से जीत हासिल की। भाजपा ने 173 व कांग्रेस ने 38 सीटे प्राप्त की। उमा भारती ने मलेहरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता था। भाजपा ने चुनाव उमा भारती को मुख्यमंत्री उम्मीद्वार घोषित करके लड़ा था।

उमा भारती का संक्षिप्त परिचय –

सादा जीवन और उच्च विचारों से परिपूर्ण उमा भारती का परिचय जनता से सबसे पहले एक साध्वी के रूप में हुआ था। उमा भारती राम जन्मभूमि आंदोलन से भी जुड़ी हुई थी। उनका चेहरा हिन्दुत्व वादी रहा है। नारी होते हुए भी वे एक दबंग व्यक्तित्व की स्वामीनी रही हैं। बाबरी ढांचा कांड के समय भी वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थी। भाजपा नेत्री विजयाराजे सिंधिया का उन्हें वरदहस्त प्राप्त था।

उमाजी का इस्तीफा –

अगस्त 2004 में उमा जी ने अपना इस्तीफा दिया, क्योंकि हुबली कोर्ट ने 1994 के दंगा प्रकरण में उमा भारती के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था।

बाबूलाल गौर मध्यप्रदेश के 17 वे मुख्यमंत्री के रूप में (कार्यकाल 23/08/2004 से 29/11/2005)

उमा भारती के इस्तीफे के बाद भाजपा के तेजतर्रार एवं कद्दावर नेता बाबूलाल गौर को मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन इनका कार्यकाल भी अल्प समय का ही रहा।

शिवराज सिंह चौहान एक अतुलनीय एवं निरंतर पारी –

कार्यकाल –

1) 29/11/2005 से 12/12/2008

2) 12/12/2008 से 02/12/2013

(विधानसभा चुनाव 2008, कुल सीटे – 230, भाजपा –143, कांग्रेस – 71)

3) 13/12/2013 से निरंतर

(विधानसभा चुनाव 2013, कुल सीटे – 230, भाजपा – 165, कांग्रेस – 58)

शिवराजसिंह चौहान मध्यप्रदेश के 18 वें मुख्यमंत्री बने। वे जिला सीहोर की बुधनी सीट से निर्वाचित हुए। उन्होंने अपने कार्यकाल में विभिन्न योजनाओं के द्वारा जनता को संतुष्ट किया, इस प्रकार उनका कार्यकाल प्रभावी रहा है।

भाजपा सरकार के मध्यप्रदेश में उल्लेखनीय कार्य –

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले लाड़ली लक्ष्मी योजना की शुरूआत की। वर्तमान समय में इस योजना के अंतर्गत रू. 30,000 के बचत–पत्र बालिका के नाम खरीदकर माता–पिता को सौंप दिए जाते हैं। बालिका 5 वीं कक्षा से 6 टी कक्षा में जायेगी तो रू. 4000, 10 वीं में जायेगी तो रू. 7500 और 21 वर्ष की होने पर रू. 1,18,000 उस बालिका को प्राप्त होते हैं। इस योजना में 13 लाख से अधिक बालिकाओं का पंचीयन हो चुका है। बालिकाओं को स्कूल में युनिफार्म, पुस्तकें एवं दूसरे गाँव में पढ़ने जाने पर साईकिल निःशुल्क दी जाती है। लड़की 12 वी में प्रथम श्रेणी में आयेगी तो उसे गाँव की बेटी कहा जायेगा और कॉलेज की पढ़ाई के लिए उसे 5000 रू. प्रतिवर्ष दिए जायेंगे।

लड़के यदि दूसरे गाँव में पढ़ने जायेंगे तो उन्हें भी साईकिल निःशुल्क दी जायेगी।

शिवराज सिंह चौहान ने इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना व मुख्यमंत्री निकाह योजना भी प्रारंभ की।

भाजपा सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया है, महिलाओं को नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के राजनैतिक सशक्तिकरण की दिशा में भी भाजपा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, स्थानीय निकायों में भी महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

छेड़छाड़ की घटनाओं में लिप्त व्यक्तियों का डेटाबेस तैयार किया गया, इन लोगों को शासकीय सेवा में प्रवेश नहीं मिलेगा, इन लोगों के ड्रायविंग लाइसेंस रद्द होंगे, बंदूक का लाइसेंस नहीं मिलेगा, चरित्र प्रमाण–पत्र नहीं मिलेगा।

मध्यप्रदेश में 70 प्रतिशत जिला पंचायतों की अध्यक्ष महिलाएँ है। मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि प्रदेश में 0–6 वर्ष तक की उम्र में बालिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई है।

भाजपा की शिवराज सरकार ने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की भी शुरूआत की, जिससे कि गरीबों को सस्ते दरों पर अनाज मिल सके। इस योजना के अंतर्गत गरीबों को 1 रु. प्रति किलो की दर से गेहूं, चावल व नमक दिया जाता है।

कार्यप्रणाली – सफलता का ग्राफ –

भारतीय जनता पार्टी सरकार के पिछले 10 वर्षो के कार्यकाल में हुआ मध्यप्रदेश का सर्वोन्मुखी विकास सरकार की संकल्पों की सच्चाई का प्रमाण है। यह इसी बात से स्पष्ट है कि भाजपा द्वारा पिछले चुनावी घोषणा–पत्रों में की घोषणाओं के अलावा भी जो 8400 से अधिक घोषणाएं पिछले कार्यकाल में की गई हैं, उनमें से कांग्रेस को अपने आरोप पत्र में सिर्फ 39 ऐसी घोषणाओं का उल्लेख करते बना जिन्हें उनके अनुसार पूरा नहीं किया गया। हालांकि इन 39 घोषणाओं में से भी बहुत सी पूरी हो गई थी, जिसका कांग्रेस ने अपने आरोप पत्र में असत्य उल्लेख किया है।[2]

"हमारे लिए यह कोई चुनाव घोषणा नहीं, बल्कि एक जन संकल्प है जो भारतीय जनता पार्टी की विकास के प्रति प्रतिबद्धता, समाज के कमजोर वर्गो के कल्याण के प्रति समर्पण और मध्यप्रदेश की जनता की सेवा का निश्चय है। हमारे लिए सत्ता साध्य नहीं बल्कि एक साधन है जिसके द्वारा हम इन संकल्पों और व्रतों को पूरा करने का पुरूषार्थ कर पाते है।"

कांग्रेस को पहले से ही ये आभास है कि उनकी पिछली आधी सदी की कार्यप्रणाली का अनुभव कर चुकी प्रदेश की जनता उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी इसलिए अपने घोषणा पत्र में उन्होंने अव्यवहारिक एवं सस्ती लोकप्रियता के लिए घोषणाऐं की। पूर्व में भी जब जब कांग्रेस पार्टी ने सत्ता हासिल करने के लिए घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की वो कभी पूर्ण आकार नहीं ले सकी। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो घोषणाएं की उनका तो खैर भगवान ही मालिक है लेकिन हम तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में किये गये वादों की बात कर रहे हैं। उन्होंने तो उसे भी पूरा करने की गंभीरता नहीं दिखाई। पहली चीज तो उनके घोषणा पत्र की घोषणाएं ही अपने आप में इस बात का उदाहरण हैं कि कांग्रेसी कोई साफ–साफ घोषणा तो करते ही नहीं हैं। मसलन उनका चुनाव घोषणा पत्र 1998 कर्मचारियों के संबंध में ऐसे वायदे करता था। भारतीय जनता पार्टी सरकार के पिछले 10 वर्षों में मध्यप्रदेश की विकासधारा प्रत्यक्ष रूप से आम जनता को दिखाई दे रही है। और पार्टी के संकल्पों का प्रमाण विकास की धारा परिलक्षित कर रही है।[3]

कांग्रेस पार्टी के 15 वर्षों के कार्यकाल आम जनता से छुपा नहीं है इसलिए आम जनता के मध्यस्त पार्टी को 2003 पुनः चुना गया। कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में मध्यप्रदेश की विकास धारा पर जैसे अंकुश सा लगा दिया था और अपने घोषणा पत्र में किये गये वादों व संकल्पों को गंभीरता से नहीं लिया था। 1998 के घोषणा पत्र में जो घोषणा पत्र में जो घोषणा स्पष्ट नहीं थी। जैसे

(1) राज्य के विकास में कर्मचारियों को सहभागी माना जायेगा और उनकी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जाएगी,

(2) कर्मचारी की सभी कठिनाईयाँ सहानुभूतिपूर्वक समझकर चर्चा के माध्यम से हल की जाएगी,

(3) स्थानांतरण नीति में परिवर्तन किया जाएगा और कर्मचारियों का तथा जनता के हित को ध्यान में रखते हुए उसे लागू किया जाएगा (4) स्थानांतरित कर्मचारियों के बच्चों का शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा।

और जहां पर उन्होंने साफ–साफ घोषणाएं की वहां उनको पूरा नहीं किया। कांग्रेस की घोषणाएँ अस्पष्ट थी व उनको पूरा नहीं किया जाना सत्ता का परिदर्शिता का एक मुख्य लक्ष्य रहा है :

(1) अनुसूचित क्षेत्रों के अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को उसी मापदण्ड से छात्रवृति दी जाएगी जिससे अनुसूचित जाति के बच्चों को दी जाती है,

(2) अतिवृष्टि, ओलावृष्टि तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपों से राहत पाने के लिए प्रत्येक जिले में किसान नवीनीकरण कोष की स्थापना की जाएगी, क्या उन्होंने की? उन्होंने कहा कि निरक्षर युवा वर्ग को उपयोग हुनर के प्रशिक्षण की व्यवस्था पंचायतों या शहरी निकायों के माध्यम से की जाएगी,

(3) 500 से अधिक आबादी वाले हर गाँव में राजीव युवा क्लब का गठन किया जाएगा,

(4) शिक्षा के साथ कोई–कोई उपयोगी हुनर का प्रशिक्षण दिया जाएगा,

(5) शासकीय कार्यलयों के आस–पास महिला कर्मचारियों के बच्चों के लिए झूलाघर की व्यवस्था की जाएगी,

(6) खेतीहर मजदूरों को उत्पादन में निर्धारित प्रतिशत मजदूरी के रूप में दिलवाया जाएगा,

(7) ऐसे ढेरों उदाहरण दे सकते है, जिसमें उनकी चुनावी घोषणाएं तक क्रियान्वित नहीं हुई। सिर्फ वर्ष 1988 की ही नहीं बल्कि वर्ष 1993 तक की घोषणाएं उन्होंने क्रियान्वित नहीं की। उन्होंने पूरे 10 साल संसाधनों की कमी का रोना रोया क्योंकि उन्हें राज्य का राजस्व बढ़ाने की जगह खुद की आय बढ़ाने की ज्यादा चिंता थी।[4]

उस समय जारी किया गया कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र ही यह बताता है कि वे अभी तक उसी पुरानी लीक पर चल रहे हैं। वैसी ही अस्पष्टता और गोल बातें कहना अभी भी जारी है मसलन उनकी पहली घोषणा है कि ''सरकार बनाने के बाद हम अपनी प्रतिबद्धता के साथ राज्य के प्रत्येक नागरिक तक जिम्मेदार जवाबदेह एवं पारदर्शी प्रशासन की निरंतर सुखद अनुभूति का वातावरण बनाएंगे जिससे हर आदमी तक सुरक्षा चक्र पहुँचेगा।'' या ''भय मुक्त सामाजिक वातावरण बनाया जायेगा, नागरिकों की प्रतिष्ठा एवं सुरक्षा को सुनिश्चित किया जायेगा।'' या राज्य के स्वास्थ्य सेवा ढाचें को फिर से दुरूस्त किया जायेगा और उसे जनोन्मुखी बनाया जायेगा।'' ऐसे अनेक उदाहरण इनके इस घोषणा पत्र में मिलते हैं। इसके अलावा घोषणा पत्र में कुछ ऐसी बातें भी कहीं गई हैं जो भाजपा सरकार द्वारा पूर्व में ही की जा जुकी हैं। मसलन ''प्रदेश के शासकीय लोक सेवकों एवं जनप्रतिधियों की सम्पत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने की व्यवस्था की जायेगी। या मध्यप्रदेश के मूल निवासी जो 60 वर्ष की आयु से अधिक हैं उनके लिए तीर्थस्थलों की यात्रा करायी जायेगी। सेवानिवृत्त पत्रकारों की सेवाओं को सम्मानित करने की दृष्टि से सम्माननिधि की नीति अपनाई जाएगी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इनसे पता लगता है कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि भाजपा सरकार प्रदेश में क्या–क्या कर चुकी है। कई जगह उन्होंने वायदे भी किये हैं जिनमें कोई नीवनता नहीं है। मसलन ''ट्रांसफार्मर के खराब होने पर उन्हें शीघ्र ही बदला जायेगा।'' या ''शासकीय कर्मचारी की सेवानिवृत्ति उम्र 60 वर्ष रखी जायेगी।'' कई जगह उन्होंने धोखे की गुंजाइश रखी है। मसलन '' किसानों पर बनाये सभी बिजली प्रकरणों की समीक्षा कर उन्हें वापस लिया जायेगा।'' इसमें झूठे से उनका आशय क्या है, यह उन्होंने गुप्त रखा है। इसी प्रकार वे कहते हैं ''किसानों के विवादित बिजली बिल माफ किये जायेंगे।'' यहां 'विवादित' शब्द से उनका आशय क्या है, यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। यही खेल अनुसूचित जनजाति एवं जाति वर्ग के लिए भी उन्होंने खेला है जहां उन्होंने ऋण के संदेहास्पद एवं विवादास्पद होने पर उन्हें ऋणमुक्त करने की घोषणा की है। यहां फिर वे संदेहास्पद और विवादास्पद से अपने आश्य

को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। अपनी घोषणा में वे कहते हैं कि ''पंचायत अधिनियम की धारा 40 के प्रावधानों से प्रभावित प्रतिनिधियों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जायेगी।'' प्रश्न यह है कि एक तरफ प्रतिनिधियों पर मुकदमा भी चलायेंगे और दूसरी तरफ उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता भी देंगे। वे अपने घोषणा पत्र में 1959 के कृषि भूमि अधिनियम के तहत पट्टा प्राप्त तीस वर्ष से अधिक समय के पट्टेदार किसानों को भूमि स्वामी बनाने की घोषणा करते हैं। सच्चाई यह है कि 1959 का कोई कृषि भूमि अधिनियम अस्तित्व में ही नहीं है। अलबत्ता भूराजस्व संहिता अवश्य है जो दस वर्ष से अधिक समय के पट्टेदार को भूमि स्वामी बनाने का प्रावधान पूर्व से ही रखती है। वैसे भी पट्टे राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत दिये जाते हैं, ना कि कृषि भूमि अधिनियम के अंतर्गत।[5]

इसलिए हमारा विश्वास है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से मध्यप्रदेश की जनता किसी बहकावे में नहीं आयेगी। हमने अपने इस संकल्प पत्र में पिछले 10 वर्षों के अनुभव से उत्साहित होकर विकास, प्रगति और कल्याग की कल्याण की एक ऐसी रणनीति बनाई है जिसके क्रियान्वयन से प्रदेश को एक इन्द्रधनुषी भविष्य की ओर चलने का विश्वास और प्रदेश की जनता को दे रहे हैं।

प्रमुख जन संकल्प –

- गरीबों, किसानों एवं भूमिहीनों के लिए 15 लाख आवास।
- पांच लाख युवाओं को स्वरोजगार योजनाओं में लाभ पहुंचाने का लक्ष्य।
- सरकारी कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले युवाओं को स्मार्ट फोन।
- प्रदेश में वास्तकिव सिंचाई 40 लाख हेक्टेयर से अधिक ले जाने का लक्ष्य।
- गरीबों को एक रूपये किलो चावल।
- खेतीहर मजदूरों के लिए प्रोवीडेंट फण्ड स्कीम।
- पृथक कृषि बजट प्रस्तुत किया जायेगा।
- नई फसल बीमा योजना।
- मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना।

- झुग्गी–पट्टेधारियों को मालिकाना हक।
- गरीबों तथा मध्यमवर्गीय लोगों के लिये मेडिकेयर पॉलिसी।
- राज्य में दस कृषि पॉलीटेक्निक।
- प्रतिभाशाली युवाओं के लिए लेपटॉप।
- आबादी भूमि के भू–धारकों को भू–स्वामी अधिकार।
- पांच वर्ष में सभी गांवों को सड़क सुविधा।
- महिलाओं को सहकारी बैंक खातों में जमा राशि पर अधि ब्याज और ऋण पर रियायती ब्याज।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्राथमिकता एवं विशेष अधिकार योजना।
- गांवों में लघु एवं कुटीर उद्योगों का जाल।
- मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा गांरटी योजना।
- पशुधन की स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु 109 चलित उपचार सेवा।
- मुख्यमंत्री नगरीय भू–प्रबंधन मिशन की स्थापना।
- लोक कलाकार कल्याण मण्डल का गठन।
- अंत्योदय मेले से आगे जाकर अब चिन्हित शासकीय सेवाओं की होम डिलीवरी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बैंको की नयी शाखाएं।
- मालवा–निमाड़ व ग्वालियर–चम्बल क्षेत्र के विकास हेतु विकास प्राधिकरण की स्थापना।
- मध्यप्रदेश व्यापार उन्नयन बोर्ड का गठन।
- राज्य के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए मुख्य मंत्री धर्ममार्ग योजना।
- राज्य मंदिर प्रबंधन संस्थान की स्थापना।

घोषणा पत्र – क्रियांवयन – सफलता का प्रतिशत

2008 विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। सभी पार्टियों ने अपने–अपने घोषणा–पत्र जारी किए थे। कांग्रेस तथा भाजपा के चुनावी घोषणा पत्रों के मुख्य बिन्दु निम्न हैं–

कांग्रेस के विधानसभ चुनाव के लिए जारी किए गए अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने अड़तालिस 48 बिंदुओं वाला घोषणा पत्र जारी किया है–

1. किसानों को ब्याज मुक्त कृषि उत्पादन ऋण।
2. किसानों के सभी विवादित बिजली बिल माफ किए जाएंगे।
3. किसानों को 05 हॉर्सपॉवर तक बिजली मुफ्त।
4. फसल के मौसम के दौरान थ्री फेस पर प्र्याप्त बिजली।
5. भाजपा शासन के किसानों के बिजली संबंधी प्रकरण वापस होंगे।
6. अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यकों सहित सामान्य वर्ग के गरीबों को निःशुल्क एक बत्ती कनेक्शन।
7. गरीबों की सूची की जांच व पुनः सर्वे।
8. गरीबों को दो रूपए प्रतिकिलो व अतिगरीबों को एक रूपये प्रतिकिलो गेहूं।
9. गरीबों को कैरोसीन पर 2 रूपये प्रति लीटर सब्सिडी।
10. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकान से बी.पी.एल. कार्डधारियों को 35 रूपये किलो राशन प्रतिमाह।
11. बी.पी.एल. के महिला पुरूषों की साड़ी व धोती निःशुल्क।
12. गरीबों को मुफ्त नमक, बेरोजगारों को भत्ता।
13. इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ आयोग की स्थापना।
14. नए जिलों की मांग के चलते जिला पुर्नगठन आयोग बनेगा।
15. युवाओं के विकास हेतु नई युवा नीति।
16. वृद्ध, विधवा, निराश्रित, विकलांग, पेंशन की राशि 500 रूपये प्रतिमाह।
17. उद्योगों व नीजि क्षेत्रों में प्राथमिकता पर स्थानीय लोगों को रोजगार।

18. बालिका समृद्धि की नई योजनाओं के तहत वयस्क होने पर बालिका को दो लाख रूपये।
19. ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले छात्रों को तकनीकी व चिकित्सा शिक्षा में सहकारी बैंक से तीन फीसदी ब्याज पर ऋण।
20. युवाओं के लिए जिलों में रोजगार कॉल सेंटर।
21. आई.आई.टी. के तीन नए संस्थान व साफ्टवेयर इंडस्ट्री को बढ़ावा।
22. नौजवानों को व्यवसाय के लिए कम ब्याज पर दीर्घ अवधि ऋण।
23. गरीब अनुसूचित जाति व जनजाति के भूमिहीन किसानों को कृषि भूमि खरीदने के लिए वित्तीय सहायता।
24. बी.पी.एल. कार्डधारियों को सरकारी अस्पतालों में गम्भीर बीमारियों के निःशुल्क ईलाज हेतु राजीव गांधी आरोग्य श्रीजीवन बीमा योजना प्रीमियम राज्य सरकार देगी।
25. छठा वेतनमान जस का तस लागू।

कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के लिए जारी किए गए घोषणा पत्र में सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने का वादा किया। इस पत्र में कर्मचारियों को छठा वेतन आयोग का लाभ जस का तस दिया जाएगा एवं पांचवे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर किया जाएगा।

भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र के मुख्य बिन्दू निम्न हैं–

1. प्रदेश के सभी गांवों एवं नगरों के हर घर को 24 घण्टे बिजली देने का वादा।
2. राज्य में जैविक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
3. राज्य को प्रथम जैविक प्रदेश बनाने का संकल्प जताते हुए खेती को फायदे का धंधा बनाने का संकल्प लिया।
4. किसानों को 5 से घटाकर 3 प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण और बिजली हॉर्सपॉवर के मान से फ्लेट रेट पर दी जाएगी।

5. मंडियों में आने वाले किसानों को 5 रूपये थाली भोजन देने का वादा।
6. अतिगरीबों को 2 रूपये किलो गेहूं और 25 पैसे प्रति किलो देने का वादा।

विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस के घोषणा पत्रों में ज्यादातर हर बार वही पुराने मुद्दे सामने आते रहे हैं। कांग्रेस एवं भाजपा के प्रमुख नेताओं द्वारा खुली बगावत और भाजपा पार्टी की सतत् सक्रियता से जिले में चुनावी संघर्ष तीखा, रोमांचकारी और जिज्ञासा से ओतप्रोत हो गया।[6]

मध्यप्रदेश : तब और अब –

	वर्ष (2003–.04)	वर्ष (2013)
बजट का आकार	21647 करोड़ रूपये	1,00,000 करोड़ रूपये
आयोजना व्यय	5684 करोड़ रूपये	31743 करोड़ रूपये
सकल घरेलू उत्पाद	1,02,839 करोड़ रूपये	3,15,387 करोड़ रूपये
आयोजना व्यय	26.26 प्रतिशत	39.66 प्रतिशत
प्रतिव्यक्ति आय	14,621 रूपये	43,864 रूपये
	वर्ष (2003–.04)	वर्ष (2013)
जी.एस.डी.पी. ग्रोथ रेट–		
प्राथमिक क्षेत्र	–1.47	+16.57
द्वितीयक क्षेत्र	7.02	8.38
तृतीयक क्षेत्र	5.37	12.24
सड़क	44,787 किलोमीटर	90,000 किलोमीटर
उर्जा पर शासकीय व्यय	384 करोड़ रूपये	6262 करोड़ रूपये

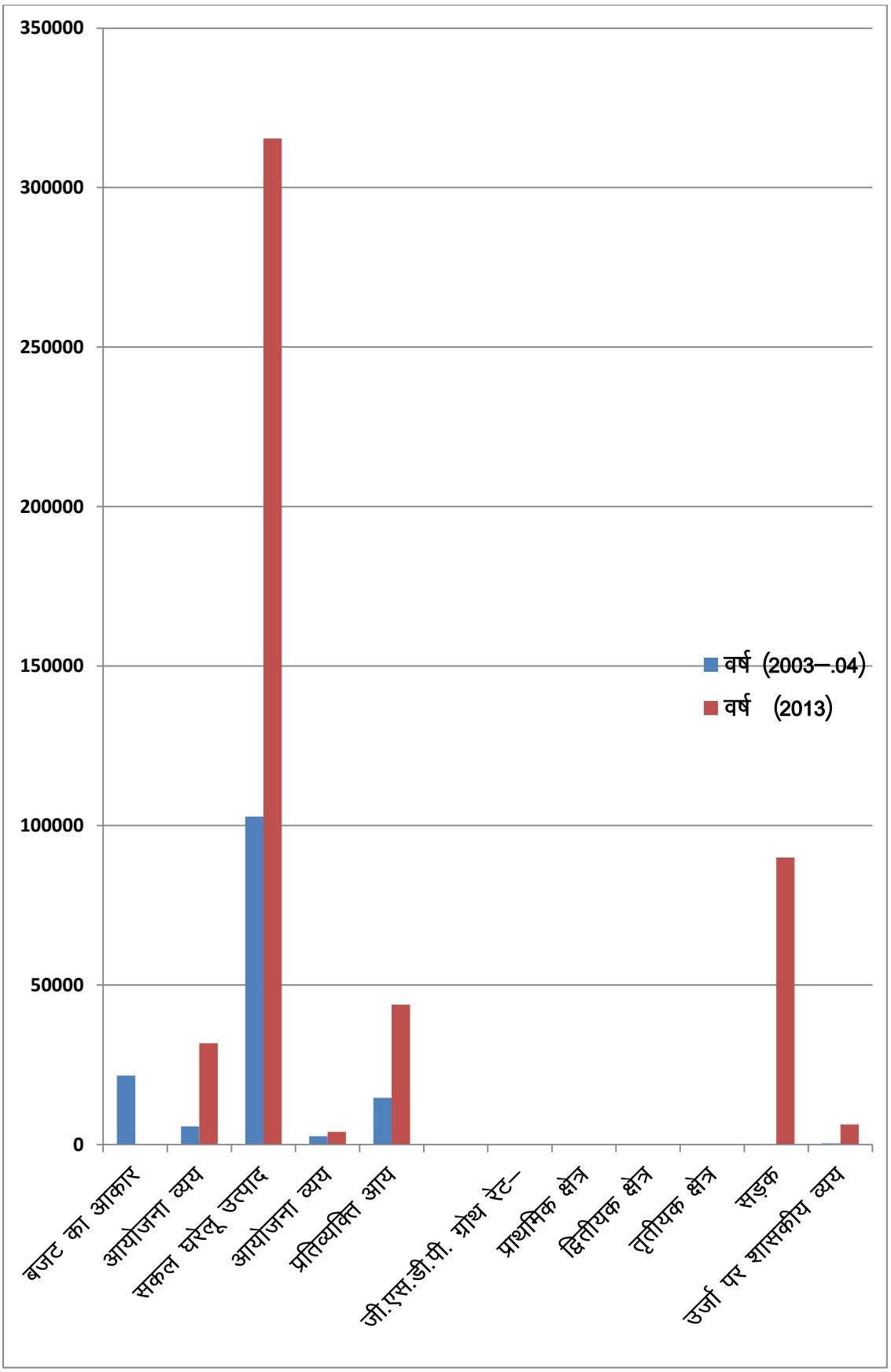
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
वर्ष (2003–.04)
वर्ष (2013)
बजट का आकार
आयोजना व्यय
सकल घरेलू उत्पाद
आयोजना व्यय
प्रतिव्यक्ति आय
जी.एस.डी.पी. ग्रोथ रेट–
प्राथमिक क्षेत्र
द्वितीयक क्षेत्र
तृतीयक क्षेत्र
सड़क
उर्जा पर शासकीय व्यय

'वर्ष 1993 से लेकर वर्ष 2003 तक उन्होंने कुल मिलाकर विद्युत क्षेत्र में राज्य सरकार की ओर से इससे भी कम राशि 5455 करोड़ रूपये खर्च की थी। यदि हमारा वर्ष 2003 से लेकर वर्ष 2013 तक का कुल टोटल किया जाए तो हमने 21,231 करोड़ रूपये से अधिक खर्च किए हैं। उनकी तुलना में 400 प्रतिशत से अधिक फर्क इसलिए पैदा हुआ है।

	वर्ष (2003–.04)	वर्ष (2013)
बिजली की उपलब्धता क्षमता	4673 मेगावॉट	10517 मेगावॉट
कुल ट्रांसफार्मर	165544	456101
पारेषण क्षमता	3890 मेगावॉट	10361 मेगावॉट
33 केव्ही लाईन	29535 किलोमीटर	41531 किलोमीटर
33 केव्ही के पॉवर ट्रांसफार्मर	2680	4793
11 केव्ही लाईन	159696 किलोमीटर	4793 252380 किलोमीटर
एटी एण्ड लॉस	49.55 प्रतिशत	27.11 प्रतिशत
	वर्ष (2003–.04)	वर्ष (2013)
सिंचाई	9 लाख हैक्टेयर	
लघु सिंचाई परियोजनाएं पूरा होने में	8 से 10 वर्ष	25 लाख हैक्टेयर
लघु सिंचाई परियोजनाएं पूरी	279	2 वर्ष
बड़ी परियोजनाएं	अधूरी	1451
पेयजल	निरंक	8 वृहद परियोजनाएं पूरी
ग्रामीण नलजल योजनाएं	लगभग 7.5 हजार	नौ वर्षों में 1,88,000 से अधिक हैंडपम्प स्थापित
		दस हजार से अधिक

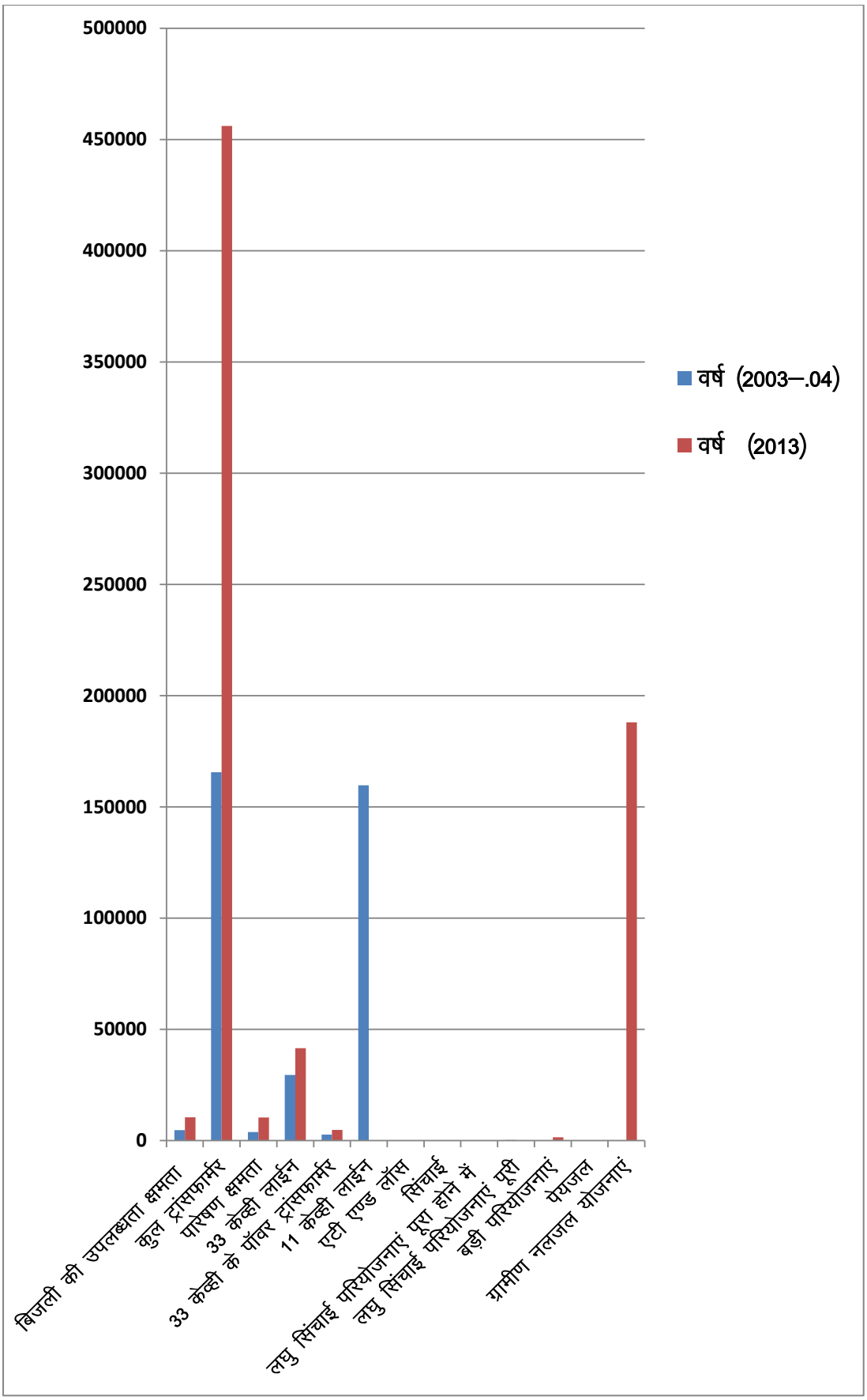
500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
वर्ष (2003–.04)
वर्ष (2013)
बिजली की उपलब्धता क्षमता
कुल ट्रांसफार्मर
पारेषण क्षमता
33 केव्ही लाईन
33 केव्ही के पॉवर ट्रांसफार्मर
11 केव्ही लाईन
एटी एण्ड लॉस
सिंचाई
लघु सिंचाई परियोजनाएं पूरा होने में
लघु सिंचाई परियोजनाएं पूरी
बड़ी परियोजनाएं
पेयजल
ग्रामीण नलजल योजनाएं

	वर्ष (2003–.04)	वर्ष (2013)
मुख्यमंत्री पेयजल योजना	तब नहीं	अब लागू
कृषि	निरंक	18 प्रतिशत से अधिकवृद्धि
ब्याज दर	16 प्रतिशत	शुन्य प्रतिशत
गेहूं के समर्थन मूल्य अतिरिक्त बोनस	कुछ नहीं	150 रूपये
धान मूल्य पर अतिरिक्त बोनस	कुंछ नहीं	100 रूपये
अनुदान एवं बोनस की राशि सीधे किसानों		
के बैंक खातों में उपलब्ध कराना	तब नहीं	अब किया जा रहा है।
	वर्ष (2003–.04)	वर्ष (2013)
उद्योग एवं निवेश		
औद्योगिक निवेश	7935 करोड़ रूपये	84,700 करोड़ रूपये
श्रम		
अकुशल मजदूरों की मजदूरी	2124 रूपये मासिक	4945 रूपये मासिक
दैनिक मजदूरी	81.69 रूपये	190 रूपये
अर्द्धकुशल मजदूरों की मजदूरी	2232 रूपये	5075 रूपये
दैनिक मजदूरी	85.84 रूपये	195 रूपये
कुशल मजदूरों की मजदूरी	2342 रूपये	5225 रूपये
दैनिक मजदूरी	90 रूपये	201 रूपये

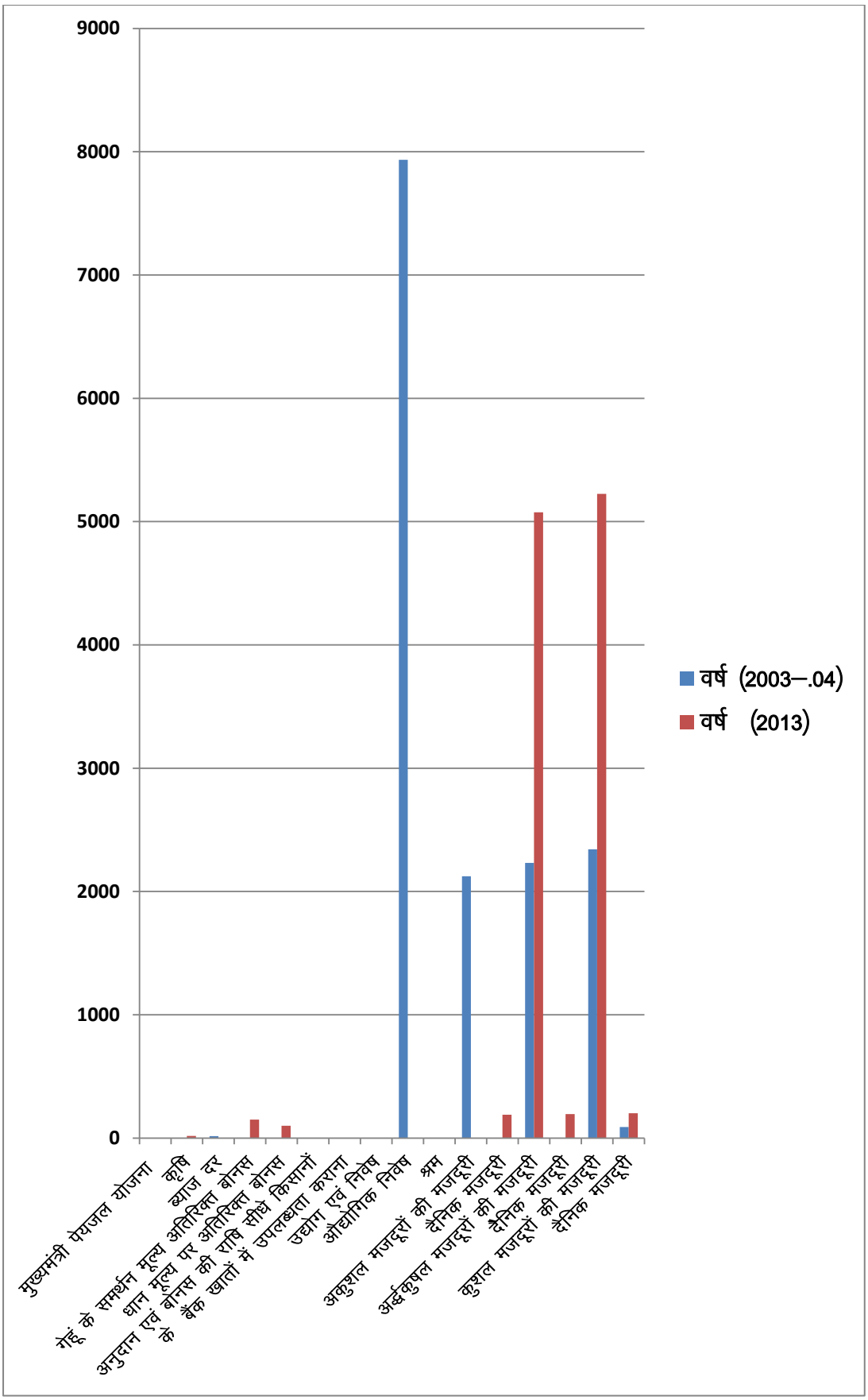
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
मुख्यमंत्री पेयजल योजना
कृषि
ब्याज दर
गेहूं के समर्थन मूल्य अतिरिक्त बोनस
धान मूल्य पर अतिरिक्त बोनस
अनुदान एवं बोनस की राषि सीधे किसानों
के बैंक खातों में उपलब्धता कराना
उद्योग एवं निवेष
औद्योगिक निवेष
श्रम
अकुशल मजदूरों की मजदूरी
दैनिक मजदूरी
अर्द्धकुषल मजदूरों की मजदूरी
दैनिक मजदूरी
कुशल मजदूरों की मजदूरी
दैनिक मजदूरी
वर्ष (2003–.04)
वर्ष (2013)

	वर्ष (2003–.04)	वर्ष (2013)
स्वास्थ्य		
शिशु मृत्युदर	प्रति हजार जन्म पर 86	घटकर 59
मातृ मृत्यु दर	प्रति एक लाख जन्म पर 379	घटकर 269
सांस्थानिक प्रसव	26.9 प्रतिशत	84 प्रतिशत
शिक्षा		
प्राथमिक शालाएं	56,326	83,412
माध्यमिक शालाएं	18,801	29,282 (136 : की वृद्धि)
शासकीय हाईस्कूल	1790	4135 (231:)
शासकीय हायरसेकेंड्री स्कूल	1517	3210 (211:)
शासकीय महाविद्यालय	300	360
तकनीकि शिक्षण संस्थाएं	222	715 (222 प्रतिशत की वृद्धि)
इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक संस्थान	104	301
आई.टी.आई	110	315
एम.बी.ए. संस्थान	41	211

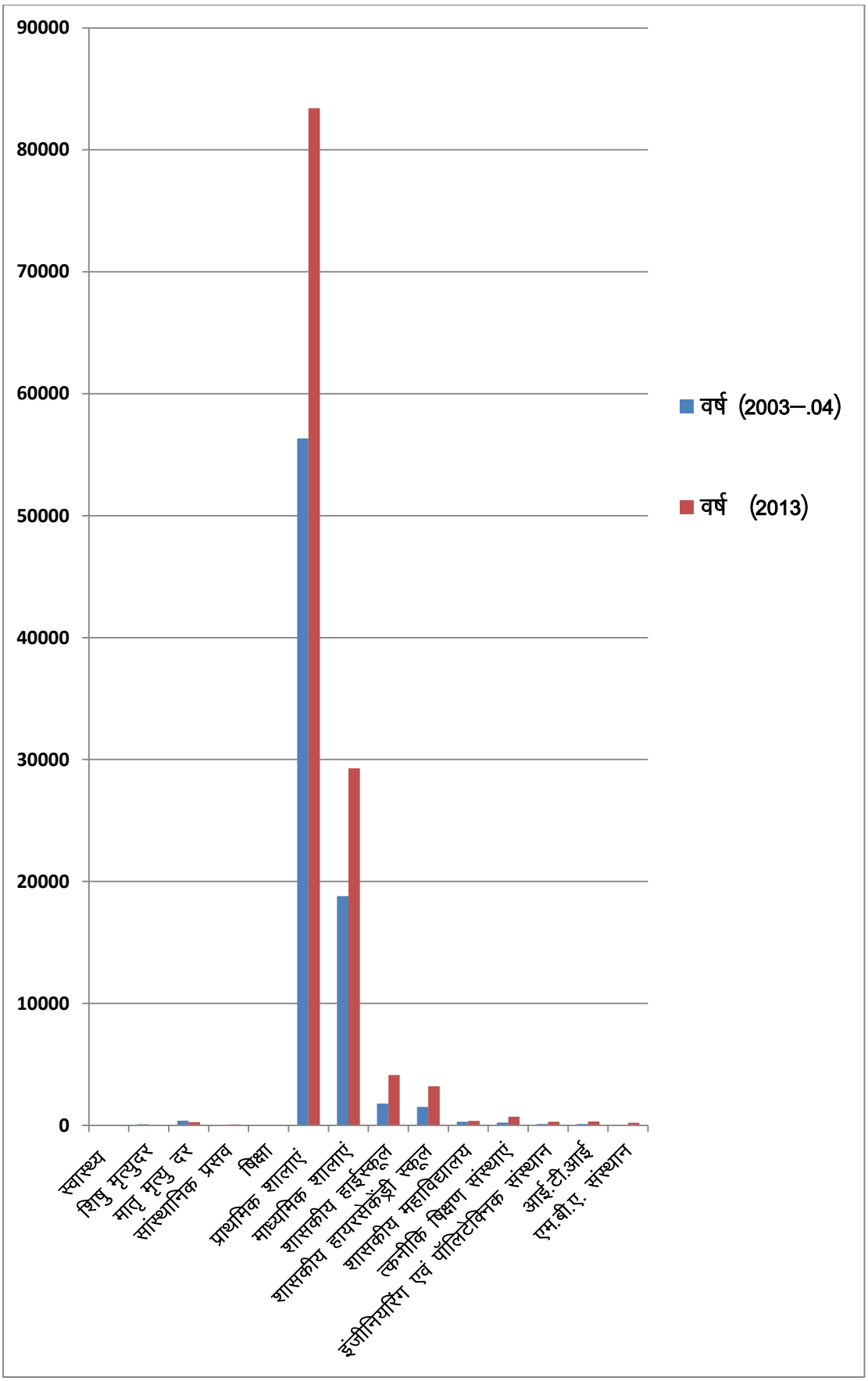
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
वर्ष (2003–.04)
वर्ष (2013)
स्वास्थ्य
शिशु मृत्युदर
मातृ मृत्यु दर
सांस्थानिक प्रसव
षिक्षा
प्राथमिक शालाएं
माध्यमिक शालाएं
शासकीय हाईस्कूल
शासकीय हायरसेकेंड्री स्कूल
शासकीय महाविद्यालय
तकनीकि षिक्षण संस्थाएं
इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक संस्थान
आई.टी.आई
एम.बी.ए. संस्थान

	वर्ष (2003–.04)	वर्ष (2013)
शिक्षकों की संख्या में वृद्धि		
प्राथमिक विद्यालय	112640	235000
माध्यमिक विद्यालय	36900	90240
हाई स्कूल	9750	29350
हायर सेकेण्ड्री स्कूल	11400	22950
अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग		
पिछड़ा वर्ग कल्याण बजट	70 करोड़	504 करोड़
राज्य छात्रवृत्ति बढ़ी	40.65 करोड़	96.57 करोड़
पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति बढ़ी	22.67 करोड़	305.85 करोड़
प्रावीण्य छात्रवृत्ति	2.40 लाख	15 लाख
उच्च शिक्षा के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति	तब नहीं	अब लागू

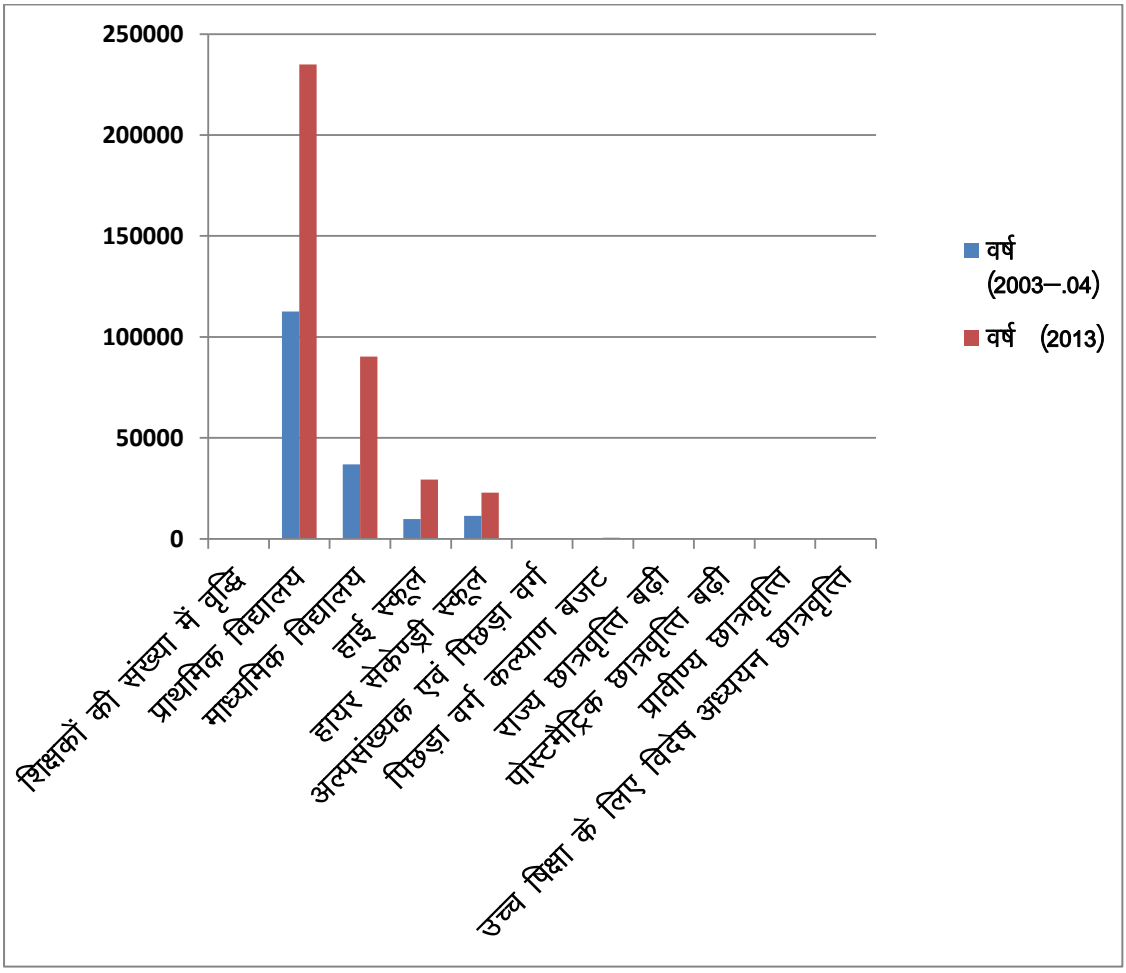

	वर्ष (2003–.04)	वर्ष (2013)
पिछड़ा वर्ग बेरोजगार युवक–युवतियों को रोजगार गांरटी प्रशिक्षण देना	तब नहीं	अब लागू
पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार	तब नहीं	अब लागू
पिछड़ा वर्ग व्यवसायिक	तब नहीं	अब लागू
प्रतिभा परीक्षा पुरस्कार	तब नहीं	अब लागू
संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा	तब नहीं	अब लागू
के लिए प्रोत्साहन दस गुना बढा	8 लाख रूपये	80 लाख रूपये
अल्पसंख्यकों के लिए बजट		
20 गुने से अधिक बढ़ा	2 करोड़ 35 लाख रूपये	43 करोड़ 59 लाख रूपये
अल्पसंख्यक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	तब नहीं	अब लागू
अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	तब नहीं	अब लागू
मेरिट–कम–मीन्स छात्रवृत्ति	तब नहीं	अब लागू
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक स्वरोजगार	तब नहीं	अब लागू
अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुस्कार	तब नहीं	अब लागू
तहसीलें	तब 340	लगभग 30 हजार पद
पुलिस बल	8900 नए पद स्वीकृत किए गए थे (जिनमें छत्तीसगढ़ राज्य भी)	स्वीकृत

हमने पहली बार पुलिस को आयोजना मद में लिया तथा वर्ष 2012–13 के लिए लगभग 73 करोड़ रूपये संसाधनों की विभिन्न नई मद के लिए स्वीत्त कर दिए हैं एवं वर्ष 2013–14 में इस राशि को तीन गुना बढ़ाकर लगभग 225 करोड़ रूपये करने जा रहे हैं।[7]

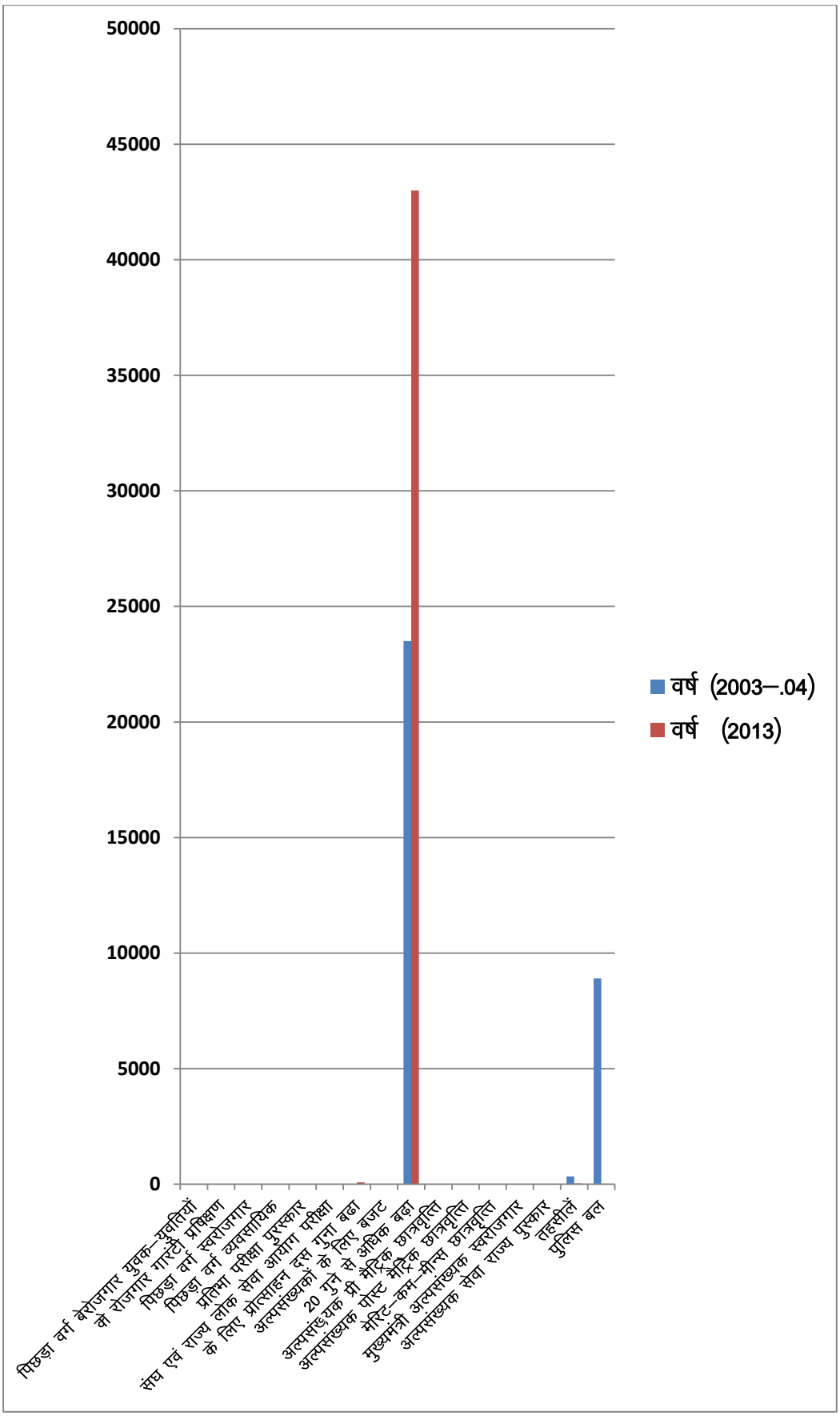
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
पिछड़ा वर्ग बेरोजगार युवक–युवतियों
को राजगार गारंटी प्रषिक्षण
पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार
पिछड़ा वर्ग व्यवसायिक
प्रतिभा परीक्षा पुरस्कार
संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा
के लिए प्रोत्साहन दस गुना बढ़ा
अल्पसंख्यकों के लिए बजट
20 गुने से अधिक बढ़ा
अल्पसंख्यक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति
अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
मेरिट–कम–मीन्स छात्रवृत्ति
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक स्वरोजगार
अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार
तहसीलें
पुलिस बल
वर्ष (2003–.04)
वर्ष (2013)

अनुसूचित जाति पर अत्याचारों में कमी –

2003 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरूद्ध देष में घटित होने वाले अपराधों में प्रदेश में क्रमशः 21 प्रतिषत एवं 30.2 प्रतिशत थी जो 2012 में घटकर 8.54 प्रतिशत एवं 20.57 प्रतिशत रह गई है। हमारा प्रयास है, कि यह प्रतिशत तीव्र गति से ओर कम हो।

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति व जनजाति पर होने वाले अत्याचारों में 99 प्रतिशत प्रकरणों में मुल्जिम गिरफ्तार होकर चालान पेश किए जा रहे हैं तथा मात्र एक प्रतिशत प्रकरणों में ही खात्मा या खारजी भेजी जा रही है।[8]

	वर्ष (2003–.04)	वर्ष (2013)
महिलाओं के विरूद्ध अपराध वर्ष 2000 में देश में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों में से मध्यप्रदेश का प्रतिशत	12.70	वर्ष 2001 में घटकर 7.30
बालात्कार	22.70	14 प्रतिशत
अपहरण	5.80	घटकर 3.10 प्रतिशत
पति एवं रिश्तेदारों की निर्दयता की		
घटनाओं	6.80	3.80 प्रतिशत
महिलाओं के उत्पीड़न की		
कुल घटनाओं में	25.90	15.50 प्रतिशत

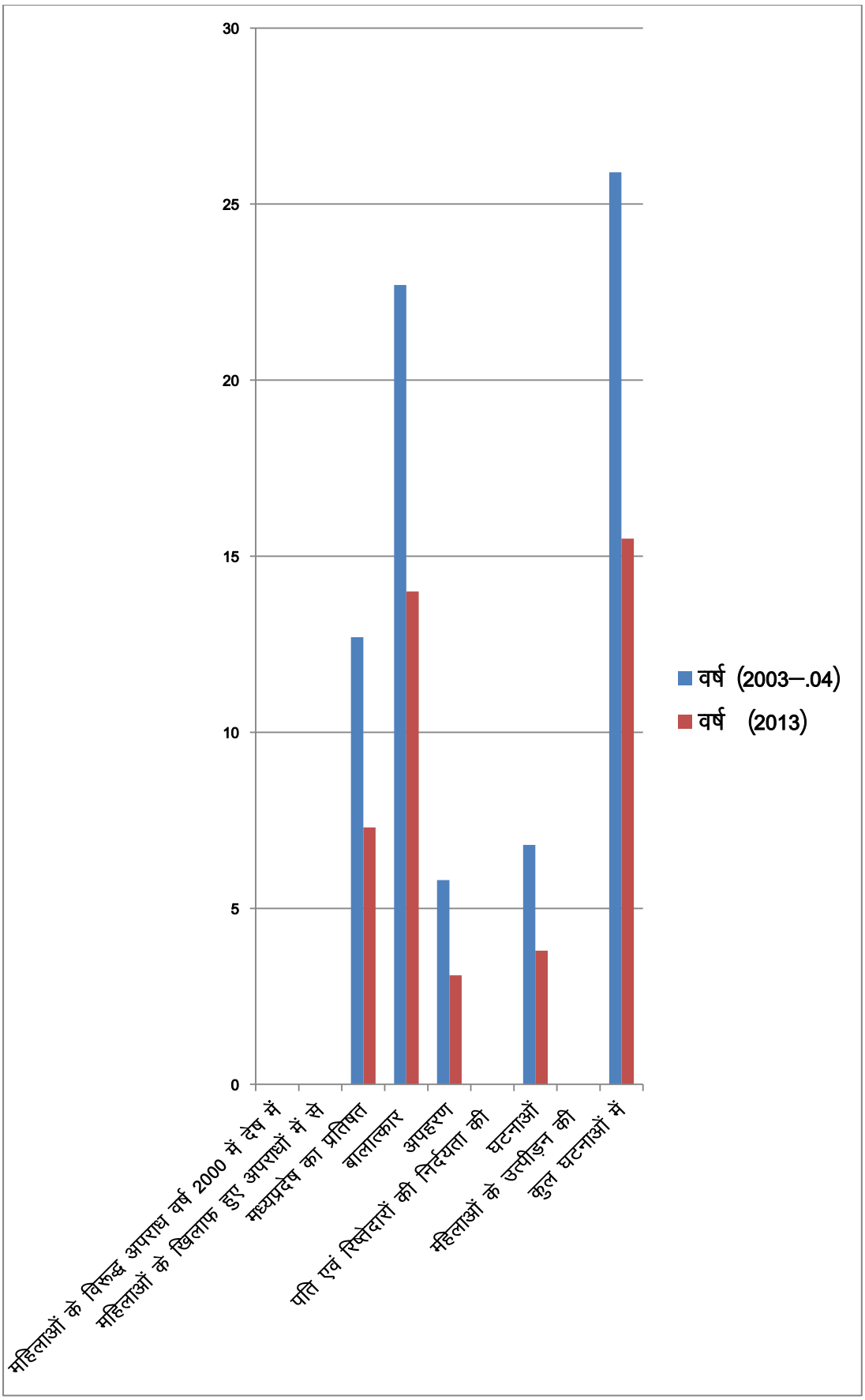
30
25
20
15
10
5
0
वर्ष (2003–.04)
वर्ष (2013)
महिलाओं के विरूद्ध अपराध वर्ष 2000 में देष में
महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों में से
मध्यप्रदेष का प्रतिषत
बालात्कार
अपहरण
पति एवं रिष्तेदारों की निर्दयता की
घटनाओं
महिलाओं के उत्पीड़न की
कुल घटनाओं में

मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद –

ग्रामीण विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। गाँवों में लोगों को आवश्यकता की चीजें उपलब्ध हों साथ ही उनके पास रोजगार हो इसके लिए अनेक योजनाएँ गाँवों में क्रियान्वित की जा रही है। इन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे यह सुनिश्चित करना आज की सबसे बडी आवश्यकता है। ऐसा करना सिर्फ सरकार के द्वारा संभव नहीं है। सरकार के साथ स्वयंसेवी संगठन और जनता की सक्रिय भागीदारी हो, तभी गाँवों के समस्त विकास का सरकार का सपना पूरा हो सकेगा। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् की स्थापना का उद्देश्य यही है, कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में स्वयंसेवी संस्थाएँ और लोगों की भागीदारी हो । यह कार्य बेहतर और प्रभावी हो, इस कार्य में परिषद् महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी ।

मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् की सक्रियता से गाँवों के विकास को पूरा हो सकेगा।

जन संगठन समाज के अंग है वे समाज के वास्तविक प्रतिनिधि हैं वे जन, जमीन से जुड़े होते हैं, स्थानीय सोच,समझ,मानसिकता से अवगत होते हैं। अतः स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता विकास योजनाओं को परिणाममूलक बना सकती है। समाज की समरसता की दृष्टि से मुख्यमंत्री समाज की अंतिम पंक्ति तक समाज निर्माण करना चाहते हैं। प्रदेश निर्माण की इस संकल्पना में जन संगठनों की प्रभावी भूमिका हो सकती है।

राज्य की समस्त पंजीबद्ध संस्थाओं का पंजीयन कर उनका परीक्षण व मूल्यांकन किया जायेगा। इन संस्थाओं की ताकत, कमजोरियों व अवसरों का मूल्यांकन उनके कार्यालय, मैदानी कार्य व वार्षिक रिपोर्ट साथ ही अन्य प्रकाशित दस्तावेजों के आधार पर किया जायेगा। इसके आधार पर संस्थाओं का प्रत्याययन किया जाएगा। यह प्रत्याययन शासन के विभिन्न शासकीय विभागों को उनके कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रचार–प्रसार एवं क्रियान्वयन में भागीदारी हेतु प्रदेश के अलग–अलग क्षेत्रों में स्वयंसेवी संस्थाएँ उपलब्ध कराने का आधार बनेगा।[9]

समाज के समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु शासन सदैव तत्पर रहा है। संगठनात्मक सीमाओं के भीतर यह सराहनीय प्रयास भी अपने अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति में अपर्याप्त रहे है । इस दिशा में अपने व्यवस्थागत ढाँचे का अतिक्रमण कर शासन ने स्वैच्छिक संगठनों के अस्तित्व को मान्यता दी है। जनता और सरकार के बीच सेतु के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं और सामुदायिक संगठनों को विकास की सशक्त इकाई के रूप में विकसित करने के उद्देश्य हेतु ''मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद्'' का गठन किया गया है। यह परिषद् शासन को सलाह देने,सामुदायिक भागीदारी प्रोत्साहित करने,स्वयंसेवी संस्थाओं से संबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी समेकित कर,नीतियों के क्रियान्वयन के लिये एक समन्वयक अभिकरण के रूप में कार्य करेगी। म. प्र. जन अभियान परिषद्,मध्यप्रदेश सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम,1973 के अंतर्गत पंजीकृत है एंव समस्त मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद गाँव–गाँव तक कार्य कर रहा है।

संस्थागत संरचना –

म.प्र. जन अभियान परिषद् उच्च स्तरीय निकाय द्वारा संचालित संस्था है। संस्था के अंतर्गत एक शासी निकाय तथा एक कार्यकारिणी सभा का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष म.प्र. शासन के मुख्यमंत्री हैं तथा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री व किसी एक प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्था से अशासकीय सदस्य इस प्रकार इसके दो उपाध्यक्ष हैं। शासी निकाय में विभिन्न विभागों के मंत्री और स्यवंसेवी संस्थाओं के 15 नामांकित प्रतिनिधि सदस्य है। जिनमें कम से कम 3 महिलाएँ एवं 3 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि शामिल है। संस्था में नामांकित सदस्यों की सदस्यता अवधि दो वर्ष है। ऐसे सदस्य पुनः नामांकन के भी पात्र हैं। शासी निकाय द्वारा नीति निर्देश तैयार करने संचालन के मापदंड निर्धारित करने तथा संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यकारिणी सभा को निर्देश दिया जाता है। शासी निकाय की बैठक वर्ष में एक बार होती है।

शासी निकाय द्वारा निर्धारित नियम, विनियम तथा आदेशों के अंतर्गत संस्था के प्रशासकीय कार्य कार्यकारिणी सभा द्वारा संचालित होते हैं। म.प्र. जन अभियान परिषद् के संचालन हेतु गठित कार्यकारिणी सभा के सभापति मध्यप्रदेश शासन के मुख्य सचिव हैं। विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव एवं पांच नामांकित स्वंयसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं। शासन द्वारा नियुक्त पूर्णकालीन कार्यपालक निदेशक इन दोनों समितियों के सदस्य सचिव हैं। कार्यकारिणी सभा की बैठक वर्ष में चार बार होती है। कार्यकारिणी सभा जन अभियान परिषद् के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संस्था के नियमों के तहत् कार्यो का निर्वहन करती है।

संस्था के कार्यों एवं प्रगति की समीक्षा तथा आवश्यकतानुसार दिशा–निर्देश राज्य शासन द्वारा दिये जाते हैं। म.प्र. जन अभियान परिषद् का राज्य कार्यालय भोपाल में स्थित है। परिषद् की गतिविधियों के संचालन हेतु प्रशासन शाखा, वित्त शाखा, क्रियान्वयन शाखा, प्रकाशन शाखा के अतिरिक्त क्षमता वृद्धि, परियोजना, स्वयंसेवी संस्था तथा अनुश्रवण मूल्यांकन प्रकोष्ठ है।

प्रदेश के प्रत्येक संभाग, जिला व विकास खण्ड में म.प्र. जन अभियान परिषद् के कार्यालय स्थित है। मैदानी कार्यों के क्रियान्वयन व सम्पादन के लिए संभाग, जिला व विकासखण्ड स्तर पर समन्वयक पदस्थ हैं।

शासी निकाय –

म.प्र. जन अभियान परिषद् उच्च स्तरीय शासी निकाय द्वारा संचालित संस्था है। शासी निकाय में पदेन अध्यक्ष म.प्र. शासन के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हैं।

शासी निकाय के सदस्यों में शामिल है –

- स्कूल शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, ग्रामोद्योग विभाग, वित्त विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्थानीय शासन, नगरीय

कल्याण विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जनशक्ति नियोजन विभाग, गृह विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्रीगण, सभापति कार्यकारिणी सभा।

- शासन द्वारा मनोनित प्रत्येक संभाग से प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं के 15 प्रतिनिधि, जिनमें कम से कम 3 महिलाएँ, 3 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधि शामिल हैं। सचिव ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय भारत शासन या उनके द्वारा मनोनीत एक प्रतिनिधि।
- महानिदेशक, नाबार्ड या उनके द्वारा मनोनीत एक प्रतिनिधि।
- सदस्य सचिव, राज्य शासन द्वारा नियुक्त अधिकारी, जो संस्था के कार्यपालक निदेशक भी हैं।

कार्य अवधि –

संस्था में नामांकित सदस्यों की सदस्यता अवधि 2 वर्ष है, ऐसे सदस्य पुनः नामांकन कर सकते हैं।

सदस्यता की समाप्ति व त्यागपत्र –

किसी भी सदस्य की सदस्यता उसके द्वारा त्यागपत्र देने, पागल होने या दीवालिया होने अथवा किसी चरित्रहीनता के अपराध में दंडित किये जाने पर समाप्त हो सकती है। यदि कोई सदस्य संस्था की सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता है, तो वह संस्था के कार्यपालक निदेशक को संबोधित कर लिखित में दे सकता है।

शासी निकाय के कार्य –

- नीति निर्देश तैयार करना, संचालनके मापदण्ड निर्धारित करना तथा मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यकारिणी सभा को निर्देश देना।
- कार्यकारिणी सभा द्वारा तैयार वार्षिक बजट प्रस्ताव पर विचार व उपयुक्त संशोधन समय–समय पर पारित करना।
- राज्य शासन से विचार–विमर्ष कर संस्था के संचालन हेतु कार्य करने के नियम बनाना, उन्हें संशोधित या निरस्त करना।
- कार्यकारिणी सभा द्वारा तैयार वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करना।
- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केन्द्र एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं स्वयंशासी अभिकरणों की सहभागिता से प्रशासकीय ढांचा तैयार करना।
- कार्यकारिणी सभा या किसी भी अधिकारी या पदाधिकारी को कार्य सौंपना।
- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्यों को आरंभ करना।

कार्य प्रणाली –

- संस्था के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये स्थान, समय एवं दिनांक पर शासी निकाय की बैठक सम्पन्न की जाती हैं। वित्तीय वर्ष में एक वार्षिक सामान्य बैठक करना अनिवार्य है।
- शासी निकाय की बैठक बुलाने के लिये कम से कम 10 दिन पूर्व से सूचना दी जाती है संस्था के अध्यक्ष या तो स्वयं या संस्था के कार्यपालक निदेशक को लिखित में सूचित कर शासी निकाय की बैठक करते हैं।
- बैठक की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संस्था के एक उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जा सकती है। यदि दोनों अनुपस्थित हो तो बैठक की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष द्वारा नामांकित सदस्य द्वारा की जाती है।

- शासी निकाय की बैठक में न्यूनतम कोरम कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई सदस्य का होना अनिवार्य है। यदि कोरम पूरा न हो तो सदस्य सचिव द्वारा बैठक स्थगित कर तुरंत पुनः बैठक की जा सकती है। बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होती।
- शासी निकाय के प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार है। यदि सदस्यों के वोटों के मध्य समानता हो तो विषय के निर्णय के लिये अध्यक्ष या उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे व्यक्ति को निर्णायक वोट देने का अधिकार होगा।
- बैठक में सदस्य सचिव अध्यक्ष की ओर से विषय से संबद्ध किसी शासकीय विभाग या अशासकीय संस्था के प्रतिनिधि या व्यक्ति विशेष को आमंत्रित कर सकते हैं।
- यदि किसी विषय पर तुरंत निर्णय लेना आवश्यक हो तो सदस्यों के बीच वह विषय लिखित में अनुमोदन हेतु भेजा जाता है तथा सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर उपरान्त यह निर्णय निकाय की बैठक में पारित प्रस्ताव की तरह प्रभावशील होता है।
- अध्यक्ष, उपाध्यक्षगण, कार्यपालक निदेशक तथा अन्य निदेशक या अन्य सदस्य जिन्हें कार्यकारिणी सभा द्वारा पदांकित किया गया है, संस्था के अधिकारी हैं।

संस्था के पदाधिकारी –

- कार्यकारिणी सभा।
- सामान्य सभा व कार्यकारिणी सभा या गठित ऐसे कोई भी अन्य पदाधिकारी।
- शासी निकाय द्वारा निर्धारित नियम, विनियम तथा आदेशों के अन्तर्गत संस्था के प्रशासकीय कार्य, कार्यकारिणी सभा द्वारा किये जाते हैं।

कार्यकारिणी सभा की संरचना –

- सभापति मुख्य सचिव म.प्र. शासन

- उपसभापति शासन द्वारा नामांकित अशासकीय सदस्य।

कार्यकारिणी सभा के सदस्य –

- स्कूल शिक्षा, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण, ग्रामोद्योग, वित्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्थानीय शासन, नगरीय कल्याण, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जनशक्ति नियोजन, गृह विभाग, आदिम जाति कल्याण आदि विभागों के प्रमुख सचिव।
- प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं के 5 प्रतिनिधि। यह प्रतिनिधि शासी निकाय द्वारा नामांकित 15 प्रतिनिधियों में से होंगे।
- सदस्य सचिव, राज्य शासन द्वारा नियुक्त अधिकारी, जो संस्था के कार्यपालक निदेशक हैं।

कार्यकाल एवं त्यागपत्र –

कार्यकारिणी सभा में नामांकित सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ऐसे सदस्य पुनः नामांकन के लिये पात्र हैं। पागल होने, दिवालिया होने या किसी चरित्रहीनता के अपराध में दंडित किये जाने पर सदस्यता समाप्त हो जाएगी। जब भी कोई सदस्य सदस्यता छोडने के लिये त्यागपत्र देना चाहता है, तो त्यागपत्र संस्था के कार्यपालक निदेशक को संबोधित कर लिखित में दे सकता है।

कार्यकारिणी सभा की कार्यवाही –

कार्यकारिणी सभा के सभापति द्वारा निर्धारित स्थान समय एवं दिनांक पर प्रत्येक तीन माह में एक बैठक की जाती है। बैठक की अध्यक्षता सभापति करते हैं। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति तथा दोनों की अनुपस्थिति में सभापति द्वारा पदांकित कार्यकारिणी सदस्य द्वारा की जा सकती है बैठक के लिए न्यूनतम कोरम सदस्य संख्या के एक तिहाई आवश्यक है। कोरम पूरा न होने की स्थिति में सदस्य सचिव बैठक स्थागित कर पुनः बैठक कर सकते हैं। सभा के प्रत्येक सदस्य को निर्णय लेने के विषय पर वोट देने का अधिकार है। कार्यकारिणी सभा के सभापति

शासकीय विभाग या अशासकीय संस्था के प्रतिनिधि या व्यक्ति विशेष को उनसे संबंद्ध प्रस्ताव पर विचार के समय आमंत्रित कर सकते हैं।[10]

कार्यकारिणी सभा के अधिकार एवं कार्य –

- शासी निकाय द्वारा दिये गये आदेश, सभी कर्तव्य, शक्तियाँ कार्य एवं अधिकारों का उपयोग संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्यकारिणी सभा द्वारा किये जाते है।
- प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकारों का उपयोग तथा विभिन्न स्तर के पदों का निर्माण करना।
- संस्था के वित्तीय एवं अन्य सभी कार्यकलापों का प्रबंधन एवं नियंत्रण।
- संस्था की गतिविधियाँ एवं कार्यकलाप संचालन के लिए राज्य शासन से विचार विमर्श कर नियम बनाने, संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक या व्यक्तिगत संस्थाओं एवं व्यक्तियों से अनुबंध करने का अधिकार है।
- चल एवं अचल संपत्ति क्रय करना, किराये पर लेना, भवनों का संधारण, परिवर्तन या निर्माण करने का कार्य करेगी।
- शासन द्वारा प्राप्त अनुदान से निर्मित परिसंपत्तियों का विक्रय शासन की पूर्व अनुमति बिना नहीं किया जा सकता, न ही गिरवी रखा जा सकता और न उस उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकते हैं, जिसके लिए अनुदान स्वीकृत किया गया था।
- विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु स्थायी समितियों एवं टास्क फोर्स का गठन तथा इनकी गतिविधियों, सदस्य संख्या, अधिकार तथा कार्यों का निर्धारण करना।
- उचित समझने पर सभापति, उपसभापति, कार्यपालक निदेशक या किसी अन्य सदस्य या समिति व दल या संस्था के किसी अन्य अधिकारी को प्रशासनिक,

वित्तीय तथा शैक्षणिक अधिकार कर्तव्यों के क्रियान्वयन तथा निर्वहन हेतु सीमाएं निर्धारित करना।

- कार्यकारिणी सभा को यह अधिकार है कि वह कार्यक्षेत्र पर ऐसे उपनियम पारित करे जो कार्यकारिणी सभा को दी गई शक्तियों, अन्य प्राधिकारियों या संस्था के उद्देश्यों के विपरीत न हो।

कार्यपालक निदेशक के कार्य –

राज्य शासन द्वारा संस्था के लिये एक कार्यपालक निदेशक नियुक्त है। कार्यपालक निदेशक का यह दायित्व है कि वह कार्यकारिणी सभा के निर्देश एवं मार्गदर्शन में संस्था के प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों का सही–सही प्रबंधन करे तथा विभिन्न गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करवाये।

परिषद् का कोष –

भारत शासन से प्राप्त आवर्ति एवं अनावर्ति अनुदान तथा राज्य शासन या अन्य अभिकरण से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्राप्त अनुदान।

अन्य स्त्रोतो से प्राप्त आय –

संस्था के बैंकों का निर्धारण कार्यकारिणी सभा करती है। संस्था को प्राप्त सभी राशियाँ इसी बैंक खाते में जमा होती है तथा कार्यपालक निदेशक व संस्था द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी के हस्ताक्षरों से जारी चेकों द्वारा ही राशि का आहरण किया जाता है।

लेखा एवं राशि –

- परिषद के पंजीकृत कार्यालय में सभी स्त्रोतों से प्राप्त राशियाँ एवं स्त्रोतों के नाम तथा संस्था द्वारा व्यय की गई राशियों का विवरण, व्यय का उद्देश्य, देनदारियों का विवरण दर्ज है।
- परिसम्पत्तियाँ तथा कार्यकारिणी सभा द्वारा नियुक्त चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा संस्था के लेखों का आडिट किया जाता है। मध्यप्रदेश सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण

अधिनियम, 1973 के नियमों के तहत राज्य शासन के अनुमोदन से संस्था के आडिट के लिये कार्यकारिणी सभा द्वारा उप नियम तैयार किये गये हैं, जिसमें आडिट की प्रवृति, लेखों के प्रारूप तथा उन्हें भरने के विस्तृत निर्देश, आडिट हेतु लेखों का प्रस्तुतिकरण आदि की विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की है।

- कन्ट्रोलर एवं आडिटर जनरल (ड्यूटीज, पावर एवं कन्डीशन ऑफ सर्विस), 1971 के नियमों के तहत भी संस्था के लेखों का आडिट होता है

वार्षिक प्रतिवेदन –

कार्यकारिणी सभा द्वारा राज्य शासन तथा संस्था के सदस्यों को सूचित करने के लिए संस्था की गतिविधियों तथा वित्तीय वर्ष में संपादित किये गये कार्यों, विवरणों का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा एवं आडिट रिपोर्ट संस्था की वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत की जाती है।[11]

संस्था की संपत्ति –

संस्था से संबंधित सभी परिसम्पत्तियाँ संस्था की सम्पति हैं।

कार्यवाही –

यदि कोई सदस्य संस्था के किसी कार्य या संपत्ति को नुकसान पहुँचाये तो संस्था द्वारा उस सदस्य पर कार्यवाही की जा सकती हैं।

राज्य शासन के अधिकार –

राज्य शासन एक या एक से अधिक व्यक्तियों को संस्था के कार्यों एवं प्रगति की समीक्षा करने हेतु नियुक्त कर सकता है। शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संस्था की जाँच की जा सकती है। आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर सकता है। संस्था का यह दायित्व है कि वह इन दिशा निर्देशों का तत्परता से पालन करें।

कार्यालयीन संरचना –

म.प्र. जन अभियान परिषद् का मुख्यालय प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। कार्यालय प्रमुख, कार्यपालक निदेशक हैं। जन अभियान परिषद् की समस्त गतिविधियों के संचालक हेतु शाखा व प्रकोष्ठ बनाए गये हैं।

1. प्रशासन शाखा –

इस शाखा के प्रभारी निदेशक प्रशासन हैं। सहयोग हेतु उप–निदेशक, लेखा अधिकारी, सहायक अधिकारी, कर्मचारी, कम्प्यूटर प्रभाग आदि शामिल हैं। इस शाखा द्वारा राज्य कार्यालय का संपूर्ण प्रबंधन : राज्य, संभाग, जिले व ब्लाक के अधिकारी कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित समस्त कार्य, व्यक्तिगत फाइलों का संधारण, अवकाश, वार्षिक मूल्यांकन विधानसभा, लोक सूचना एवं न्यायालय से सबंधित संकलन व संपादन, शासकीय अधिकारियों, विभागों एवं मंत्रालय से स्व. शासी निकाय, कार्यकारिणी सभा व अन्य समस्त राज्य स्तरीय बैठकें, कार्यालयीन टेंडरों का निर्माण, भंडार, संधारण एवं क्रय संबंधित समस्त प्रक्रियाओं का निर्धारण। वेब डिजाइनिंग, वेब साइट का संधारण, ई–डायरेक्ट्री का संधारण एवं समस्त डाटा संग्रह आदि कार्य संचालित किये जाते है।

2. वित्त शाखा –

इस शाखा में लेखाधिकारी, लेखापाल, सहायक, लिपिक, कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि कार्यरत हैं। इस शाखा द्वारा जन अभियान परिषद् का बजट बनाना, शासी निकाय व कार्यकारिणी सभा की बैठकों में वित्त से संबंधित समस्त कार्यवाही, परिषद् के राज्य कार्यालय का बजट एवं समस्त वित्तीय प्रबंधन का प्रत्यक्ष में संपादन, संभाग, जिला, ब्लाक स्तर के समस्त कार्यालयों के बजट आवंटन व लेखा संबंधी जानकारियों का आदान–प्रदान, समस्त कार्यालयों में देय वार्षिक बजट का लेखा–जोखा, परिषद् के खातों, कैशबुक व लेजर का संधारण, वार्षिक लेखा प्रतिवेदन तैयार करना, कार्यालय का ऑडिट कराना आदि कार्य संचालित किये जाते हैं।[12]

3. परियोजना शाखा –

इस शाखा में चार प्रकोष्ठ क्रमशः– परियोजना, क्षमता विकास, मूल्यांकन, स्वयंसेवी संस्था शामिल है। प्रत्येक प्रकोष्ठ में एक निदेशक व उनके सहयोग हेतु तीन–तीन कार्य प्रबंधकों की टीम प्रस्तावित है। प्रत्येक शाखा अपनी विशेषज्ञता के अनुसार कार्यरत हैं।

(1) परियोजना प्रकोष्ठ : यह प्रकोष्ठ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु परियोजनाओं का निर्माण व क्रियान्वयन, विभिन्न शासकीय, अशासकीय विभागों हेतु परियोजना प्रस्ताव का निर्माण कर आवंटन के लिए प्रस्तावित करता है।

(2) स्वयंसेवी संस्था प्रकोष्ठ : इस प्रकोष्ठ द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं को संस्था निर्माण की जानकारी, शासकीय योजनाओं एवं विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी देना, म.प्र. जन अभियान परिषद् के नवांकुर, प्रस्फुटन व दृष्टि योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।

(3) क्षमता विकास प्रकोष्ठ : इस प्रकोष्ठ में स्वयंसेवी संस्थाओं हेतु राज्य, संभाग, जिला एवं ब्लाक स्तर पर आवश्यकता अनुरूप विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना। राज्य संभाग, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को समय–समय पर व्यक्तित्व विकास अथवा अन्य आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। परिषद् की भावी योजनाओं नवांकुर, प्रस्फुटन, सृजन, दृष्टि के अंतर्गत शामिल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन एवं संचालन। राज्य स्तर पर आवश्यकतानुसार विभिन्न ट्रेनिंग माड्यूल व संदर्भ सामग्री तैयार करना शामिल है।

(4) मूल्यांकन प्रकोष्ठ : प्रकोष्ठ द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर आधारित मूल्यांकन रिपोर्ट निर्माण। विविध परियोजनाओं की स्टडी रिपोर्ट निर्माण। शासकीय एवं अशासकीय योजनाओं की मांग अनुरूप परियोजनाओं का मूल्यांकन कर रिपोर्ट निर्माण। राज्य, संभाग, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर सम्पन्न कार्यक्रमों की राज्य स्तरीय रिपोर्ट निर्माण एवं उनका मूल्यांकन किया जाता है।

4. प्रकाशन शाखा –

इस शाखा में शाखा प्रमुख के अतिरिक्त डिजाइनर, कंपोजिंग युनिट कार्यरत है। शाखा द्वारा विभागीय मासिक पत्रिका के प्रकाशन के अतिरिक्त वेबसाइट संदर्भ व सभी प्रकार का लेखन, मुद्रण व प्रचार वार्षिक प्रतिवेदन, विज्ञप्ति जारी करना तथा पुस्तकालय का संचालन किया जाता है।

5. क्रियान्वयन शाखा –

इस शाखा अंतर्गत मैदानी गतिविधियों का पर्यवेक्षण दो क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा किया जाता है जो राज्य कार्यालय में पदस्थ हैं। इस शाखा में क्षेत्रीय निदेशक संभाग, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर मैदानी गतिविधियों को संभाग, जिला एवं ब्लॉक समन्वयकों के माध्यम से संचालित करते हैं। शाखा द्वारा राज्य कार्यालय में तैयार की गई विभिन्न परियोजनाओं का संभाग, जिला व ब्लॉक स्तर पर क्रियान्वयन, निरिक्षण व संचालन किया जाता है।

परिकल्पना –

समाज का समग्र विकास एक सामूहिक प्रयास है। इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए अनेक स्वयंसेवी संस्थाएँ विभिन्न क्षेत्रों में लगन व तत्परता से कार्यरत रही हैं। शासन व इन संस्थाओं का मूल उद्देश्य एक होते हुए भी, दोनों के कार्य सदैव समानांतर रहे हैं। म.प्र. शासन ने इस अंतर के बीच छिपी अनंत संभावनाओं व शक्ति को महसूस किया और शासन व स्वयंसेवी संस्थाओं को एक साथ, एक मंच पर लाने का अभिनव प्रयास किया, जिसे नाम दिया गया जन अभियान परिषद्।

परिषद् ने समाज की, आवश्यकता, क्षमता, भावना, दक्षता के आंकलन और अनुकूलन हेतु स्वयंसेवी संगठनों को उपयुक्त माना है। जन अभियान परिषद् का लक्ष्य है अपने में समाहित जन संगठनों के माध्यम से प्रदेश के एक–एक व्यक्ति तक पहुँचना। केवल समाज की अंतिम पंक्ति में खडे अंतिम व्यक्ति तक ही नहीं,

बल्कि पर्वत कंदराओं और दुर्गम वन प्रांतों में बसे उन वनवासियों तक भी जिन्हें अभी पंक्ति की परिभाषा का ज्ञान नहीं है।[13]

म.प्र. जन अभियान परिषद् की मूल दृष्टि है स्थानीय ज्ञान, कौशल और परम्पराओं के साथ जनता को विकास अभियान से जोडना। जनता अपने ही ज्ञान को संजोए, आत्मविश्लेषण करें, आत्मनिर्भर हो, विकास करे और आत्मसम्मान का जीवन जीए। इस विकास अभियान में जन अभियान परिषद् पथ भी है और पथ–प्रदर्शक भी।

स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्य व महत्व को मान्यता देने का यह संभवतः पहला और अनूठा कदम है। सरकार और जनता के बीच सेतु के रूप में स्वयंसेवी संस्थाओं को संपूर्ण क्रांति का वाहक बनाना परिषद् का आधार स्वप्न है। इसीलिए परिषद् ने व्यवस्था और लोगों के बीच स्वयंसेवी जगत को खिवैया के रूप में निरूपित किया है। स्वयंसेवी संस्थाओं का आधार सेवा है और सेवा आत्मा से होती है। आत्मा से किये गए कार्य ही सबसे प्रामाणिक और खरे होते हैं। जन अभियान परिषद् की आत्मा जनकेन्द्रित है। परिषद् की दृष्टि में यह अभियान जन–विकास का पवित्र यज्ञ है। सामाजिक विकास के इस महायज्ञ की पूर्ण आहूति तभी होगी जब जन जुडे जन के लिए, जन–जन समिधा बनें। अपनी अनंत ऊर्जा के अंश से विकास के महायज्ञ को पूर्ण करे। ऐसा क्रांतिवाहक समाज ही सार्वभौमिक विकास का आरंभ है।

कार्यक्षेत्र –

म.प्र. देश का हृदय प्रान्त है। हृदय का कार्य सम्पूर्ण शरीर में परिलक्षित होता है। सम्भवतः इसीलिए प्रकृति ने सृजन के लिए आरम्भिक आवश्यकताओं के सभी संसाधनों से मध्यप्रदेश को समृद्ध किया है। फिर भी यह दुर्योग रहा कि ना तो मध्यप्रदेश अपने संसाधन का समुचित उपयोग अपने विकास में कर पाया और ना सम्पूर्ण राष्ट्र के सामने हृदयरूपी आदर्श का उदाहरण प्रस्तुत कर पाया। विस्तृत

भौगोलिक क्षेत्र, विशाल जनसंख्या और प्राकृतिक–सामाजिक विविधता, म.प्र. में समग्र विकास के लिए सतत् चुनौती रही है। इसीलिए जन अभियान परिषद् ने अपने कार्यक्षेत्र की सीमाएँ, मध्यप्रदेश की भौगोलिक सीमा को ही माना है। इस प्रदेश के नगरों, गाँवों, वन–प्रांतों और पर्वत–कंदराओं में बसे वनवासी, गिरिवासी, ग्रामवासी और नगरवासी जन अभियान परिषद् के कार्यक्षेत्र के प्रमुख अंग है, अवयव हैं और उपकरण भी, जो विकास की अवधारणा को आकार देने में सहभागी होंगे।

कार्यशैली –

विकास के श्रेष्ठतम् परिणामों के लिए आवश्यक है कि उससे जुडे हुए, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य स्पष्ट हो और उसके कार्य व अस्तित्व को सही मान मिले। जब तक व्यवस्था में आयोजकों और आयोजितों के बीच भेद की रेखा दिखाई देगी किसी भी योजना का अधिकतम लाभ वांछितों तक पहुँच पाना असंभव है। इसलिए म.प्र. जन अभियान परिषद् ने अपनी कार्यशैली को यथा संभव सहज बनाने का प्रयास किया है। जन दर्शन पर आधारित म.प्र. जन अभियान परिषद् की कार्यशैली में सहजता से संपर्क, आत्मीयता एवं योजनाओं का सरलीकृत प्रस्तुतिकरण समाहित है, ताकि सभी संबंधित लोगों में हर स्तर पर समझ विकसित हो। समझ विकसित होने पर ही चेतना का वह बिन्दु उभरेगा, जो भावी विकास का स्वरूप धारण करेगा। अतः अपने से जुडे संगठनों, समूहों और व्यक्तियों से मित्रवत और आत्मीय व्यवहार रखना परिषद् की कार्य प्रणाली का महत्वपूर्ण बिंदू है। परिषद् की कार्यशैली सरल और पारदर्शी है। इसमें विचारों की सकारात्मकता और व्यवहार में विश्वसनीयता पहली प्राथमिकता है। शासन को सुझाव देने, सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने, संबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी व योजनाओं के क्रियान्वयन के अपने मुख्य कार्यों को संपादित करते हुए परिषद् संबंधित सभी पक्षों के प्रति प्रामाणिक रहने का उत्तरदायित्व भी निभाएगी। कार्यों की तत्परता और निर्णयों मे त्वरितता को अंगीकार कर म.प्र. जन–अभियान परिषद्, जहाँ अपने से जुडे सभी

व्यक्तियों में विश्वसनीयता उत्पन्न करेगी, वहीं उन सबके बीच आपस में आत्मीय भाव का संचार करने का प्रयास करेगी।

परिषद् अपनी सम्पूर्ण कार्यशैली में सकारात्मक समालोचना द्वारा उत्कृष्टता का प्रयास करेगी। संगठनों की समर्थता को स्वीकार करते हुए, उनके साथ मिलकर समाज का विकास ही परिषद् की कार्यशैली का मूल आधार है। हमें समग्र विकास की अवधारणा को साकार करने के लिये समाज एवं संगठन में संवाद और कार्यविस्तार की ऐसी सहज–सरल गंगा बहाना है, जिससे जन– जन जुडकर विकसित हो सके।

कार्य विस्तार–

किसी भी समाज, प्रांत और राष्ट्र का विकास तब तक संभव ही नहीं है जब तक उससे जुड़े हुए अथवा उसमें निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति विकास की अवधारणा में सम्मलित नहीं हो। म.प्र. के विकसित स्वरूप के लिए आवश्यक है कि प्रदेश का हर वासी अपने स्वभाव, क्षमता और दक्षता के अनुरूप, अग्रिम पंक्ति में खड़े होने के प्रयास में सम्मिलित हो। म.प्र. जन अभियान परिषद् ने इसी काम का बीड़ा उठाया है। उसे अपने कार्य का विस्तार समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक करना है, उस तक पहुँचना है। उसे विकास का साथी बनाना है। जब तक वह व्यक्ति जन विकास की अवधारणा के रूप में सक्रिय नहीं होगा, तब तक म.प्र. के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती।

परिषद् को विकास के लिए आवश्यक तत्वों और तथ्यों तक पहुँचना है। हर उस गाँव तक और उस बस्ती तक परिषद् को अपना कार्य विस्तार करना है, जो अब तक अशिक्षा और पिछड़ेपन के अंधेरे में अपनी जिन्दगियाँ जीने को मजबूर हैं, उन तमाम जन समूहों और जन क्षमताओं को अपना भागीदार बनाना है, जिनमें ऊर्जा और क्षमता की असीम संभावनाएँ छिपी हुई हैं। इसके लिए इन असीमित संभावनाओ और क्षमता वाले स्थानीय जनों को जोड़कर स्वयंसेवी संगठन बनाए

जायेंगे। म.प्र. में भाषा, जीवन शैली और व्यवहार की विविधता के बावजूद उन्हें शिक्षित और प्रशिक्षित कर विकास की मूलधारा से जोड़ा जाएगा।

यह स्वयंसेवी समूह अपने क्षेत्र के संसाधनों, आवश्यकताओं, विशेषताओं, वर्जनाओं और सृजनाओं के तत्वों का अध्ययन करेंगे। उनका कार्य व्यवहार में उपयोग कर गाँव और क्षेत्र को आदर्श क्षेत्र बनाने में सहभागी होंगे। परिषद् अपने कार्य का विस्तार स्थानीय लोगों से निरन्तर संपर्क सहयोग के साथ संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और समूह–समागमों द्वारा करेगी। व्यवस्था और समाज के बीच समन्वयक की भूमिका निभाना ही जन अभियान परिषद् के कार्य विस्तार का आधार है।

सहभागिता –

जन अभियान परिषद् ने सृजनात्मक और सकारात्मक सोच से सहभागिता द्वारा एक संतुलित संसार के निर्माण की अभिकल्पना की है। सदियों से हमें साथ चलने, साथ बोलने की प्रेरणा हमारे पूर्वज द्वारा है। यही भाव लोकतंत्र का है और जन अभियान परिषद् का भी। परिषद् द्वारा सहभागिता का लक्ष्य आंमत्रित है, सहभागिता में कार्य एवं भाग दोनों शामिल है जिसमें सेवा की भावना है, जो समाज के लिए मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, किसी भी रूप में कुछ करने की इच्छा रखता हों, आंमत्रित है। आप अपने भाव से, विचार से, श्रम से, साधन से, संवाद से, कार्य से जुड सकते हैं। साथ चलने, साथ बैठने के इस यज्ञ में देने के भाव में परस्पर पूरकता है। यहाँ सभी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से आगे बढेंगे, सकारात्मक समालोचना द्वारा कमियों को दूर करेंगे और उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होंगे। नये प्रयोग का समावेश और सहभागिता से सभी पक्ष लाभन्वित होंगे। हम व्यवस्था, समाज और स्वयंसेवी संगठनों के बीच समपूरकता से सहभागिता का एक ऐसा सेतु निर्मित करेंगें जिसमें सभी एक–दूसरे के सहायक हो, सहभागी हो, विकसित हो। एक मंच पर इकट्ठे होकर उत्पादकता को विस्तार दें तथा समाज की क्रियाशीलता को संगठित करके जागृति और जन–निर्माण के काम में जुटें।

विश्व के एक गाँव में सिमटती आधुनिक दुनिया की दौड में हम अपने मध्यप्रदेश को तभी आगे रख सकेंगे, जब विकास की धारा में काम करने वाले सभी व्यक्ति, व्यवस्था और संगठन परस्पर सहभागी हों। स्वयंसेवी संगठन अपनी क्रियाशीलता और सकारात्मक सोच के लिए लोकप्रिय है। संगठनों की सेवा भावना और सामर्थ्य को देखकर ही म.प्र. जन अभियान परिषद् इनके सहयोग से विकास की धारा को तेज गति से बहाने के लिए प्रयासरत है। इस प्रयास में आप सब सहभागी बनें। शायद हमारा यह प्रयास भगीरथी हो।

जलाभिषेक –

मुख्यमंत्री ने जलाभिषेक अभियान को जल–जन अभियान बनाने का संकल्प लिया है, मध्यप्रदेश शासन की इस अभियान के संदर्भ में जीवन्त और सक्रिय भूमिका रही है। जलाभिषेक के कई आयाम है, जल का पावन अभिषेक निर्मलता से ही संभव है, आज जल की जितनी भी उपलब्धता है। चाहे वह नदी के रूप में हो, झील के रूप में हो या फिर कुओं व तालाबों के रूप में हो, उसकी शुद्धता के संदर्भ में कई प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाने है। इस महाप्रदुषण के स्त्रोत भी हम ही है।

जल की उपलब्धता पर कई विद्वान लेखकों, भू–वैज्ञानिकों के आँकड़ें व तथ्य प्रस्तुत किये है, इस प्रकार पर जल–वितरण की विषमता, पूरे विश्व में व्याप्त है, हमारे देश के संदर्भ में जल के स्त्रोत के रूप में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, मानसूनी वर्षा जिनसे धरातलीय जल, भूमिगत जल मिलता है। भारत में जल संसाधन की प्रमुख समस्या वर्षा की कमी, शुद्ध पेयजल का अभाव, जल का दुरूपयोग, जल प्रदुषण, विकराल बाढ़ व सूखे की स्थिति मुख्य है।

जलाभिषेक अभियान, इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए समग्र रूप से तत्पर होने की पहल है। पानी में इतना बल है कि वह किसी भी व्यक्ति की सोच को सकारात्मक मोड़ दे सकता है।

अभियान – जल के प्रत्येक पक्ष के प्रति संवेदना जगाने की पहल है। ''रामचरित मानस में – जल अभिषेक के प्रसंग में .....

जब शरणागत विभीषण श्रीराम से मिलते है तब श्री राम समुद्र जल से विभीषण का अग्रिम राज्यभिषेक करते हैं।

''एवमस्तु कहि – प्रभु रन धीरा माँगा तुरत सिंधु कर नीरा।

अस कहि राम तिलक तेहि सारा सुमन बृष्टिनभ भई अपारा।।''[14]

तब सिंधु नीर निर्मल रहा होगा। आज उसी जल के भाल पर निर्मलता का, संरक्षण का, संचय का, संग्रहण का, धरा जल स्तर के उन्मुखीकरण का, उन्नयन का, अभिषेक करने के लिए हम सभी को निरंतर प्रयत्न के साथ तत्पर होना होगा।

मानव जाति की आवश्यक मूलभूत चीजें हवा, पानी, जल सूर्यप्रकाश आदि प्रकृति ने भरपूर मात्रा में प्रदाय की है। उदाहणस्वरूप किसी क्षेत्र के मानव समुदाय के लिए जीवन यापन हेतु जितने जल की आवश्यकता होती है, प्रकृति द्वारा वर्षा के माध्यम से उससे कई गुनी व्यवस्था की गई है। आज की परिस्थितियों में विकास एवं जीवन शैली में परिवर्तन के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इतना अत्याधिक करना शुरू कर दिया है, कि साधन कम पड़ते दिखाई देने लगे हैं। मानव ने गंभीरता से संसाधनों के दोहन पर नियंत्रण नहीं दिया तो भविष्य में परिस्थितियाँ निश्चित ही भयानक होगी।

मध्यप्रदेश राज्य में जलाभिषेक अभियान के माध्यम से शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं द्वारा जल जैसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन की व्यवस्था पर कार्य प्रारंभ किया है। आठनेर क्षेत्र बैतूल जिले में सबसे कम वर्षा जल क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जल का संरक्षण एवं उसके उपयोग पर नियंत्रण आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। क्षेत्र में जल संसाधन प्राकृतिक तरीके से बढ़ाए जाना अपरिहार्य है। यह कार्य मात्र शासन की सक्रियता या शासन द्वारा प्रदत्त अनुदान से संचालित स्वयं सेवी संस्थाओं की सहभागिता से संभव नहीं दिखाई देता इस पुनीत कार्य को सभी

मिलकर करने की भावना से प्रेरित होकर किया जाना श्रेष्ठ होगा। वर्षा का संधि संबंध वृक्षों से है, अतः जलभिषेक अभियान के साथ वृक्षा रोपण का अभियान समानान्तर चलाना उपयुक्त होगा।

देश की माटी, देश का जल। हवा देश की, देश के फल।।

सफल बने प्रभु, सफल बने।।

क्षेत्र में जलाभिषेक अभियान को सफल बनाने हेतु निम्न कार्ययोजना प्रभावकारी हो सकती है।

1. समिति का निर्माण

(अ) आठनेर क्षेत्र के जनभागीदारी से सौ जनों महिला व पुरूष की एक समिति बनाई जाये जिसमें कार्य को प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी सहयोग देने की दृष्टि से सिंचाई विभाग, पी.एच.ई., वन विभाग एवं राजस्व विभाग के ऐसे कर्मचारी– अधिकारी सम्मिलित किये जाये तो तकनीकी ज्ञान रखते हैं। इस समिति में गायत्री परिवार के परिजनों, विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न संगठनों के सेवा भावी कार्यकर्ताओं को सम्मिलित किया जाए। समिति के किसी सदस्य को मनोनित किया जाना उचित नहीं होगा, न ही ऐसे जनों को जोड़ा जाए जो किसी भी प्रकार के आर्थिक लाभ श्रेय या अन्य लाभ की मानसिकता रखते हैं। समिति बनाते समय सम्मिलित महानुभावों को उपरोक्त बात स्पष्ट रूप से बता दी जाए।

(ब) समित के कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए किसी भी प्रकार के अनुदान की व्यवस्था न की जाए। यह भी अपेक्षित है कि समिति के कार्यों में किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप न हो। यह कार्य पूर्ण रूप से जन भागीदारी के माध्यम से सफल बनाने का समिति के सदस्य प्रयास करेंगे।

2. (अ) कार्य का चुनाव

समिति के माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से आठनेर क्षेत्रांतर्गत एक कार्य पूर्ण किया जाए।उदाहरण स्वरूप प्रथम वर्ष आठनेर क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम में एक तालाब निमार्ण का कार्य।

(ब) कार्य हेतु योजना

स्थान चयन –वन विभाग, राजस्व विभाग, जल यांत्रिकी एवं सिंचाई विभाग के समिति में सम्मिलित कर्मचारियों– अधिकारियों के माध्यम से प्रत्येक ग्राम में गणमान्य नागरिकों के विचार–विमर्श कर तालाब निमार्ण हेतु उपयुक्त स्थान का चयन।

जन जाग्रति –गायत्री परिवार के परिजनों के माध्यम से क्षेत्र में जल वातावरण के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम में दीपज्ञ आयोजित कर योजना के उद्देश्य एवं जनभागीदारी हेतु वातावरण तैयार किया जाए। यह कार्य समिति में सम्मिलित गायत्री परिवार के परिजनों को सौंपा जा सकता है।

3. योजना हेतु संसाधन

अपना विकास स्वयं के द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु साधन निम्नानुसार जुटाए जा सकते हैं। क्षेत्र के जनों की भागीदारी हेतु 18 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र के जनों से वर्ष में सबके हित के निमित्त एक दिन का समय दान प्रातः 6 बजे से संध्या 6 बजे तक बीच में 2 घंटे का भोजन एवं विश्राम हेतु अवकाश/समय दानी भाई–बहन अपनी भोजन व्यवस्था हेतु वर्ष में एक किलोग्राम अन्न दान भी प्रदान करें, साथ अन्य साधनों की व्यवस्था हेतु (जैसे – गैंती, फावड़ा, धमेले आदि) प्रति समय दानी भाई बहन प्रति माह एक रूपये के हिसाब से अर्थ–दान स्वेच्छा से देना स्वीकार करें।

समय, दान, अन्नदान एवं अर्थदान के संकलन हेतु 24 समयदानी भाईयों पर उनमें से एक जिम्मेदार बनाया जाए। जो इस पुनीत कार्य को ईमानदारी,

जिम्मेदारी, समझदारी एवं उत्साह से करने का उत्सुक हो इन जिम्मेदार जनों के माध्यम से संसाधनों के संकलन एवं नियोजन का कार्य आसानी से किया जा सकता है।

व्यवस्था को और सुचारू रूप से चलाने के लिए 24 जिम्मेदारों में से एक समझदार बनाया जा सकता है। इस प्रकार एक समूह का निम्न स्वरूप हो जाएगा।

इस प्रकार प्रत्येक ग्राम में 576 समयदानियों के एक समूह के हिसाब से जितने समूह बन सकें, बनाकर कार्य योजना को मूर्त रूप प्रदान करना एक दम सरल एवं संभव है।

भारत की शस्य श्यामलता भूमि में सारे विश्व के जनों को पालने की क्षमता है। भारतीयों के मस्तिष्क में सारे विश्व को नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता है। हम पिछड़े और गरीब नहीं है। पिछड़े और गरीबी की नकारात्मक सोच हटा दो और जुट पड़ो अपने विकास में, फिर देखों भारत की तस्वीर बदल जाएगी।

उपरोक्त समझदार, जिम्मेदार एवं समयदानी भाईयों एवं बहनों के समूहों के निमार्ण की जिम्मेदारी गायत्री परिवार एवं सेवी संगठनों से जुड़े समिति के सदस्यों को सौंपी जा सकती है।

वर्ष के अंत तक के वर्तमान वर्ष के कार्यों की समीक्षा कर अगले वर्ष की रूपरेखा निर्धारित की जाए। आवश्यक हो तो समिति का पुनः निर्माण किया जा सकता है। समिति में कोई पर अध्यक्ष का भय न हो। समिति के समस्त सदस्य एक–दूसरे को बराबरी का समझे, सलाह लें, सम्मान दें।

4. अन्य सहभागी योजनाएँ

(अ) क्षेत्र के प्रत्येक घर में जहाँ छत का पानी गिरता हो, वहाँ 3–3 का गड्ढा बनाकर उसमें रेत, बजरी, छोटे पत्थर भर दिए जाएं ताकि जल का संचय हो सके।

(ब) क्षेत्र में प्रत्येक घर में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ लकड़ी या कण्डे की राख से बर्तन मलने का कार्य किया जाता है, वहाँ दो–दो नीम के पौधें रोपित किये जा सकते हैं।

अब मध्यप्रदेश शासन, प्रशासन और बुद्धिजीवी वर्ग सभी अपनी उदार भावना से पेयजल समस्या पर कुछ कर गुजरने के लिए संकल्पित हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 अपैल 2007 को केन्या यू.एन. हेबिटेट के सम्मेलन में समुदाय आधारित अपनी पेयजल आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो योजना लागू की वे पूरे एशियाई देशों के लिए एक नजीर होगें। उपरोक्त योजनाएँ निम्नलिखित है –

1. स्वजल धारा योजना
2. जल अभिषेक अभियान
3. 1 अप्रैल 2014 की स्थिति
4. मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना

5. सरकार एवं प्रशासन –

राजनेता विधायिका में नीति निर्माण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भाग लेता है, साथ ही मंत्री के रूप में कार्यपालिका के शीर्ष पर विराजित होता है, अतः राजनीतिक इच्छा शक्ति सुशासन की स्थापना का अतिआवश्यक एवं अनिवार्य तत्व है।

आज की स्थिति यह है कि मंत्री गण उसी प्रकार की राय अधिकारियों से सुनना चाहते हैं, जो उसके इरादों के अनुकूल हो। निष्पक्ष रूप से राय देने की परंपरा प्रायः समाप्त होती जा रही है।

उनके अधिकारी जिन्होंने निष्पक्ष राय दी उन्हें उसके परिणाम भुगतने पड़े, उनका स्थानांतरण अमहत्वपूर्ण पद पर कर दिया या अन्य तरीकों से उन्हें शासन की अप्रसन्नता कबूल कराई गई। जिससे प्रशासन में राजनीतिक सदस्यता प्राप्त करने की लालसा बढ़ती है।

ज्ञान की वैश्विकता, नेतृत्व की नैतिकता तथा सामूहिक प्रयत्नों की सकारात्मकता सुशासन को सुनिश्चित करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सुशासन के निर्धारण में नेतृत्व का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। नेतृत्व समुदाय के सदस्यों को स्वेच्छा से सहयोग देकर सार्वभौमिक कल्याण को प्राप्त करने को प्रेरित करते हैं, जिससे विविधता को सम्मान प्राप्त होता है व सार्वजनिक हित के लिए व्यक्तिगत हित का त्याग होता है। परिणाम स्वरूप सुशासन का स्वतः विकास होता है। इस प्रकार राजनीतिक नेतृत्व की इच्छाशक्ति सुशासन की निर्धारक है।

नेतृत्व को साहसी, उद्यमी एवं नवाचारी होना चाहिए, ऐसा नेतृत्व ही अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति करने में सक्षम होता है। जिसे साफ्ट स्टेट राज्य की संज्ञा देते है। राजनैतिक इच्छा शक्ति का ज्वलंत उदाहरण चीन का विकास मण्डल है, जब राजनीति अपना अनावश्यक प्रभाव प्रशासन में डालती है, जो प्रशासनिक कृत्यों में अवरोध उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप लक्ष्यों की प्राप्ति में विचलन पैदा होता है जब राजनीति शक्ति का प्रयोग प्रशासन को अपने प्रति प्रसिद्ध करने में करता है तो प्रशासनिक कृत्यों की तारतम्यता भंग हो जाती है। प्रशासन में गुणवत्ता एवं योग्यता की बजाय राजनीतिक संरक्षण की होड़ शुरू हो जाती है। राजनैतिक नेतृत्व की इच्छा शक्ति ही निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। कतिपय भारतीय राजनेताओं ने अपनी संकल्प शक्ति के माध्यम से ही अपने विचारों को वास्तविक रूप दिया।

राजनैतिक इच्छा शक्ति राजनीतिक घोषणा पत्रों से पता चलती है, जिसके क्रियान्वयन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। प्रशासन एक ऐसा तंत्र है, जिसे ठीक तरह से इस्तेमाल किया जाये तो वह उपयोगी साबित होता है। अतः राजनीतिक संकल्पों को पूर्ण करने के लिए प्रशासन का सचेतन प्रयोग आवश्यक है, कितु प्रशासन का उपयोग दलगत स्वार्थों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इस हेतु भी राजनीतिक इच्छा शक्ति आवश्यक है।

लेकिन ऐसी राजनीतिक इच्छा जिससे सुशासन को सुनिश्चित करके किया जा सके, के लिए स्वच्छ छवि के राजनेता का होना भी आवश्यक है। अतः चुनाव आयोग की अनुशंसाओं को लागू कर राजनैतिक स्वच्छता को बढ़ाया जा सकता है। जिससे प्रतिबद्ध एवं योग्य राजनेताओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलते है।

चुनाव की सिफारिशें –

1. अपराधियों के चुनाव में भाग लेने पर रोक लगे।
2. 1951 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन हो क्योंकि इसके अनुसार न्यायालय द्वारा सजा सुनाने पर ही चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। अतः केस के चलते कानून तोड़ने वाला ही कानून निर्माता बन जाता है।
3. 5 वर्ष से अधिक वर्ष की सजा के मामलों में न्यायालय का फैसला होते ही इन सब रोक लगे।
4. जांच आयोग द्वारा दोषी करार दिए जाने पर चुनाव लड़ने से रोक।
5. इस तरह के आरोप राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते लगाए जा सकते हैं अतः चुनाव के 6 माह पूर्व लगाए गए। अभियोगों के संदर्भ में ही यह रोक लागू हो।
6. दल बदल की अयोग्यता का निर्धारण चुनाव आयोग द्वारा किया जाए जिससे निर्णयों का सम्मान हो।
7. ऋणात्मक तथा तटस्थ मतदान शुरू किए जाए।
8. राजनीतिक दलों के लेखों का वार्षिक प्रकाशन अनिवार्य हो।

भारत में अनेक राजनीतिक पार्टियाँ है। प्रदेशों में विभिन्न पार्टियों के शासन कार्यरत है। विडम्बना यह है कि शासन में राजनैतिक पार्टी परिवर्तन के फलस्वरूप व्यवस्था में कोई खास कटौती नहीं आती। केवल उन्नीस, बीस का फर्क दिखता है। सत्ता के स्थान में केवल पार्टियों का बदलाव होता है पर नेतृत्व के सोच विचार और संकल्पों में मौलिक परिवर्तन नहीं होगा। सुशासन हेतु आवश्यक है कि प्रशाासन पारदर्शी, जवाबदेह, जनसहभागी तथा जनकल्याण केन्द्रित हो। जब किसी

कृत्य के संकल्प से विचलन की संभावना होती है, तो वहां पारदर्शिता का हमेशा अभाव होता है। जिसके परिणामस्वरूप जवाबदेहीता सुनिश्चित नहीं हो पाती। इस प्रकार ऐसे शासन में जन सहभागिता तथा जनकल्याण केन्द्रण का विचार भी बेईमानी होगा अर्थात् इच्छा शक्ति (संकल्प) एवं क्रियान्वयन में भी तारतम्य होना आवश्यक है।[15]

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. मध्यप्रदेश ''आज और कल'' प्रकाशक रामभुवन सिंह कुशवाह, अरूणा कुशवाह, प्रियंका ऑफसेट 25 प्रेस काम्पलेक्स, भोपाल पृष्ठ सं. 53
2. अवस्थी मध्यप्रदेश प्रदेश प्रशासन, हिन्दीग्रंथ अकादमी, भोपाल, पृष्ठ सं. 26
3. सबका साथ सबका विकास'' प्रकाशक आयुक्त जनसंपर्क, भोपाल पृष्ठ सं. 83
4. मध्यप्रदेश शासन दैनंदिनी म.प्र. शासन, भोपाल, पृष्ठ सं. 62
5. सहायक आयुक्त कार्यालय : जिला संयोजक, भोपाल, पृष्ठ सं. 13
6. आँकड़े मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग, भोपाल मध्यप्रदेश, 2009
7. आँकड़े मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग, भोपाल मध्यप्रदेश, 2013
8. वर्मा रामस्वरूप, अछूतों की समस्या व समाधान पृष्ठ सं. 39
9. www.janabhiyanparishad.com
10. www.mpjap.org.2012
11. www.mp.gov.in
12. www.mponline.gov.in/portal/services/cmrf/indexhihtml
13. www.mponline.gov.in/portal/services
14. तुलसीकृत रामचरित मानस पृष्ठ सं. 168
15. www.mp.gov.publicrelation.in

सप्तम् अध्याय

सर्वेक्षण का विश्लेषणात्मक अध्ययन

उत्तरदाताओं की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति –

अध्याय षष्ठम् में भाजपा के कार्यकाल का अध्ययन करने के पश्चात् अध्ययन क्षेत्र में निवास करने वाले उत्तरदाताओं की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति की सामान्य जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक प्रतीत होता हैं।

समाज में मानव की सामाजिक स्थिति के निर्धारण में आयु का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रस्तुत शोध कार्य में चयनित निदर्शन उत्तरदाताओं से आयु के संबंध में जिन तथ्यों को संकलित किया गया, उनसे निम्नलिखित तालिका निर्मित हुई हैं।

तालिका क्रमांक 7.01

उत्तरदाताओं की आयु की संरचना

क्र.	आयुवर्ग	संख्या	प्रतिशत
01	20–25	36	12
02	26–30	45	15
03	31–35	60	20
04	36–40	51	17
05	41–45	45	15
06	46–50	30	10
07	51–55	15	05
08	56–60	09	03
09	61–65	06	02
10	66– से ऊपर	03	01
	योग	300	100

तालिका क्रमांक 7.01 से स्पष्ट होता है कि 47 प्रतिशत उत्तरदाता 20–35 वर्ष की आयु समुह के है अध्ययन हेतु परिवार मुखिया के स्थान पर परिवार में रहने वाले युवाओं को उत्तरदाता के रूप में चयनित किया गया है। 42 प्रतिशत ही उत्तरदाता 36 से 50 वर्ष के आयु समूह के है। 10 प्रतिशत उत्तरदाता 51 से 65 वर्ष के बीच के आयु समूह के सदस्य है इनमें परिवार के मुखिया को उत्तरदाता के रूप में चयनित किया गया है एवं शेष 1 प्रतिशत उत्तरदाता 65 वर्ष से ऊपर आयु समूह के हैं।

भारतीय समाज में लिंग भी व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं उसकी सामाजिक प्रस्थिति एवं भूमिका का महत्वपूर्ण निर्धारक तथ्य है। प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाताओं से प्राप्त तथ्यों के अनुसार लिंग से संबंधित निम्न तालिका निर्मित होती हैं।

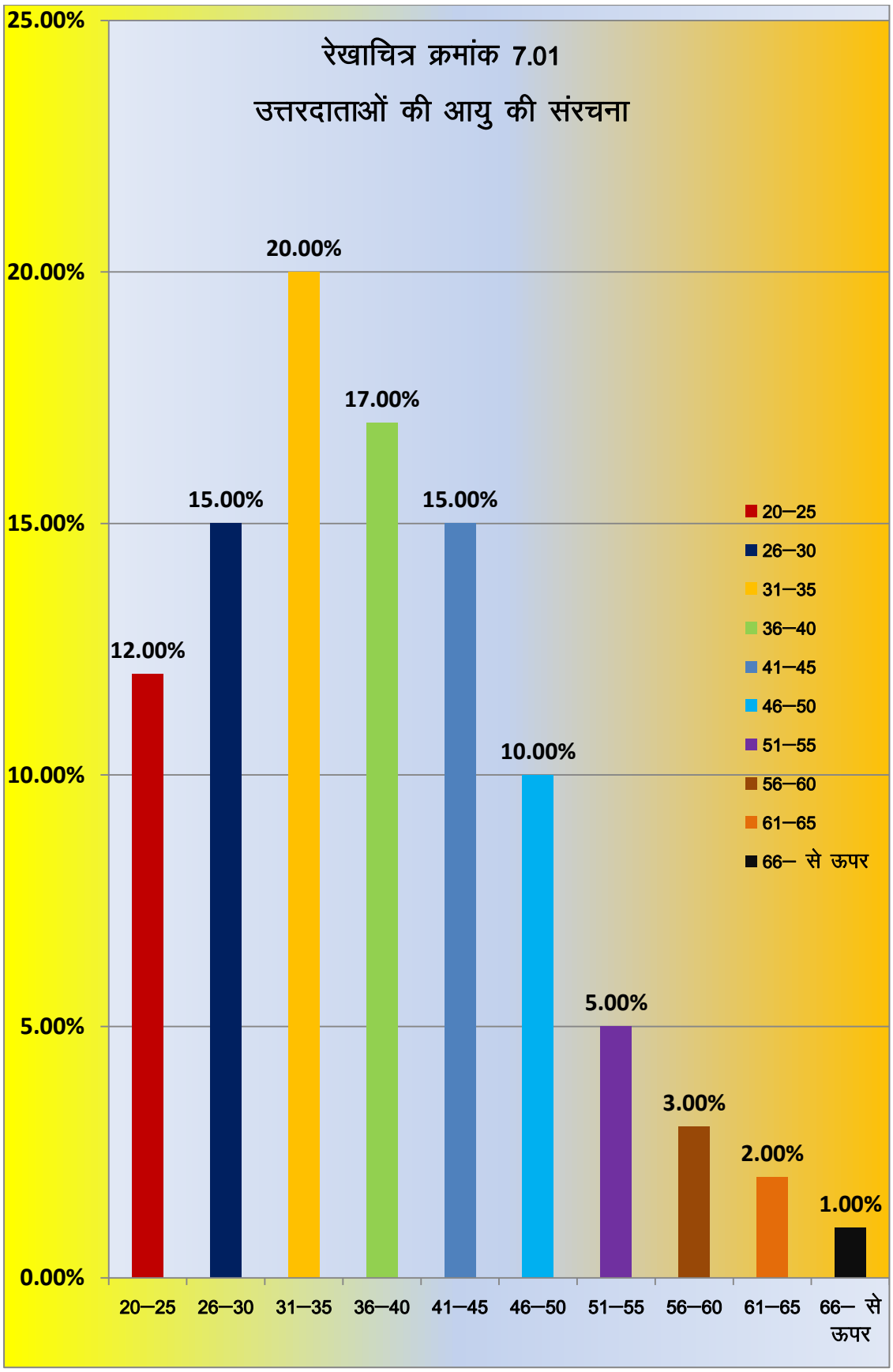
रेखाचित्र क्रमांक 7.01
उत्तरदाताओं की आयु की संरचना
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
12.00%
15.00%
20.00%
17.00%
15.00%
10.00%
5.00%
3.00%
2.00%
1.00%
20–25
26–30
31–35
36–40
41–45
46–50
51–55
56–60
61–65
66– से ऊपर

तालिका क्रमांक 7.02

उत्तरदाताओं का लिंग

क्र.	लिंग	संख्या	प्रतिशत
01	पुरूष	**168**	**56.0%**
02	महिला	**132**	**44.0%**
03	योग	**300**	**100%**

तालिका क्रमांक 7.02 से स्पष्ट होता है कि 56 प्रतिशत उत्तरदाता पुरूष एवं 44 प्रतिशत उत्तरदाता महिला है। अध्ययन के अंतर्गत उत्तरदाता के रूप में परिवार के सदस्यों का साक्षात्कार लिया गया है। अध्ययन क्षेत्र के संयुक्त एवं एकाकी परिवार है।

रेखाचित्र क्रमांक 7.02

उत्तरदाताओं का लिंग

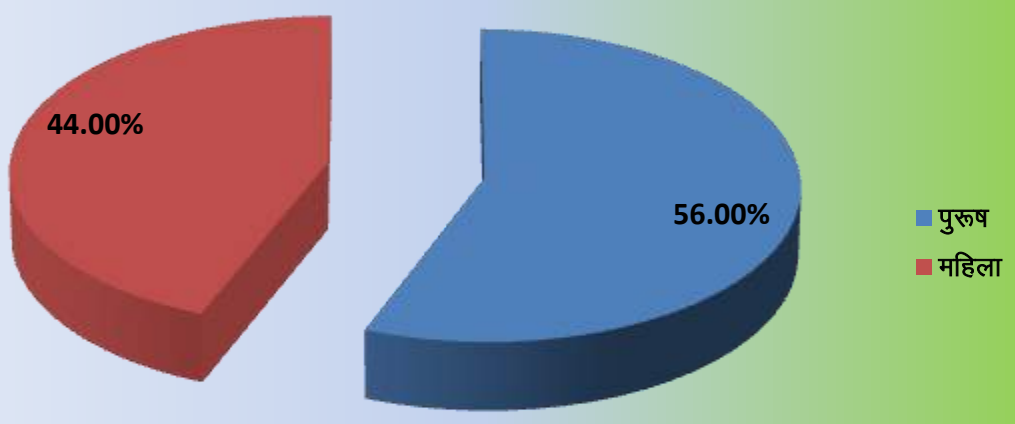

तालिका क्रमांक 7.03

उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति

क्र.	लिंग	संख्या	प्रतिशत
01	अविवाहित	**150**	**50.0%**
02	विवाहित	**120**	**40.0%**
03	नाबालिग	**30**	**10.0%**
	योग	**300**	**100%**

तालिका क्रमांक 7.03 से यह ज्ञात होता है कि 50 प्रतिशत उत्तरदाता अविवाहित है। 40 प्रतिशत उत्तरदाता विवाहित एवं 10 प्रतिशत उत्तरदाता नाबालिग है। अध्ययन हेतु परिवार के मुखिया एवं युवाओं का उत्तरदाता के रूप में चयन होने के कारण सभी उत्तरदाता विवाहित या अविवाहित नहीं है।

शिक्षा किसी भी समूह की सामाजिक–सांस्कृतिक प्रगति का द्योतक है। शिक्षा मानव व्यक्तित्व का विकास करती है। शिक्षा के द्वारा ज्ञान एवं सांस्कृतिक विरासत का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण होता है। शिक्षा महत्वपूर्ण संस्थागत प्रक्रिया है, जो व्यक्ति तथा समाज के जीवन को विविध रूप से प्रभावित करती है। शिक्षा का संस्कृति के साथ घनिष्ठ संबंध है। मानव पर्याप्त सीमा तक अपने चारों ओर के सांस्कृतिक वातावरण से निर्देशित होता है। अतः शिक्षा संस्कृति पर निर्भर है और सांस्कृतिक अध्ययन से संबंधित है।

प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाताओं के शैक्षणिक स्तर के संबंध में प्राप्त जानकारी से निम्न तालिका निर्मित होती है।

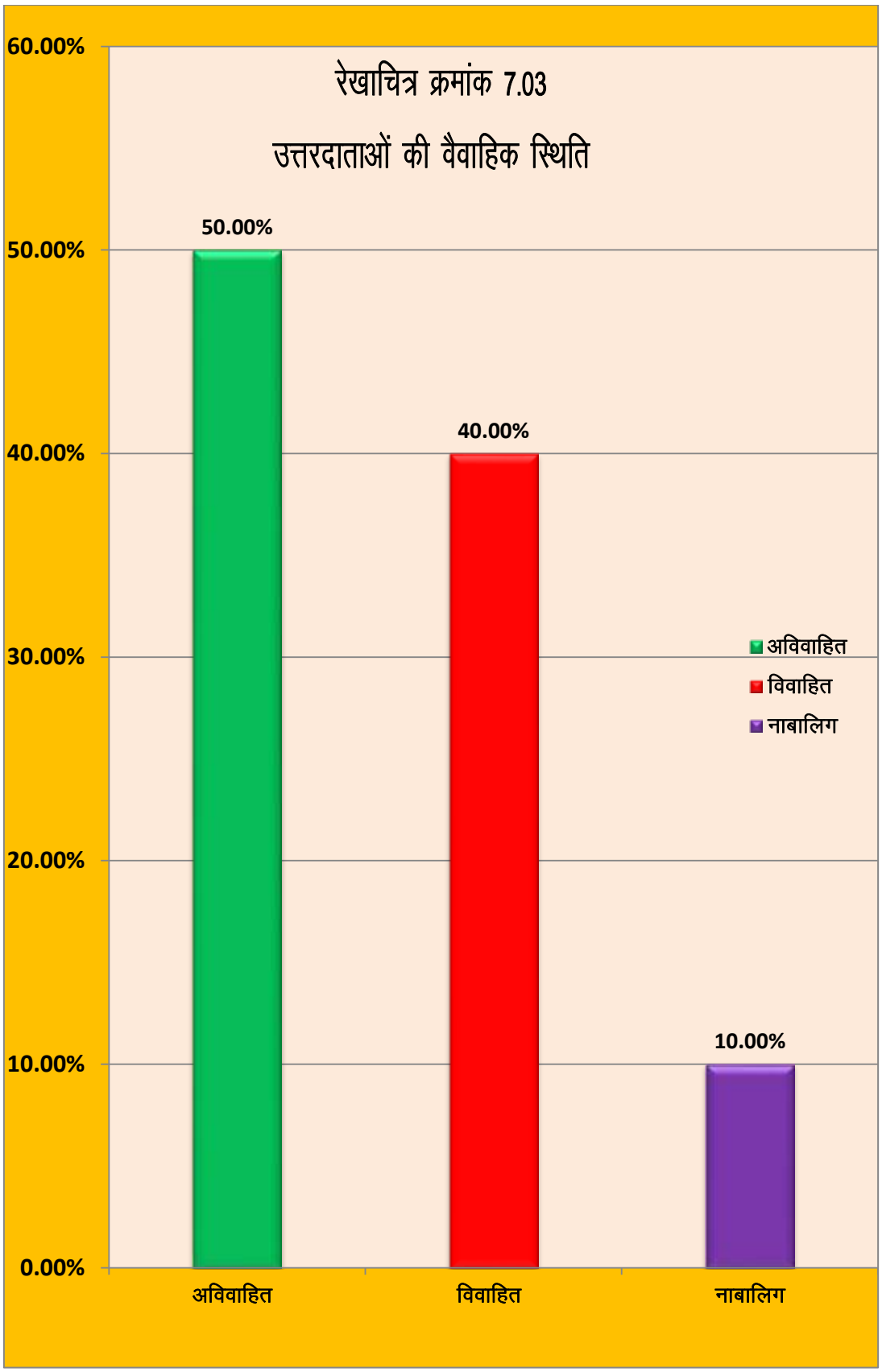
रेखाचित्र क्रमांक 7.03
उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
50.00%
40.00%
10.00%
अविवाहित
विवाहित
नाबालिग
अविवाहित
विवाहित
नाबालिग

तालिका क्रमांक 7.04

उत्तरदाताओं की शैक्षणिक स्थिति

शैक्षणिक स्तर	संख्या				प्रतिशत		
	पुरूष	महिला	बच्चे	योग	पुरूष	महिला	बच्चे
प्राथमिक	**15**	**15**	**-**		**-**	**-**	**10.0%**
माध्यमिक विद्यालय	**60**	**55**	**-**		**20.0%**	**18.4%**	**38.4%**
उच्चत्तर विद्यालय	**72**	**49**	**-**		**24.0%**	**16.5%**	**40.5%**
स्नातक स्तर	**24**	**10**	**-**		**8.0%**	**3.1%**	**11.1%**
योग	**171**	**129**	**-**	**300**	**52.0%**	**38.0%**	**100%**

तालिका क्रमांक 7.04 से स्पष्ट है कि 10 प्रतिशत उत्तरदाता प्राथमिक स्तर के है, 38 प्रतिशत उत्तरदाता माध्यमिक स्तर के है। 40.5 उत्तरदाता उच्चतर स्तर के है। 11.1 प्रतिशत उत्तरदाता स्नातक स्तर के है। अतः स्पष्ट होता है कि सभी उत्तरदाता साक्षर है।

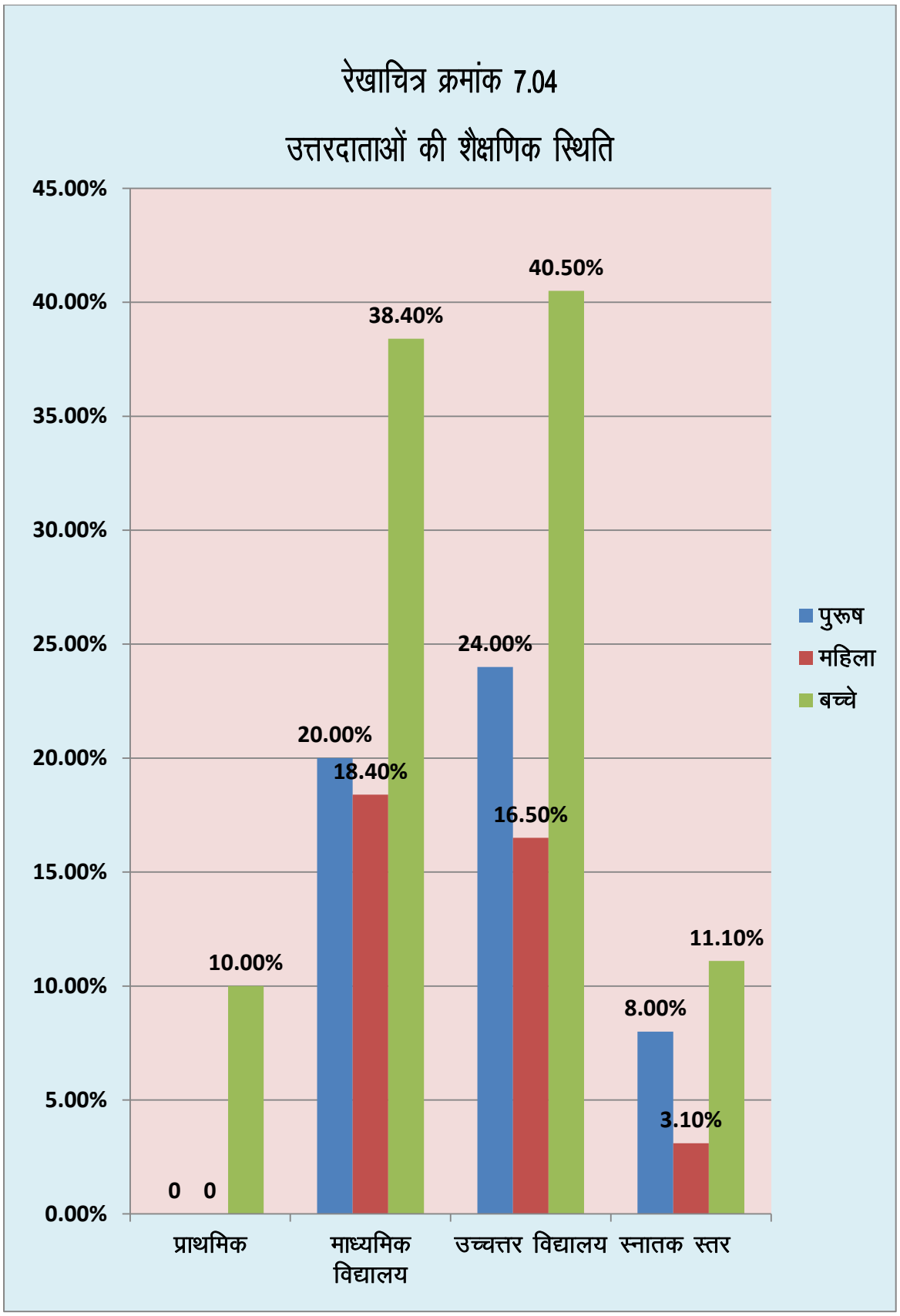
रेखाचित्र क्रमांक 7.04
उत्तरदाताओं की शैक्षणिक स्थिति
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
0
0
10.00%
20.00%
18.40%
38.40%
24.00%
16.50%
40.50%
8.00%
3.10%
11.10%
प्राथमिक
माध्यमिक विद्यालय
उच्चत्तर विद्यालय
स्नातक स्तर
पुरूष
महिला
बच्चे

तालिका क्रमांक 7.05

लिंगानुसार शैक्षणिक स्तर

क्र.	लिंग	संख्या	प्रतिशत
01	पुरूष	**156**	**52.0%**
02	महिला	**114**	**38.0%**
03	बच्चे	**30**	**10.0%**
	योग	**300**	**100%**

तालिका क्रमांक 7.05 से स्पष्ट है कि 52.00 प्रतिशत पुरूषों का शैक्षणिक स्तर महिलाएं एवं बच्चों का क्रमशः 38 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत हैं।

रेखाचित्र क्रमांक 7.05

लिंगानुसार शैक्षणिक स्तर

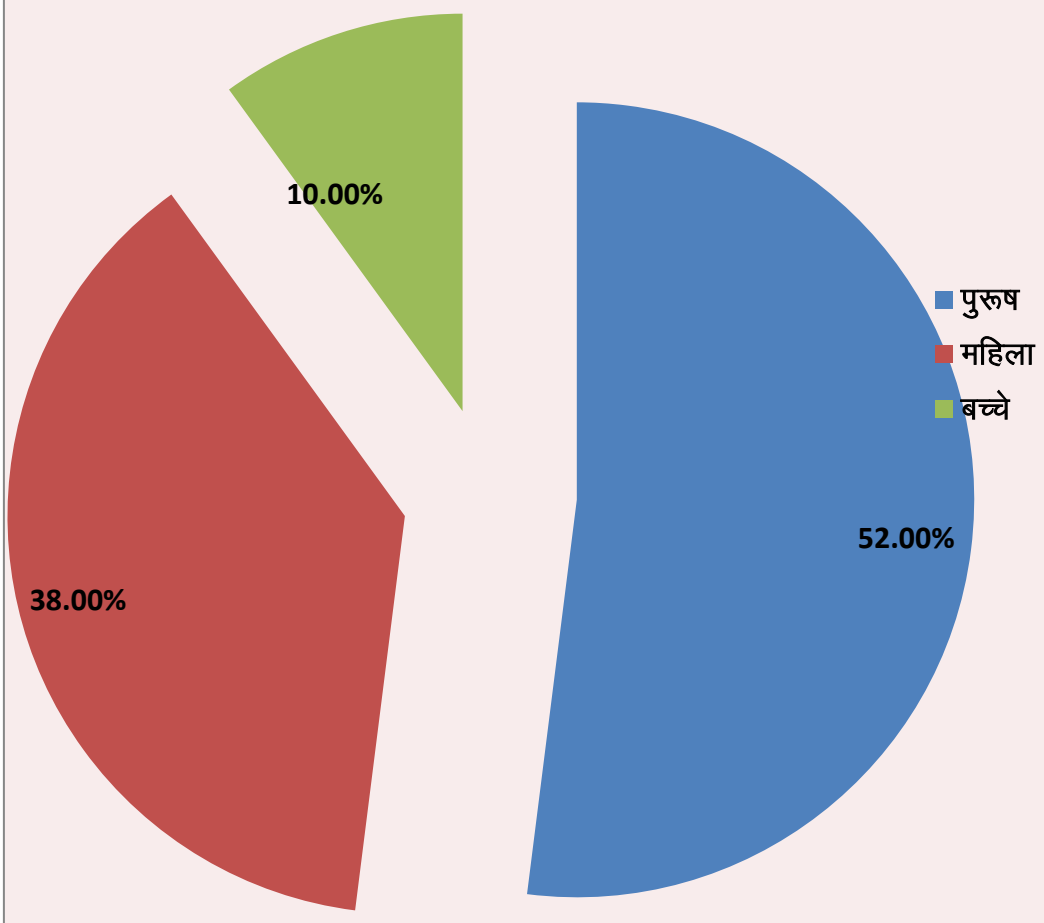

प्रत्येक समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना में अर्थव्यवस्था की अहम् एवं निर्णायक भूमिका रहती है, क्योंकि प्रत्येक समाज को अपने अस्तित्व के लिए जीवन के आवश्यक भौतिक मूल्य एकत्र करने पड़ते है। मानव की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र और निवास है और इनकी पूर्ति के लिए किये जाने वाला प्रयत्न अर्थव्यवस्था कहलाता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं और समुदाय के द्वारा आपस में आदान–प्रदान करने से विनिमय एक्सचेंज प्रणाली की शुरूआत हुई। समाज में उत्पादन, उपभोग, वितरण विनिमय प्रणालियों से एक नवीन सामाजिक व्यवस्था की शुरूआत हुई जिसे अर्थव्यवस्था नाम से संबोधित किया गया।

पिडिंगटन के अनुसार – ''अर्थव्यवस्था समाज के भौतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, उत्पादन की व्यवस्था, वितरण पर नियंत्रण, समुदाय में स्वामित्व के अधिकारों एवं दावों को निर्धारित करती है।''

मजूमदार एवं मदान के अनुसार– ''जीवन की दिन–प्रतिदिन की आवश्यकताओं को श्रम द्वारा पूरा करने हेतु मानव संबंधों और प्रयत्नों को नियमित और संगठित करना ही अर्थव्यवस्था हैं।

अर्थव्यवस्था की परिभाषा करते हुए बोयस ने उसे ''व्यवहारों का संपूर्ण संगठन बताया है जो कि शरीर के जीवन धारण करने की समस्याओं से संबंधित हैं।''

इस प्रकार अर्थव्यवस्था में वे सब कार्य शामिल है, जो एक समाज के विशिष्ट प्राकृतिक पर्यावरण, औद्योगिक स्तर और सांस्कृतिक परिस्थितियों की सीमाओं के अंदर भौतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए किये जाते हैं।

इस प्रकार अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली से तात्पर्य व्यक्ति का जीवित रहने के लिए अपने आवश्यकताओं को पूरा करना हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति

के लिए व्यक्ति को अनेक साधनों का प्रयोग कर कुछ प्रयत्न करना पड़ता है। अतः प्रत्येक समुदाय अपने सदस्यों का अस्तित्व कायम रखने के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने–अपने तरीके से करता है। अर्थव्यवस्था की प्रकृति सभी समाजों में एक सी नहीं होती है। यह पर्यावरण, संस्कृति, राजनीति, तकनीकी विकास के स्तर जैसे कारकों से प्रभावित होती हैं।

व्यवसाय से मनुष्य की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का आकलन होता है, जीवन स्तर, जीवन शैली, विचार एवं व्यक्तित्व आदि के निर्धारण में व्यवसाय की महत्वपूर्ण भूमिका रहती हैं। उत्तरदाताओं से प्राप्त तथ्य द्वारा व्यवसाय से संबंधित निम्न तालिका का निर्माण हुआ हैं।

तालिका क्रमांक 7.06

उत्तरदाताओं के व्यवसाय की स्थिति

क्र.	व्यवसाय	संख्या	प्रतिशत
01	विद्यार्थी	**130**	**43.3%**
02	जनप्रतिनिधि	**30**	**10.0%**
03	विशिष्ठजन	**30**	**10.0%**
04	शिक्षक	**20**	**06.7%**
05	आमजन	**90**	**30.0%**
	योग	**300**	**100%**

तालिका क्रमांक 7.06 से स्पष्ट है 43.3 प्रतिशत विद्यार्थी हैं। 10 प्रतिशत जनप्रतिनिधि, 10 प्रतिशत विशिष्ठजन, 06.7 प्रतिशत शिक्षक एवं 30 प्रतिशत आमजन है।

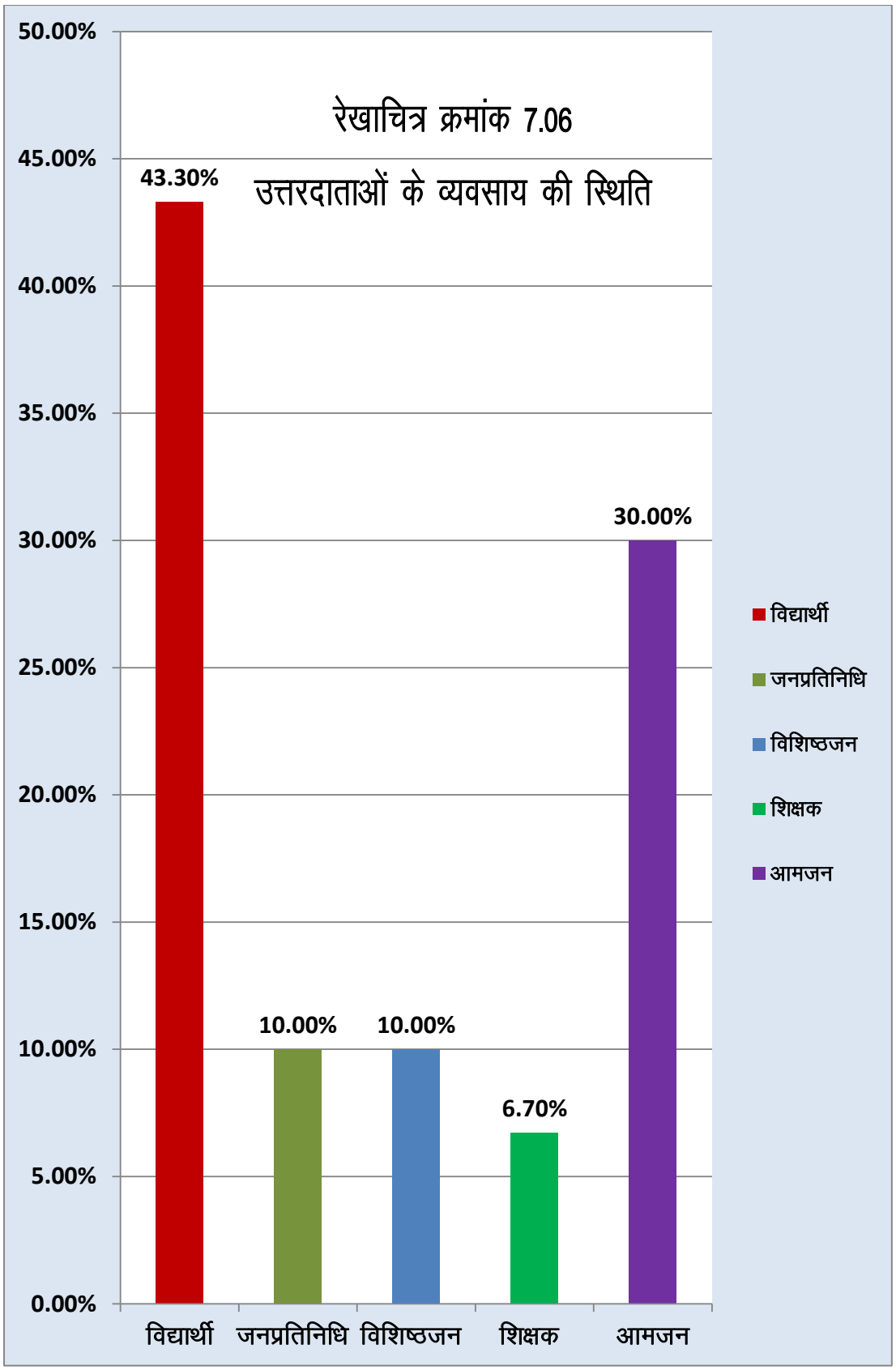
रेखाचित्र क्रमांक 7.06
उत्तरदाताओं के व्यवसाय की स्थिति
50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
43.30%
10.00%
10.00%
6.70%
30.00%
विद्यार्थी
जनप्रतिनिधि
विशिष्ठजन
शिक्षक
आमजन
विद्यार्थी
जनप्रतिनिधि
विशिष्ठजन
शिक्षक
आमजन

तालिका क्रमांक 7.07

परिवारों में सदस्यों की संख्या

क्र.	सदस्य संख्या	संख्या	प्रतिशत
01	1 से 3	**55**	**18.3%**
02	4 से 6	**136**	**45.4%**
03	7 से 9	**74**	**24.6%**
04	9 से ऊपर	**35**	**11.7%**
	योग	**300**	**100%**

तालिका क्रमांक 7.07 से स्पष्ट होता है कि 18.3 प्रतिशत परिवारों की सदस्य संख्या 1 से 3 के बीच है, जबकि 45.4 प्रतिशत परिवारों की सदस्य संख्या 4 से 6 के बीच है जो सबसे अधिक है। 7 से 9 के बीच सदस्य संख्या वाले परिवार 24.6 प्रतिशत है। 9 से ऊपर सदस्य संख्या वाले परिवार 11.7 प्रतिशत है। अतः कहा जा सकता है कि 36.3 प्रतिशत परिवारों का आकार बड़ा है, जबकि 45.4 प्रतिशत परिवार मध्यम आकार के है तथा लघु परिवारों का प्रतिशत 18.3 हैं।

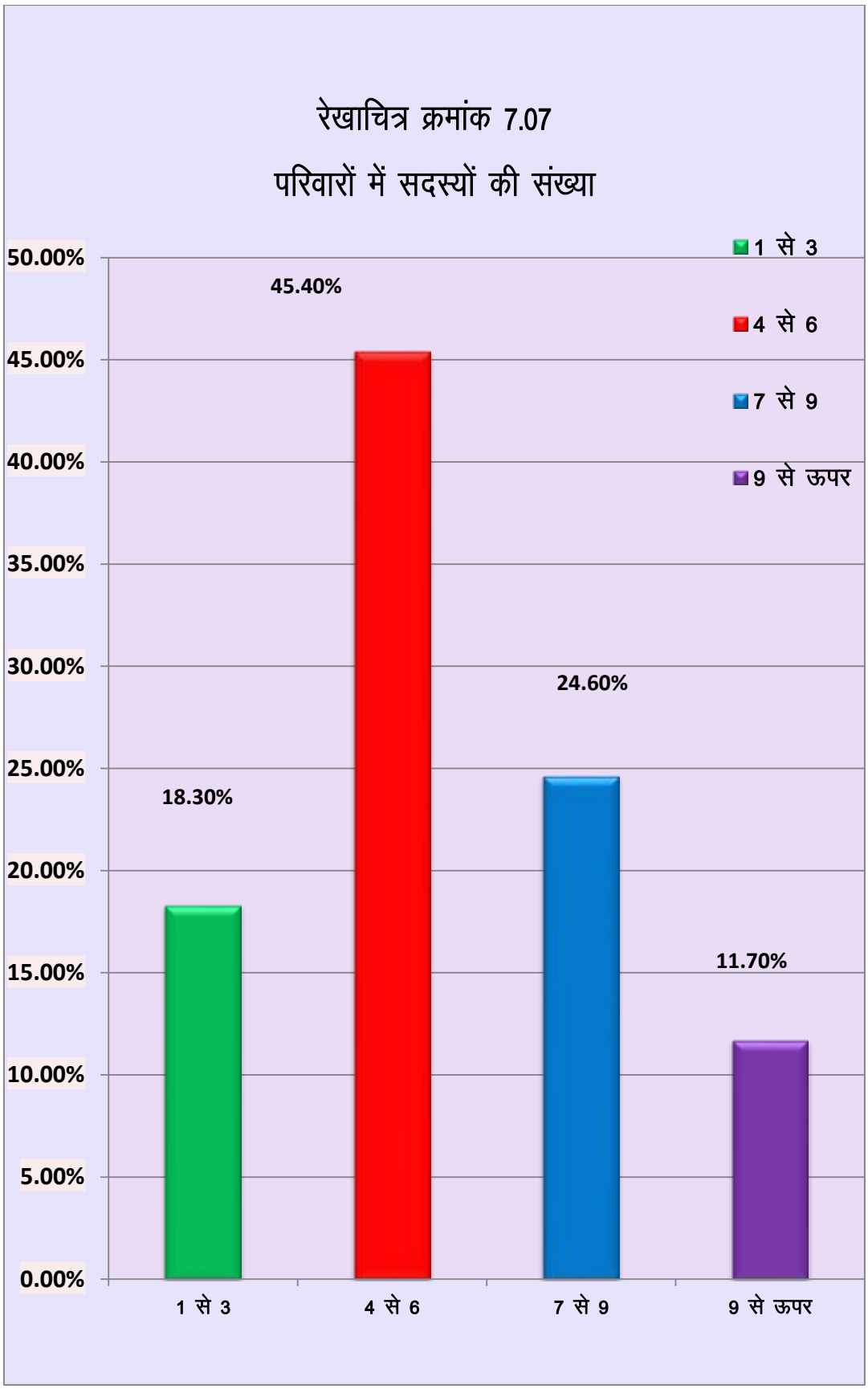
रेखाचित्र क्रमांक 7.07
परिवारों में सदस्यों की संख्या
50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
45.40%
24.60%
18.30%
11.70%
1 से 3
4 से 6
7 से 9
9 से ऊपर
1 से 3
4 से 6
7 से 9
9 से ऊपर

तालिका क्रमांक 7.08

परिवारों की प्रकृति

क्र.	परिवारों की प्रकृति	संख्या	प्रतिशत
01	एकांकी परिवार	**191**	**63.7%**
02	संयुक्त परिवार	**109**	**36.3%**
03	योग	**300**	**100%**

तलिका क्रमांक 7.08 से स्पष्ट होता है कि 63.7 प्रतिशत परिवार एकांकी परिवार है, जबकि संयुक्त परिवार का प्रतिशत 36.3 है। परिवार की औसत आयु एवं परिवार की सदस्य संख्या के विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अध्ययनगत परिवारों में संयुक्त परिवार का प्रतिशत कम है, जबकि एकांकी परिवारों की संख्या अधिक हैं।

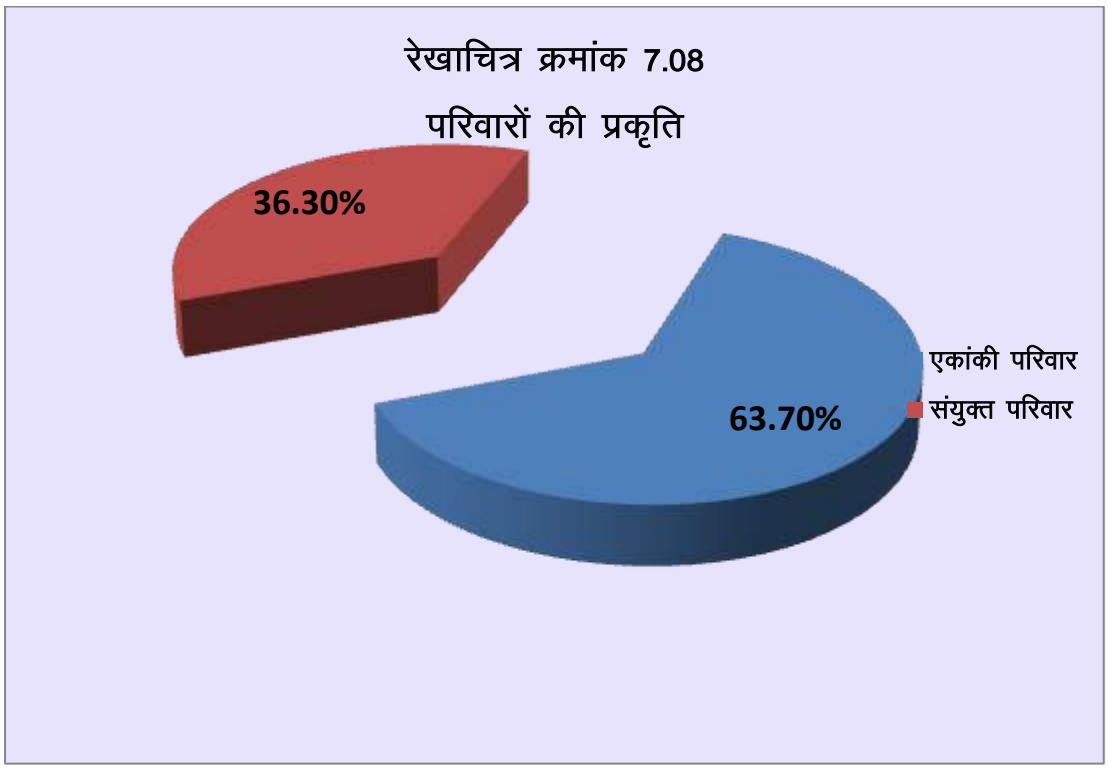

सरकार द्वारा प्रदत्त योजनाएं एवं क्रियान्वयन का विश्लेषणात्मक अध्ययन

मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त लोकप्रिय योजनाएं एवं लाभ के सम्बन्ध में साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से अध्ययन क्षेत्र में निवासरत् उत्तरदाताओं में विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि, विशिष्ठजन, शिक्षक एवं आमजन कुल 300 उत्तरदाताओं से शासन की योजना के संबंध में अभिमत जानने का प्रयास किया गया। जिनका विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा हैं –

तालिका क्रमांक – 7.09

शासन की योजनायें एवं ज्ञान के संबंध में

क्र.	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
01	समाचार पत्र	**100**	**33.3%**
02	टेलिविजन	**20**	**06.7%**
03	स्थानीय संस्थाएं	**60**	**20.0%**
04	अन्य	**120**	**40.0%**
	योग	**300**	**100%**

तलिका क्रमांक 7.09 में 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि शासन की योजना एवं ज्ञान के संबंध में उन्हे अन्य स्त्रोतों जैसे – पास–पड़ोस, सामुदायिक संगठन, स्थानीय नेताओं से जानकारी प्राप्त होती है। 33.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि समाचार–पत्रों के माध्यम से शासन की योजना की जानकारी प्राप्त होती है। क्रमशः 20 प्रतिशत एवं 6.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं को जानकारी स्थानीय संस्था एवं टेलिविजन के माध्यम से प्राप्त होती है।

अतः हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते है कि अन्य स्त्रोतों का प्रभाव उत्तरदाता पर अधिक पड़ा है।

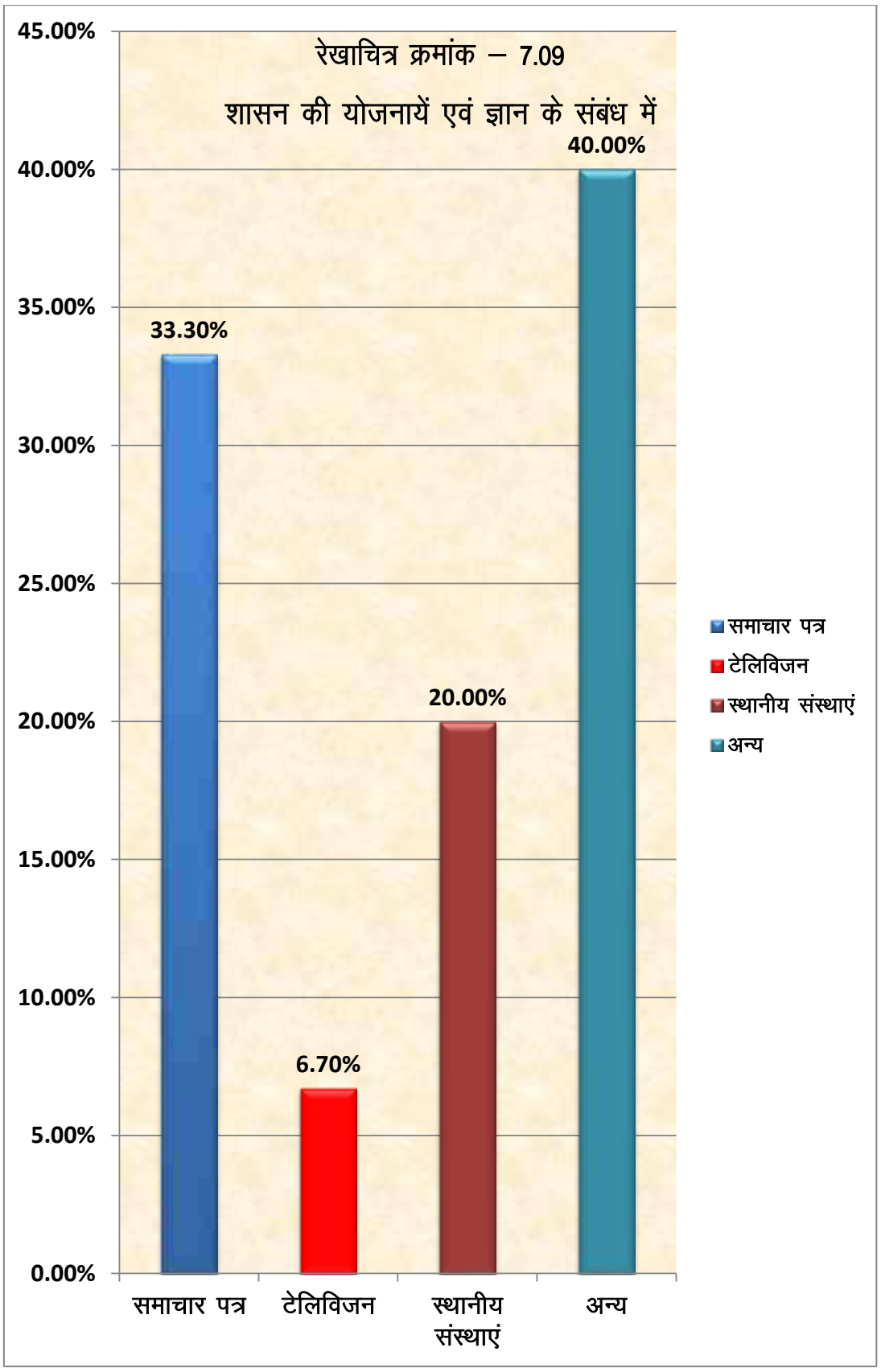
रेखाचित्र क्रमांक – 7.09
शासन की योजनायें एवं ज्ञान के संबंध में
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
33.30%
6.70%
20.00%
40.00%
समाचार पत्र
टेलिविजन
स्थानीय संस्थाएं
अन्य
समाचार पत्र
टेलिविजन
स्थानीय संस्थाएं
अन्य

तालिका क्रमांक 7.10

सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न योजनाओं की जानकारी

क्र.	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
01	हाँ	**196**	**65.3%**
02	नहीं	**104**	**34.7%**
	योग	**300**	**100%**

तलिका क्रमांक 7.10 में समय और उत्तरदाताओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा प्रदत्त लोकप्रिय योजना के बारे में 65.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है शासन की योजनाओं की जानकारी हैं के पक्ष में है, जबकि 34.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं में जानकारी का अभाव पाया गया।

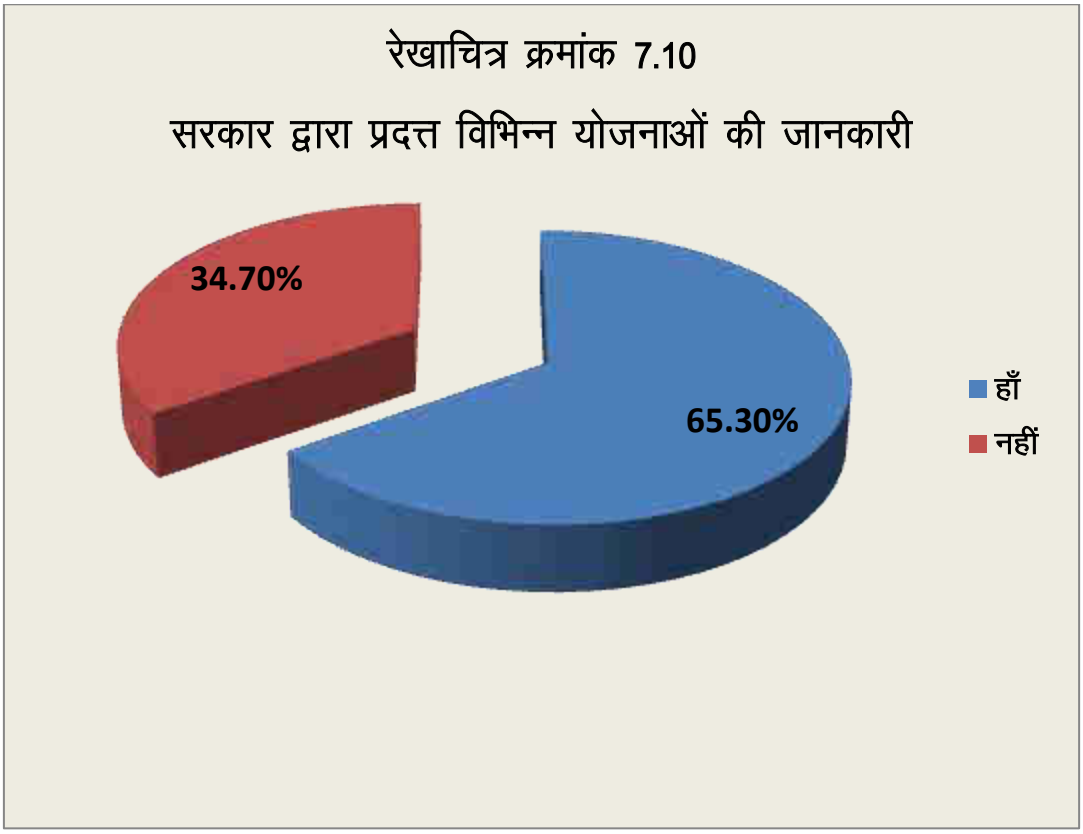

शोधार्थी द्वारा समय की बचत के कारण उत्तरदाताओं के सम्मुख विभिन्न योजनाओं की जानकारी के संदर्भ में प्रश्न रखा गया था, जिनमें निम्नलिखित योजनाओं के बारे में जानकारी हेतु प्रश्न किये गये थे, जो योजनाएं निम्नानुसार हैं–

1) मुख्यमंत्री कन्या दान योजना

2) इंदिरा आवास योजना

3) दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना

4) रानी दुर्गावती अनु.जाति/जनजाति स्वरोजगार योजना

5) जनश्री बीमा योजना

6) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति राहत योजना नियम 1979

7) अस्पृश्यता निवारण के लिए अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

8) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनताति आकस्मिकता योजना नियम 1995

9) प्रतिष्ठा पुनर्वास योजना

10) लघु एवं वित्त व्यवस्था योजना

11) लाडली लक्ष्मी योजना

12) मंगल दिवस योजना

13) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

14) एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम

15) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन

16) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

17) राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

18) मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना

19) शिक्षा के लिए सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना

20) क्या आपके बच्चे को निःशुल्क सायकिल योजना

21) छात्रवृति, शिष्यवृति एवं प्रोत्साहन योजना

22) डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम मेघावी छात्र प्रोत्साहन योजना

23) सुदामा प्री–मेट्रिक छात्रवृति योजना

24) स्वामी विवेकानन्द पोस्ट मैट्रिक प्रवीण्य छात्रवृति

25) प्रतिभाशाली बच्चों के लिये प्रोत्साहन योजना

26) निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना

27) सुपर 100 योजना

28) तकनीकी शिक्षा –अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवक–युवतियों के लिये रोजगारोन्मुखी कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना

29) कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना

30) उत्कृष्ट छात्रावास योजना

31) प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूल में एवं सैनिक स्कूल में प्रवेश योजना

32) विदेश में अध्ययन हेतु छात्रावृत्ति योजना

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन राशि योजना अतः यह तथ्य इस बात की

ओर भी इंगित करता हैं कि खरगोन जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में भी उत्तरदाता जागरूक एवं शिक्षित हुआ हैं।

शासन द्वारा प्रदत्त विभिन्न योजनाओं की जानकारी के पश्चात् इनके कार्यक्रमों, औचित्य मूल्यांकन एवं इनकी सफलता असफलता के बारे में उत्तरदाताओं से जो जानकारी प्राप्त की गई, प्रस्तुत है –

तालिका क्रमांक 7.11

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कार्यक्रम

क्र.	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
01	सफल	**180**	**60%**
02	आंशिक सफल	**84**	**28%**
03	असफल	**36**	**12%**
	योग	**300**	**100%**

तलिका क्रमांक 7.11 में 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना हैं कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कार्यक्रम सफल है, 28 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत हैं कि आंशिक सफल हैं, जबकि 12 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अनभिज्ञता जाहिर की।

यह तथ्य इस बात की ओर इंगित करता है कि सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनओं का प्रचार प्रसार सही ढ़ंग से हो रहा है।

रेखाचित्र क्रमांक 7.11

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कार्यक्रम

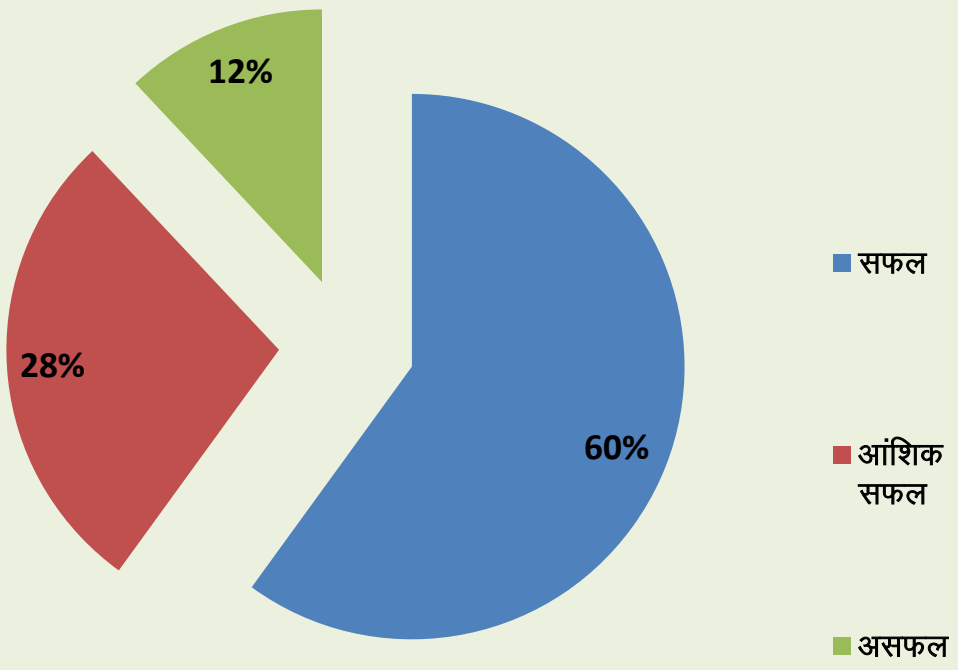

तालिका क्रमांक 7.12

इन्दिरा आवास योजना

क्र.	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
01	सफल	168	56.0%
02	आंशिक सफल	86	28.6%
03	असफल	46	15.4%
	योग	300	100%

तलिका क्रमांक 7.12 में 56 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना हैं कि इन्दिरा आवास योजना सफल है, 28.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत हैं कि आंशिक सफल हैं, जबकि 15.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत नहीं में हैं।

आवास एवं पर्यावरण नीती 2007 के प्रमुख प्रावधान प्रत्येक जिले में आवास कार्ययोजना बनाई गई जिसमें शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल किया गया। गाँव से शहरों की ओर पलायन, शहर की तंग बस्तियों में निर्माण की समस्यां के निदान के लिए इन्दिरा आवास योजना का निर्माण किया गया।

रेखाचित्र क्रमांक 7.12

इन्दिरा आवास योजना

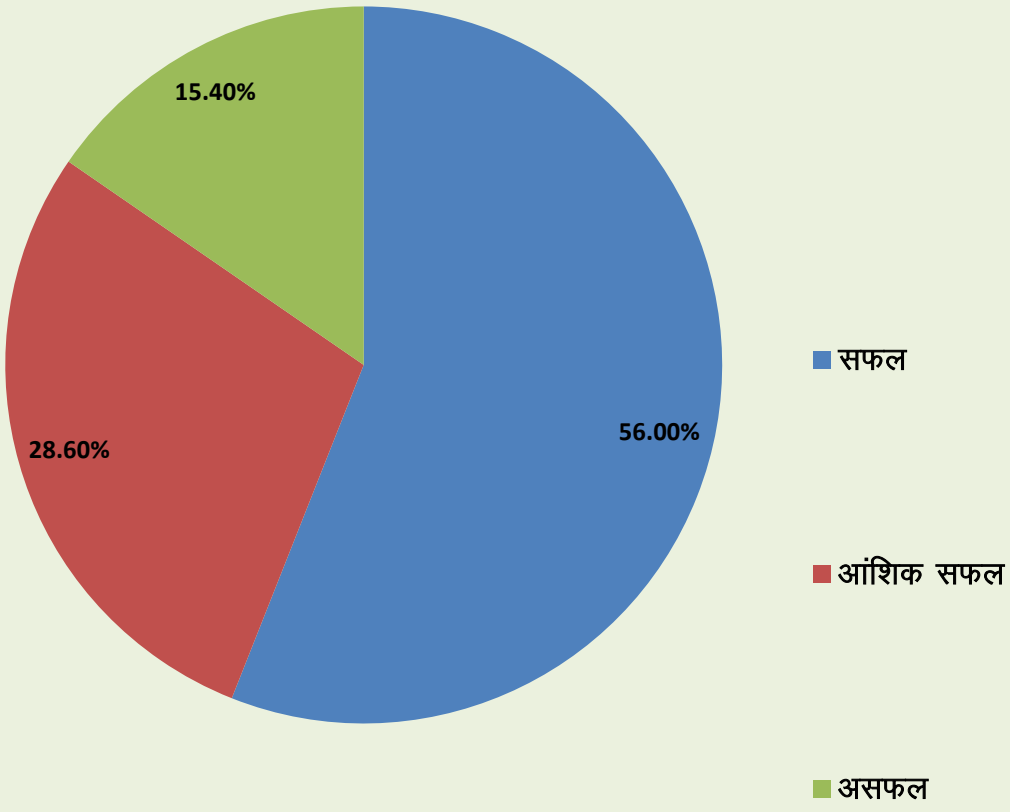

तालिका क्रमांक 7.13

जननी शिशु सुरक्षा योजना

क्र.	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
01	सफल	**180**	**60%**
02	आंशिक सफल	**84**	**28%**
03	असफल	**36**	**12%**
	योग	**300**	**100%**

तलिका क्रमांक 7.13 में 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना हैं कि जननी शिशु सुरक्षा योजना कार्यक्रम सफल है, 28 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत हैं कि आंशिक सफल हैं, जबकि 12 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत नहीं है।

यह तथ्य इस बात की ओर इंगित करता है कि जननी शिशु सुरक्षा सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनओं का प्रचार प्रसार सही ढ़ंग से हो रहा है। इसमें सरकार का उद्देश्य है कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने का मुख्य उद्देश्य शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में गर्भवति महिलाओं एवं शिशुओं के लिए निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना अपनी कसौटी पर खरा उतरा।

रेखाचित्र क्रमांक 7.13

जननी शिशु सुरक्षा योजना

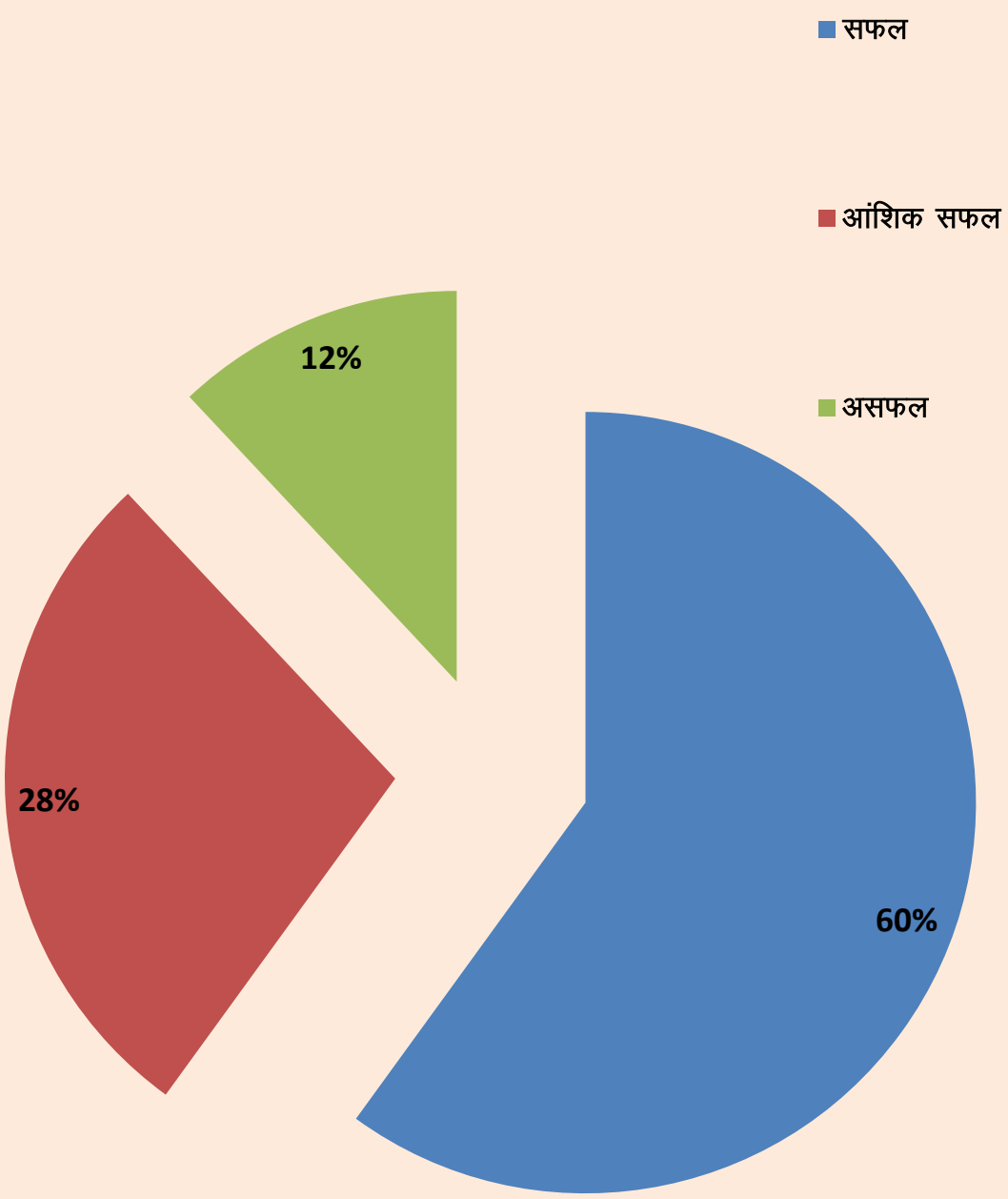

तालिका क्रमांक 7.14

दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना कार्यक्रम

क्र.	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
01	सफल	**196**	**65.3%**
02	आंशिक सफल	**80**	**26.7%**
03	असफल	**24**	**08.0%**
	योग	**300**	**100%**

तलिका क्रमांक 7.14 में 65.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना हैं कि दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना कार्यक्रम सफल है, 26.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत हैं कि आंशिक सफल हैं, जबकि 08 प्रतिशत उत्तरदाता इसके पक्ष में नहीं है।

यह तथ्य इस बात की ओर इंगित करता है कि गरीबी रखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के सदस्यों को शासकीय चिकित्सालय में भर्ती होने पर जाँच–उपचार हेतु एक वित्तिय वर्ष में प्रति परिवार 30,000 रूपये सीमा तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यह योजना 25 सितम्बर 2004 से संचालित है।

अतः इस योजना को भरपूर प्रतिसाद मिला है, तथा शासन की योजना यहां भी सफल होती दिखाई देती है।

रेखाचित्र क्रमांक 7.14

दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना कार्यक्रम

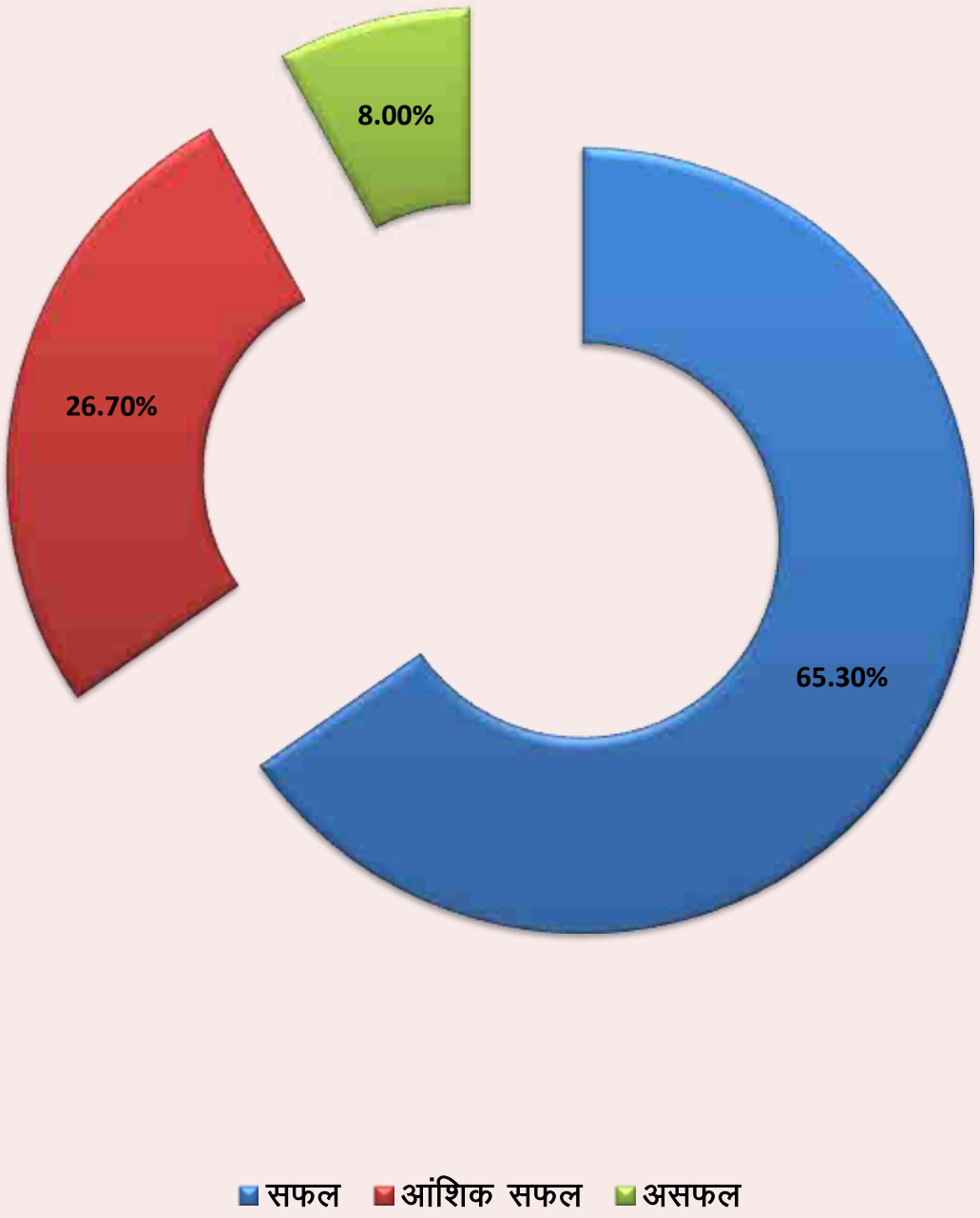

तालिका क्रमांक 7.15

रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति/जनजाति स्वरोजगार योजना

क्र.	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
01	सफल	**150**	**50%**
02	आंशिक सफल	**90**	**30%**
03	असफल	**60**	**20%**
	योग	**300**	**100%**

तलिका क्रमांक 7.15 में 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना हैं कि रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति/जनजाति स्वरोजगार योजना कार्यक्रम सफल है, 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत हैं कि आंशिक सफल हैं, जबकि 20 प्रतिशत उत्तरदाता को इसकी इस संबंध में जानकारी नहीं है।

रेखाचित्र क्रमांक 7.15

रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति/जनजाति स्वरोजगार योजना

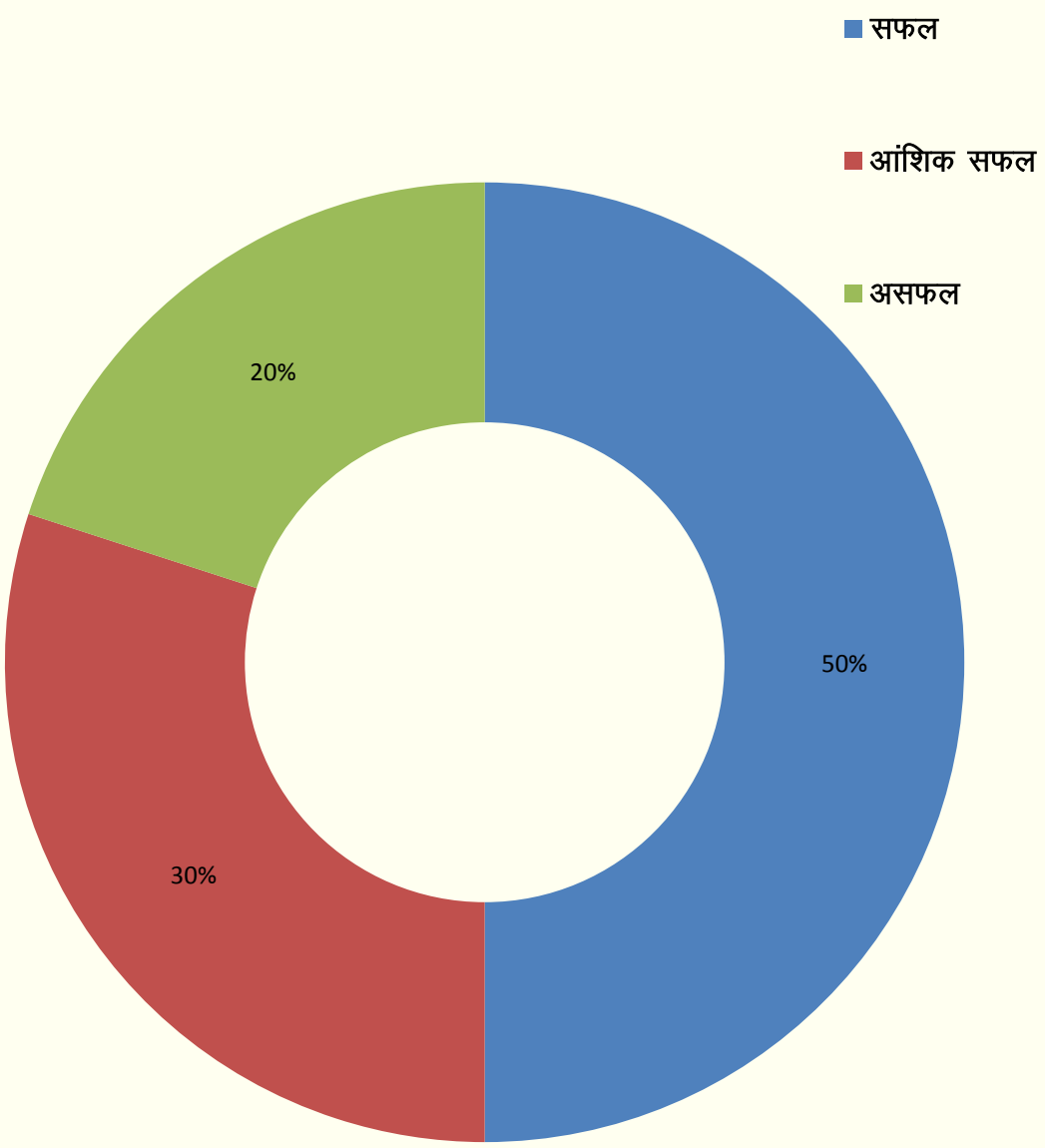

तालिका क्रमांक 7.16

डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना

क्र.	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
01	सफल	**185**	**61.7%**
02	आंशिक सफल	**95**	**31.7 %**
03	असफल	**20**	**06.6 %**
	योग	**300**	**100%**

तलिका क्रमांक 7.16 में 61.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना हैं कि डॉ. ए. पी.जे. अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना सफल है, 31.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत हैं कि आंशिक सफल हैं, जबकि 6.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अनभिज्ञता जाहिर की।

यह तथ्य इस बात की ओर इंगित करता है कि सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनओं का प्रचार प्रसार सही ढ़ंग से हो रहा है। यह योजना केन्द्र शासन द्वारा चलाई जा रही है, राज्य शासन इसमें सहायता कर रहा है।

रेखाचित्र क्रमांक 7.16

डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना

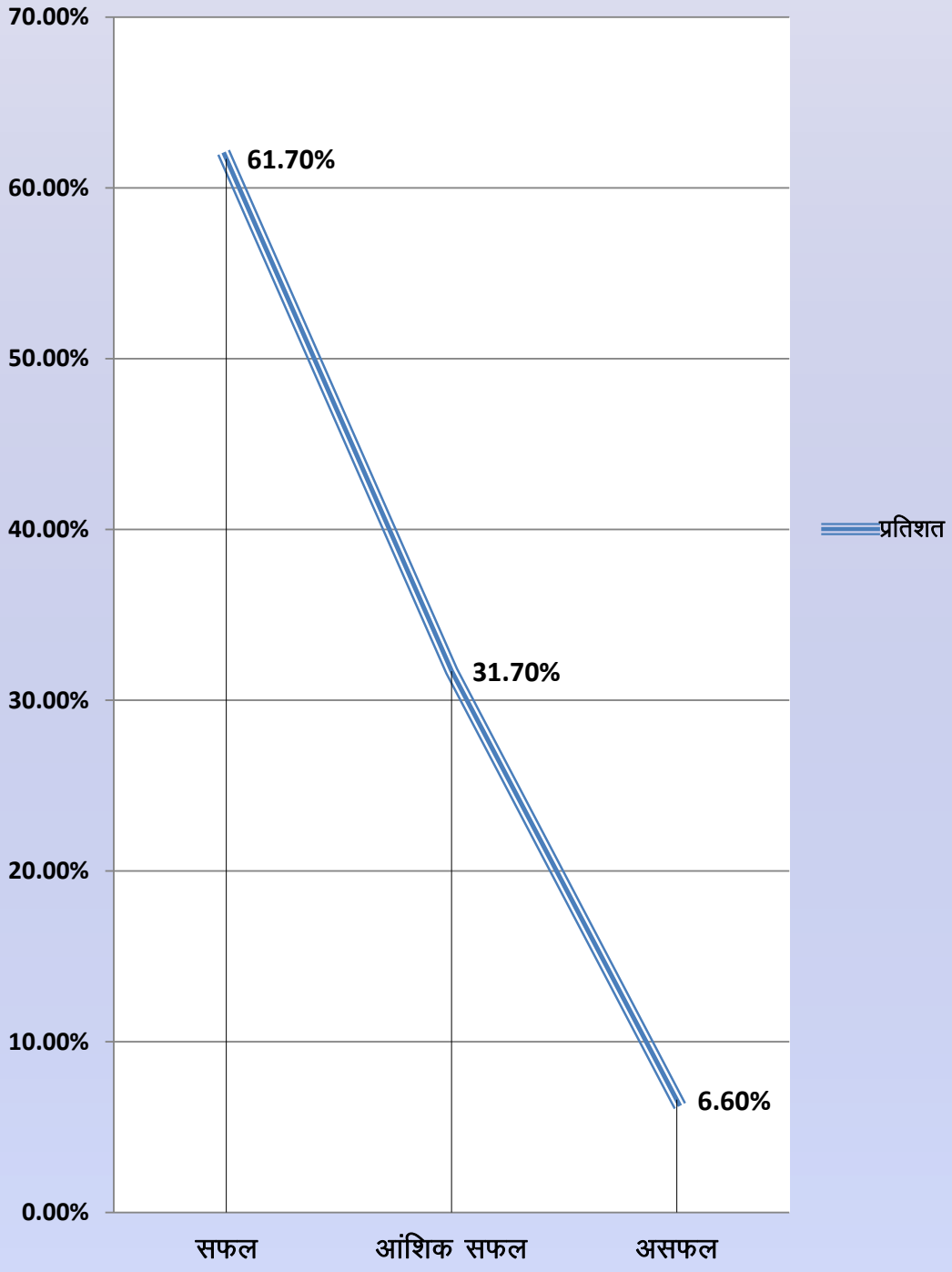

तालिका क्रमांक 7.17

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना

क्र.	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
01	सफल	**145**	**48.3%**
02	आंशिक सफल	**96**	**32.0 %**
03	असफल	**59**	**19.7 %**
	योग	**300**	**100%**

शासकीय हाई/हायर सैकेण्डरी स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 तक के समस्त वर्ग के विद्यार्थियों के लिये निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराने की योजना सरकार चला रही है। सबंन्धित संस्था के प्राचार्य को नियोक्ता बनाया गया है।

तलिका क्रमांक 7.17 में 48.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना हैं कि योजना सफल है, 32.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत हैं कि आंशिक सफल हैं, जबकि 19.7 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य से सहमत नही है।

यह तथ्य इस बात की ओर इंगित करता है कि सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनओं में हमारे हाई एवं हायर सैकेण्डरी स्कूल के प्राचार्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है, और संजीदगी के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, जिससे कि सरकार द्वारा चलायी जा रही योजना का लाभ एवं प्रचार प्रसार सही ढ़ंग से हो रहा है।

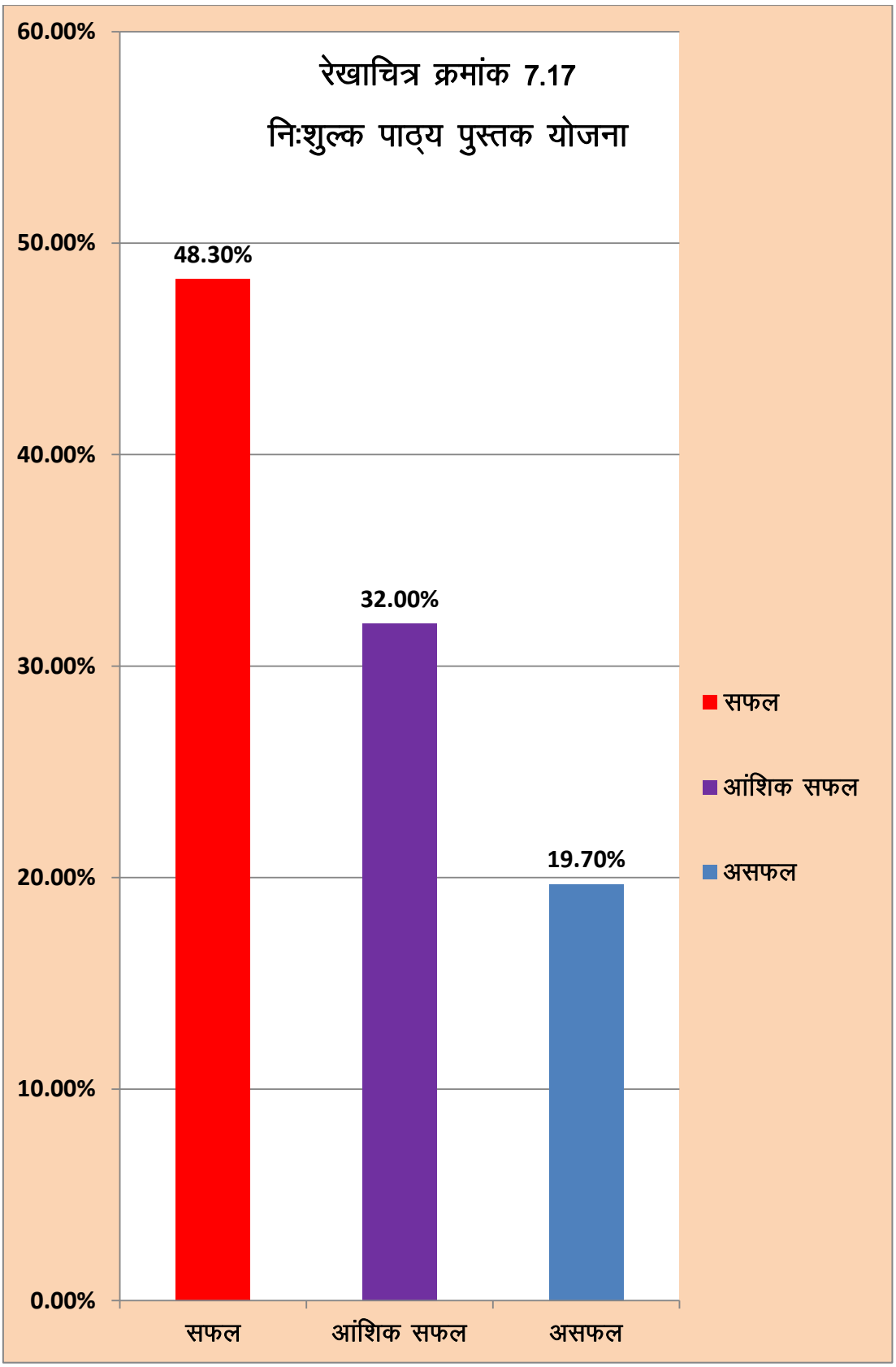
रेखाचित्र क्रमांक 7.17
निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
48.30%
32.00%
19.70%
सफल
आंशिक सफल
असफल
सफल
आंशिक सफल
असफल

तालिका क्रमांक 7.18

सुपर 100 योजना

क्र.	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
01	सफल	**93**	**31.0%**
02	आंशिक सफल	**109**	**36.3 %**
03	असफल	**98**	**32.7 %**
	योग	**300**	**100%**

तलिका क्रमांक 7.18 में 31.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना हैं कि योजना सफल है, 36.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत हैं कि आंशिक सफल हैं, जबकि 32.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अनभिज्ञता जाहिर की।

यह तथ्य इस बात की ओर इंगित करता है कि यह योजना प्रदेश के शासकीय स्कूलों से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण ऐसे प्रतिभाशाली विधार्थी जो देश के प्रख्यात व्यावसायिक संस्थानों – आई.आई.टी./मेडिकल कॉलेजों आदि में प्रवेश लेना चाहते है उन्हें इस हेतु आवश्यक प्रशिक्षण देने का प्रावधान रखा गया है, परन्तु सूचना के अभाव या प्रचार प्रसार में कमी के कारण सही ढ़ंग से इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

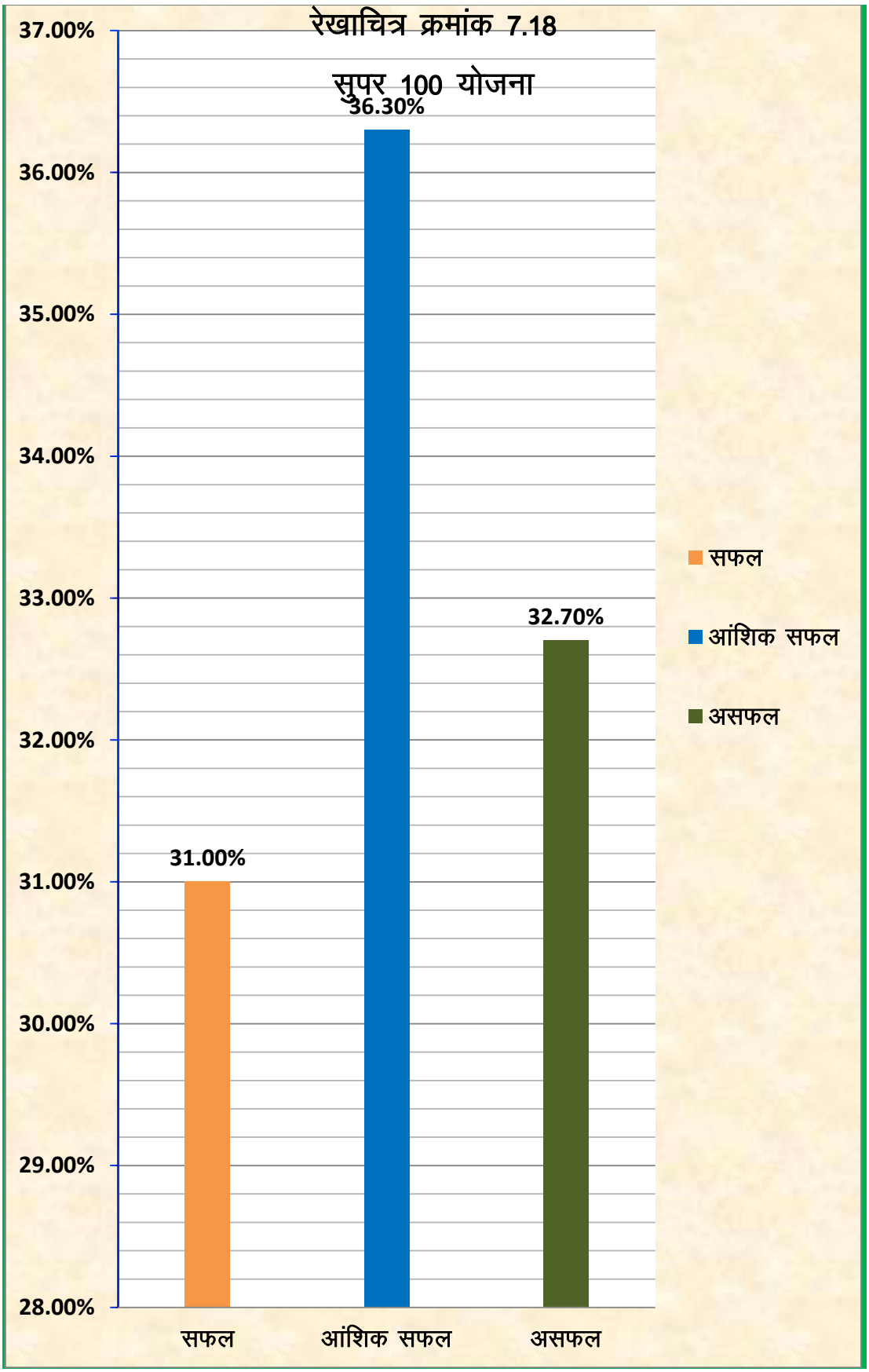
रेखाचित्र क्रमांक 7.18
सुपर 100 योजना
37.00%
36.00%
35.00%
34.00%
33.00%
32.00%
31.00%
30.00%
29.00%
28.00%
36.30%
32.70%
31.00%
सफल
आंशिक सफल
असफल
सफल
आंशिक सफल
असफल

तालिका क्रमांक 7.19

तकनीकी शिक्षा कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना

क्र.	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
01	सफल	**172**	**57.3%**
02	आंशिक सफल	**100**	**33.3 %**
03	असफल	**28**	**09.4%**
	योग	**300**	**100%**

तलिका क्रमांक 7.19 में 57.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना हैं कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवक–युवतियों के लिए तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत रोजगारोन्मुखी कम्प्यूटर प्रशिक्ष योजना सफल है, 33.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत हैं कि आंशिक सफल हैं, जबकि 9.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अनभिज्ञता जाहिर की।

यह तथ्य इस बात की ओर इंगित करता है कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति के छात्रों में अपने भविष्य के प्रति सजगता तथा जागरूता उत्पन्न हुई है।

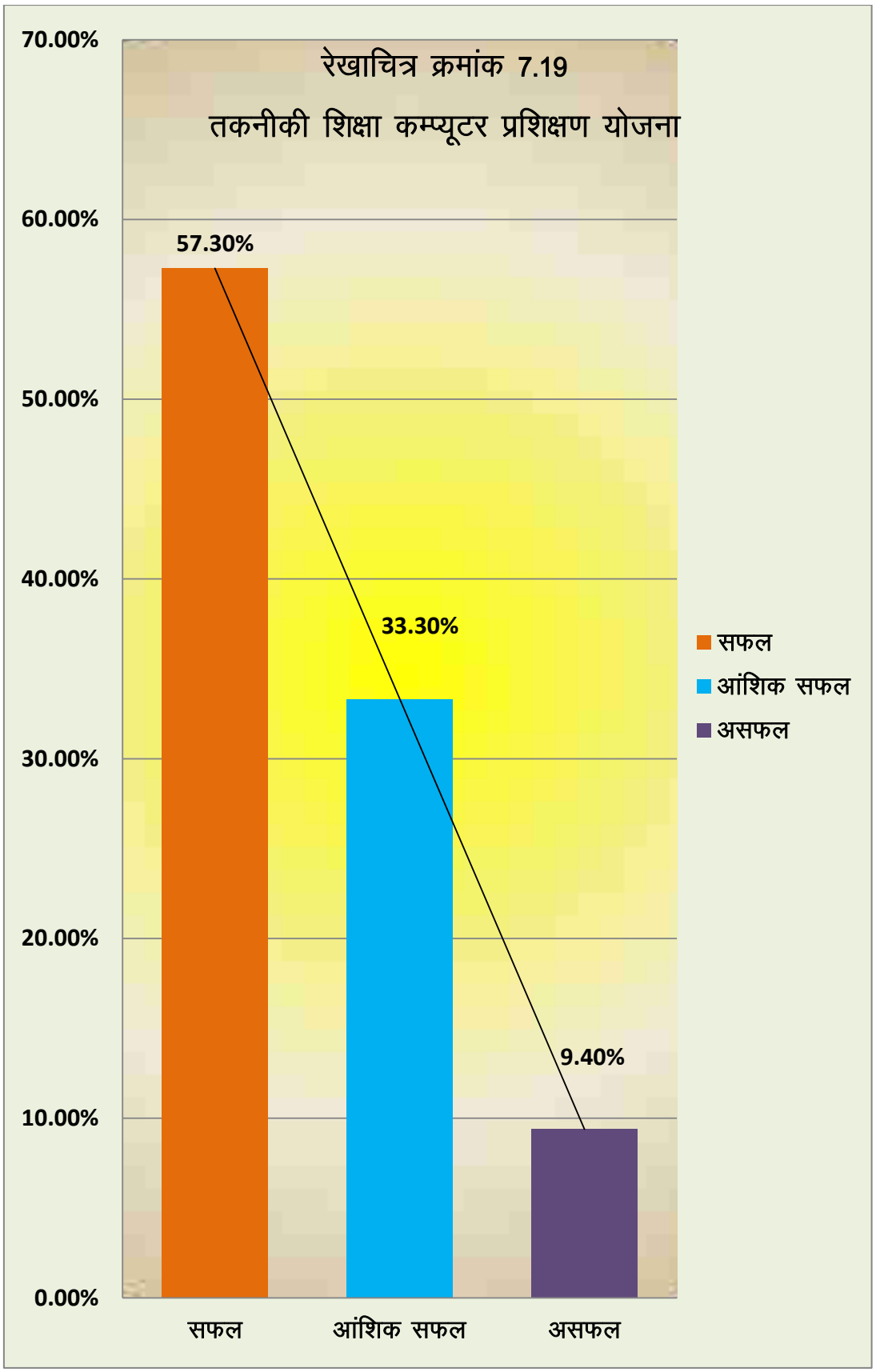
रेखाचित्र क्रमांक 7.19
तकनीकी शिक्षा कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
57.30%
33.30%
9.40%
सफल
आंशिक सफल
असफल
सफल
आंशिक सफल
असफल

तालिका क्रमांक 7.20

विद्यार्थी कल्याण योजना/कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, उत्कृष्ठ छात्रवास योजना/प्रतिष्ठित पब्लिक एवं सेनिक स्कूल में प्रवेश योजना

क्र.	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
01	हाँ	**200**	**66.7%**
02	नहीं	**100**	**33.3 %**
	योग	**300**	**100%**

तलिका क्रमांक 7.20 में 66.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इन योजनाओं की जानकारी के संबंध में हाँ में अपना अभिमत दिया, तथा 33.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नहीं में अपना अभिमत दिया। ज्ञात हो कि यह चारों प्रश्न पर उत्तरदाताओं का समान दृष्टिकोण रहा।

रेखाचित्र क्रमांक 7.20

विद्यार्थी कल्याण योजना/कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, उत्कृष्ठ छात्रवास योजना/प्रतिष्ठित पब्लिक एवं सेनिक स्कूल में प्रवेश योजना

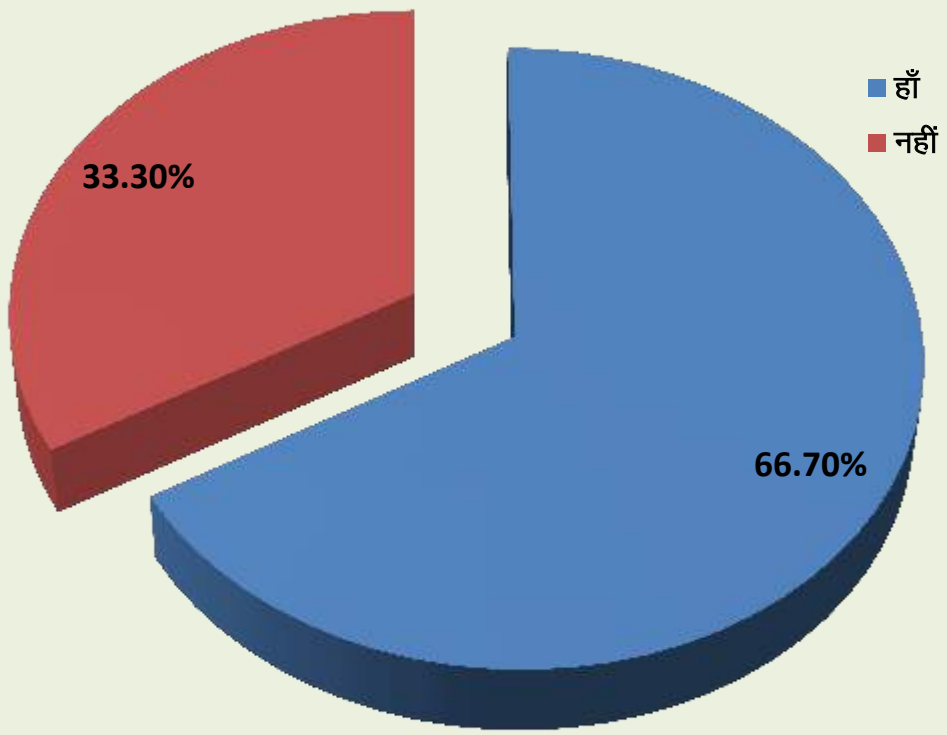

तालिका क्रमांक 7.21

प्रतिष्ठा पूर्नवास योजना/लाड़ली लक्ष्मी योजना, मंगल दिवस योजना/प्रसव पश्चात् प्रोत्साहन योजना

क्र.	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
01	सफल	**206**	**68.6%**
02	आंशिक सफल	**74**	**24.7 %**
03	असफल	**20**	**06.7 %**
	योग	**300**	**100%**

तलिका क्रमांक 7.21 के अन्तर्गत 68.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत हैं ये योजनाएं सफल है, 24.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत हैं कि आंशिक सफल हैं, जबकि 6.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसको असफल करार दिया।

यह तथ्य इस बात की ओर इंगित करता है कि हमारे यहां की महिलाएं शिक्षित, प्रशिक्षित, समझदार एवं अपने कर्तव्य के प्रति गंभीर है।

अतः सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनओं का सही ढ़ंग से इस वर्ग तक लाभ पहुँच रहा है।

रेखाचित्र क्रमांक 7.21

प्रतिष्ठा पूर्नवास योजना/लाड़ली लक्ष्मी योजना, मंगल दिवस योजना/प्रसव पश्चात् प्रोत्साहन योजना

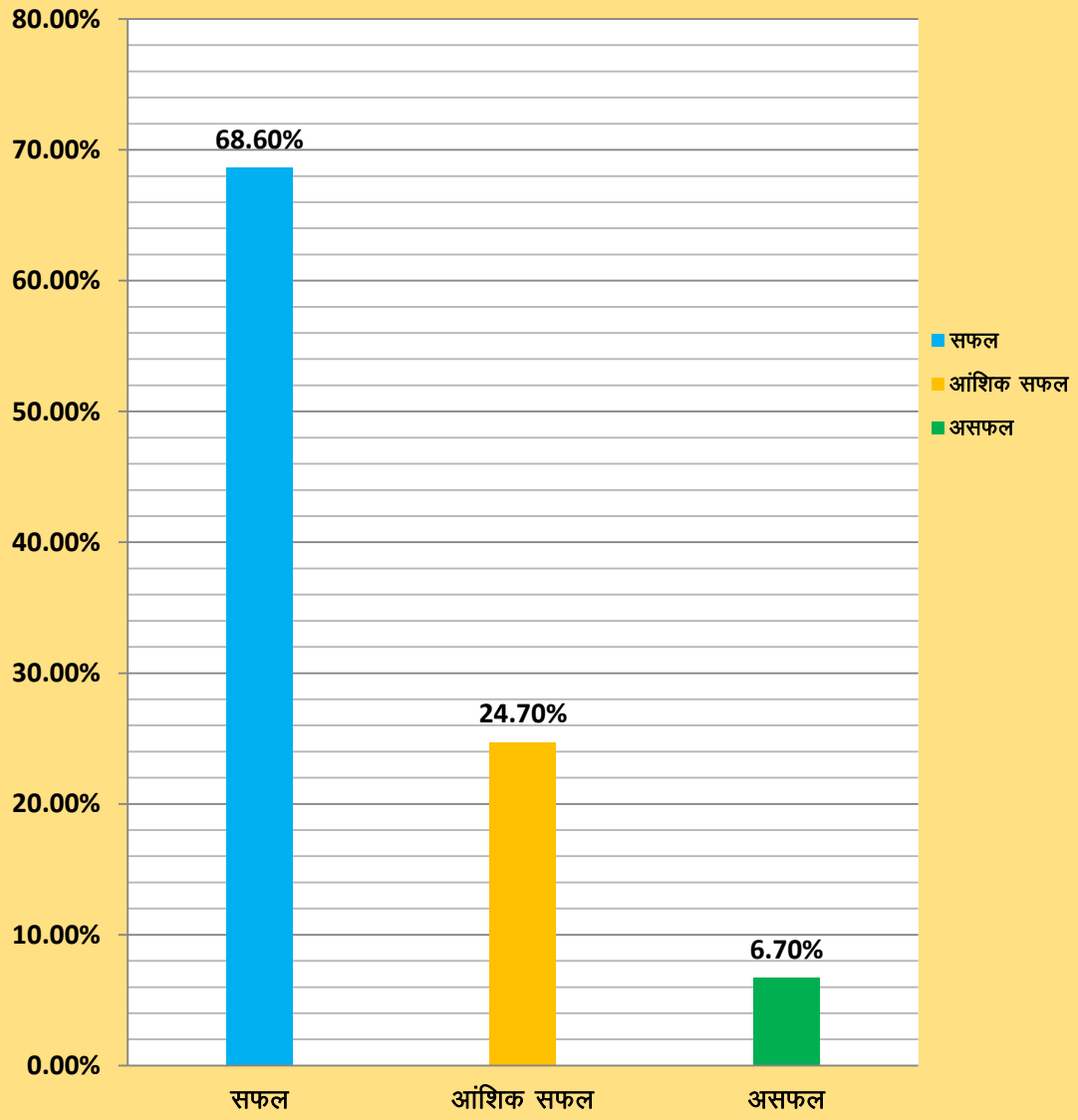

तालिका क्रमांक 7.22

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना/एकिकृत आवास एवं मलीन बस्ती विकास योजना, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन/राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

क्र.	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
01	सफल	**175**	**58.3%**
02	आंशिक सफल	**100**	**33.3%**
03	असफल	**25**	**08.4 %**
	योग	**300**	**100%**

तलिका क्रमांक 7.22 के अन्तर्गत केन्द्रिय प्रवृर्तित इन योजनाओं में 58.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत हैं ये योजनाएं सफल है, 33.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत हैं कि आंशिक सफल हैं, जबकि 8.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसको असफल करार दिया।

यह तथ्य इस बात की ओर इंगित करता है कि प्रदेश में केन्द्र द्वारा प्रदत्त योजनाओं को भी गंभीरतापूर्वक लागू किया जा रहा है, जबकि मई 2014 से पूर्व केन्द्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इसके बावजूद अपनी वाकपटुता, चतुराई, प्रशासकीय कौशल एवं नवाचार का दृष्टिकोण रखने वाले मुख्यमंत्री के कारण ही यह योजना प्रदेश में सफल रही।

रेखाचित्र क्रमांक 7.22

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना/एकिकृत आवास एवं मलीन बस्ती विकास योजना, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन/राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

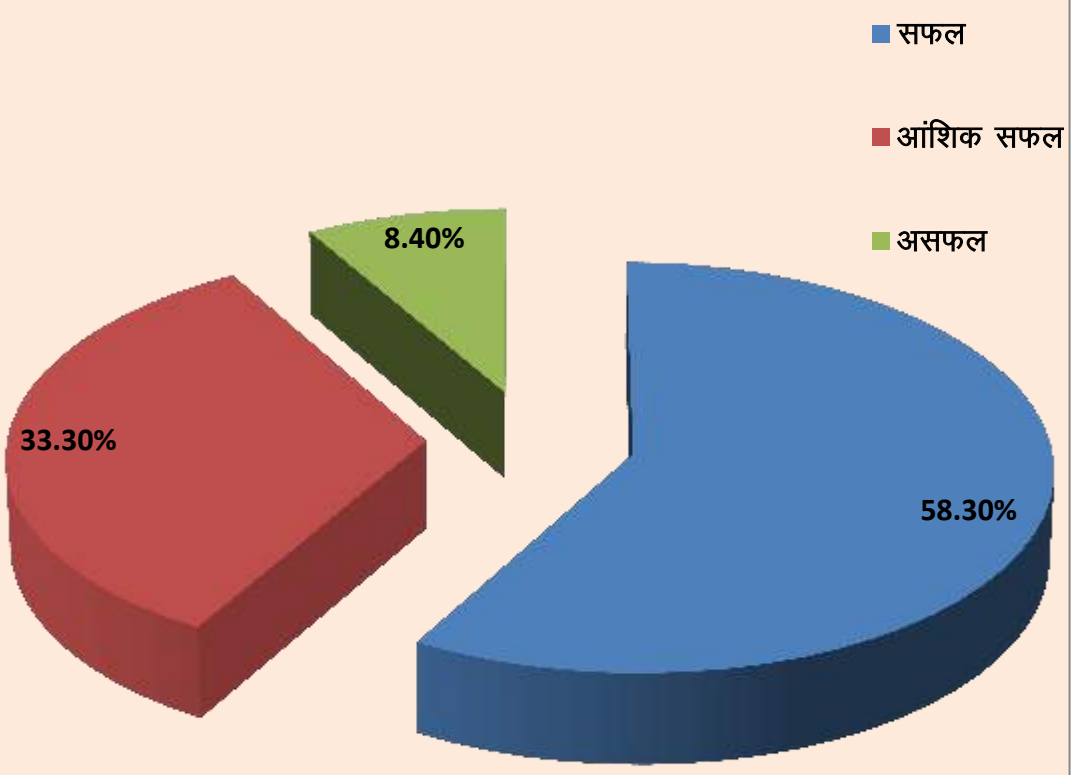

तालिका क्रमांक 7.23

मंगल दिवस योजना/प्रसव पश्चात् प्रोत्साहन योजना

क्र.	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
01	सफल	**206**	**68.6%**
02	आंशिक सफल	**74**	**24.7 %**
03	असफल	**20**	**06.7 %**
	योग	**300**	**100%**

तलिका क्रमांक 7.23 के अन्तर्गत 68.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह मत हैं ये योजनाएं सफल है, 24.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत हैं कि आंशिक सफल हैं, जबकि 6.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसको असफल करार दिया।

रेखाचित्र क्रमांक 7.23

मंगल दिवस योजना/प्रसव पश्चात् प्रोत्साहन योजना

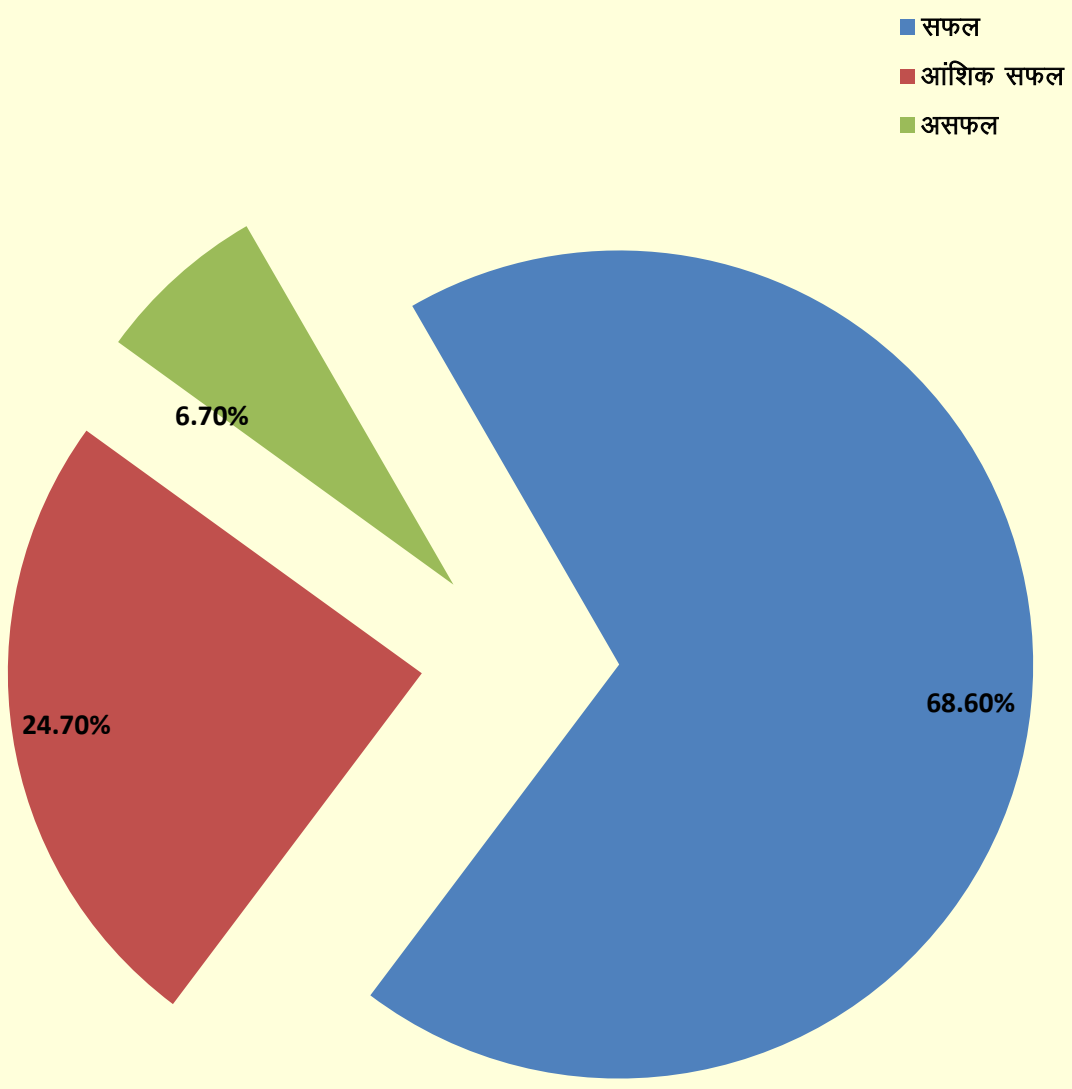

ग्रामीणों को निस्तार सुविधाएँ –

निस्तार नीति में रियायत की सुविधा वनों की सीमा से पांच किमी. की परिधी के ग्रामों को होती है, इन ग्रामों को उपलब्धता के आधार पर वनोपज का प्रदाय वन समिति के माध्यम से किया जाता है। जिन ग्रामों में वन समिति गठित नहीं है, वहां विभागीय निस्तार डिपो के माध्यम से वनोपज का प्रदाय किया जाता है।

तेन्दू पत्ता संग्राहको के लिए सामाजिक सुरक्षा समुह बीमा योजना नामांकित व्यक्ति को 3,500रूपये प्रदाय किये जाते है। दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की स्थिति में 25,000रूपये उत्तराधिकारी को प्राप्त होते है। यदि कोई संग्राहक आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है, तो 12,500 रूपये पूर्ण विकलांग होने पर 25,000 रूपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश में लागू है। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संद्य द्वारा तेन्दूपत्ता संग्राहकों का बीमा कराया जाता हैं, जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो।

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग –

इसके अंतर्गत हाथकरघा, संचालनालय द्वारा संचालित योजनाएं जैसे – 1. हाथकरघा उद्योग विकास योजना। 2. कुटीर उद्योग विकास 3. एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 4. कबीर बुनकर पुरस्कार योजना 5. युवा बुनकरों को संस्थागत प्रशिक्षण योजना आदि के बारे में उत्तरदाता का अभिमत जानने का प्रयास किया गया।

ग्रामीण निस्तार सुविधा एवं कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित योजना के बारे में उत्तरदाताओं का समान अभिमत प्राप्त हुआ।

तालिका रेखाचित्र क्रमांक 7.24

ग्रामीणों को निस्तार सुविधाएं एवं कुटीर एवं ग्रामोद्योग

क्र.	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
01	सफल	**200**	**75.00%**
02	आंशिक सफल	**100**	**25.00 %**
03	असफल	**00**	**00.00 %**
	योग	**300**	**100%**

तलिका क्रमांक 7.24 के अन्तर्गत 75 प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह मत हैं ये योजनाएं सफल है, 25 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत हैं कि आंशिक सफल हैं, जबकि किसी भी उत्तरदाता ने इसके असफलता के पक्ष में जवाब नहीं दिया।

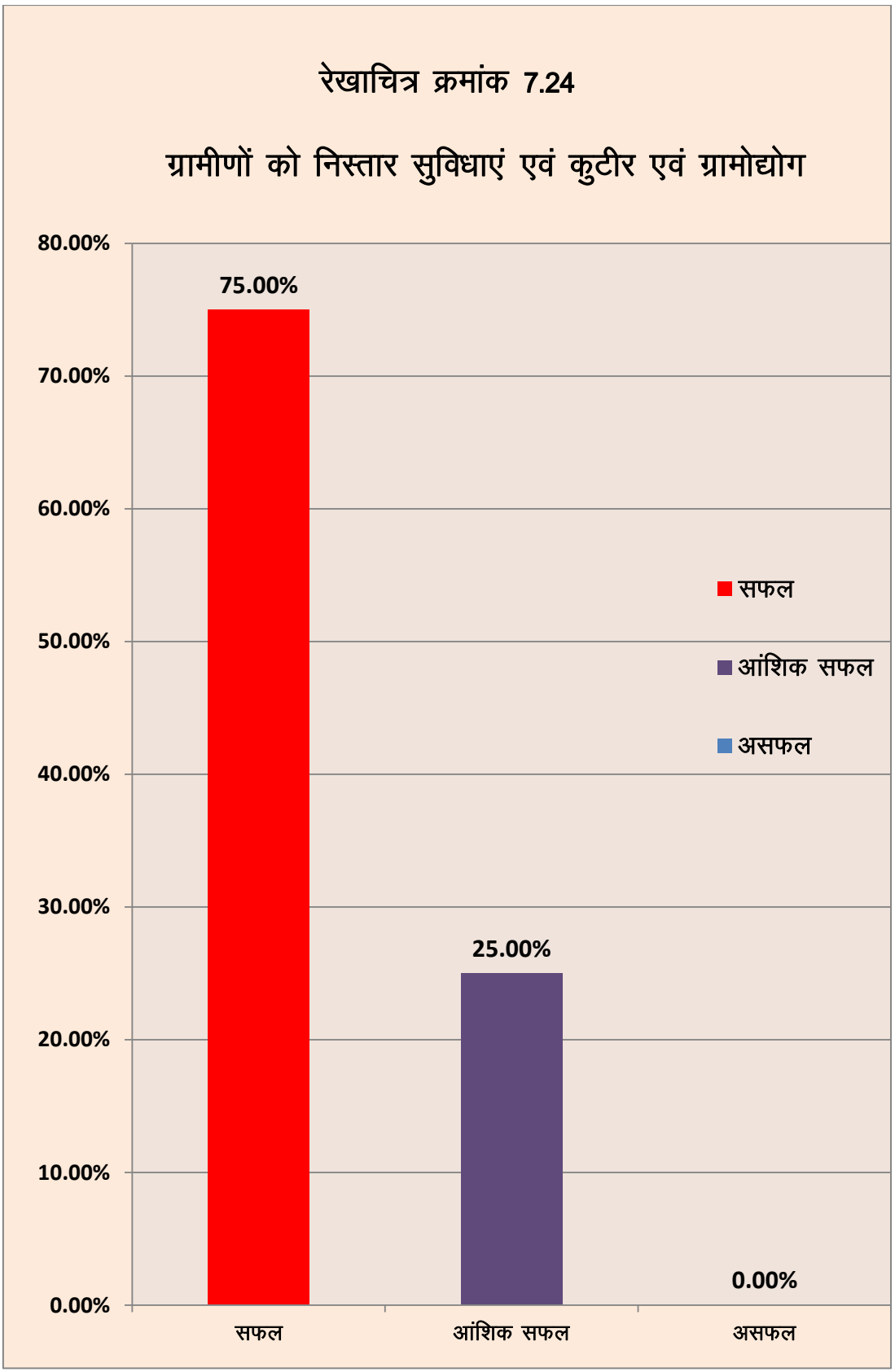
रेखाचित्र क्रमांक 7.24
ग्रामीणों को निस्तार सुविधाएं एवं कुटीर एवं ग्रामोद्योग
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
75.00%
25.00%
0.00%
सफल
आंशिक सफल
असफल
सफल
आंशिक सफल
असफल

तालिका क्रमांक 7.25

आप मतदान करते हैं?

क्र.	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
01	हाँ	**275**	**91.7%**
02	नहीं	**25**	**08.3 %**
	योग	**300**	**100%**

तलिका क्रमांक 7.25 में राजनीतिक चर्चा के अंतर्गत 91.7 प्रतिशत उत्तरदाता मतदान में भाग लेते हैं तथा 8.3 प्रतिशत उत्तरदाता मतदान में हिस्सा नहीं लेते है।

यह तथ्य इस ओर इंगित करता है कि चुनाव आयोग द्वारा दिया गया नारा ''सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो'' हर युवा, जवान, बुढ़े की जुबान पर है। 8.3 प्रतिशत उत्तरदाता जिन्होंने नहीं में उत्तर दिया है, वे नाबालिग एवं विद्यार्थी वर्ग से है।

रेखाचित्र क्रमांक 7.25

आप मतदान करते हैं?

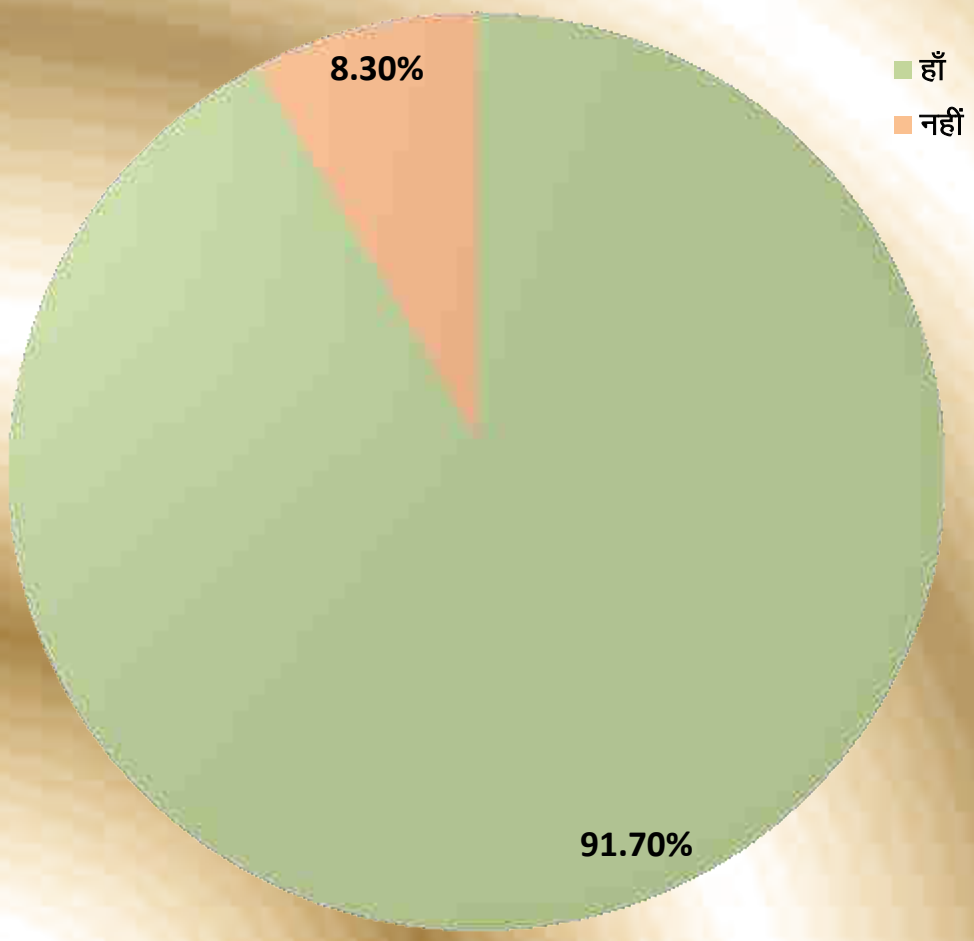

तालिका क्रमांक 7.26

किन अवसरों पर मतदान करते है?

क्र.	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
01	लोकसभा/विधानसभा	**168**	**56.4%**
02	नगरीय	**100**	**33.3 %**
03	अन्य	**32**	**10.3 %**
	योग	**300**	**100%**

तलिका क्रमांक 7.26 के अन्तर्गत 56.4 प्रतिशत उत्तरदाता अपने मताधिकार का प्रयोग लोकसभा एवं विधानसभा में करते है, 33.3 प्रतिशत उत्तरदाता नगरीय निकायों में अपने मत का प्रयोग करते हैं जबकि 32 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य अर्थात नगर पंचायत, ग्रामपंचायत में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं।

यह तथ्य इस बात की ओर इंगित करता है कि मतदाता जागरूक हुआ है।

रेखाचित्र क्रमांक 7.26

किन अवसरों पर मतदान करते है?

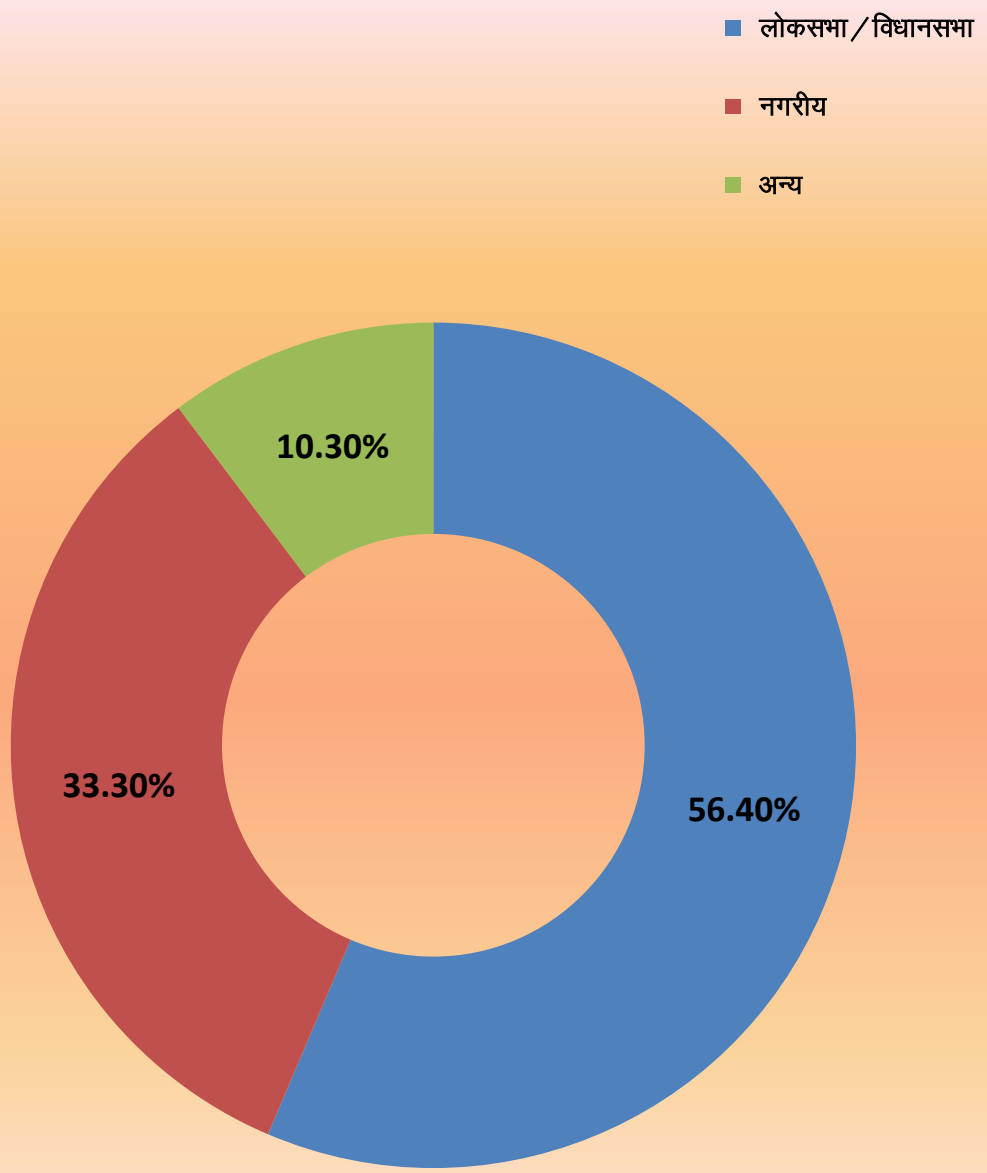

तालिका क्रमांक 7.27

मतदान करने हेतु प्रेरणा देने वाले

क्र.	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
01	स्वजन	**80**	**26.6%**
02	पार्टी कार्यकर्ता	**60**	**20.0 %**
03	अड़ोसी–पड़ोसी	**72**	**24.0 %**
04	स्वयं	**60**	**20.0%**
05	अन्य	**28**	**09.4%**
	योग	**300**	**100%**

तलिका क्रमांक 7.27 के अन्तर्गत 26.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि मतदान के दिन मतदान करने हेतु स्वजन अर्थात परिवार के लोग प्रेरित करते है। 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं को पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रेरित किया जाता हैं। 24 प्रतिशत उत्तरदाताओं को पास–पड़ोस के द्वारा प्रेरित किया जाता है। 20 प्रतिशत उत्तरदाता स्वयं के बल पर मतदान करने हेतु प्रेरित रहते है। एवं 9.4 प्रतिशत नगर उत्तरदाता अन्य अर्थात् नगर या ग्राम के प्रभावशाली लोग या विज्ञापन माध्यम के द्वारा प्रेरित रहते है।

यह तथ्य इस बात की ओर इंगित करता है कि 1990 के बाद के चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन जिसके कारण मतदान निष्क्रीय नहीं होता तथा दुसरा कारण उत्तरदाताओं का शिक्षित होना इस बात को भी इंगित करता हैं कि साक्षरता के प्रतिशत में वृद्धि हो गई है।

रेखाचित्र क्रमांक 7.27

मतदान करने हेतु प्रेरणा देने वाले

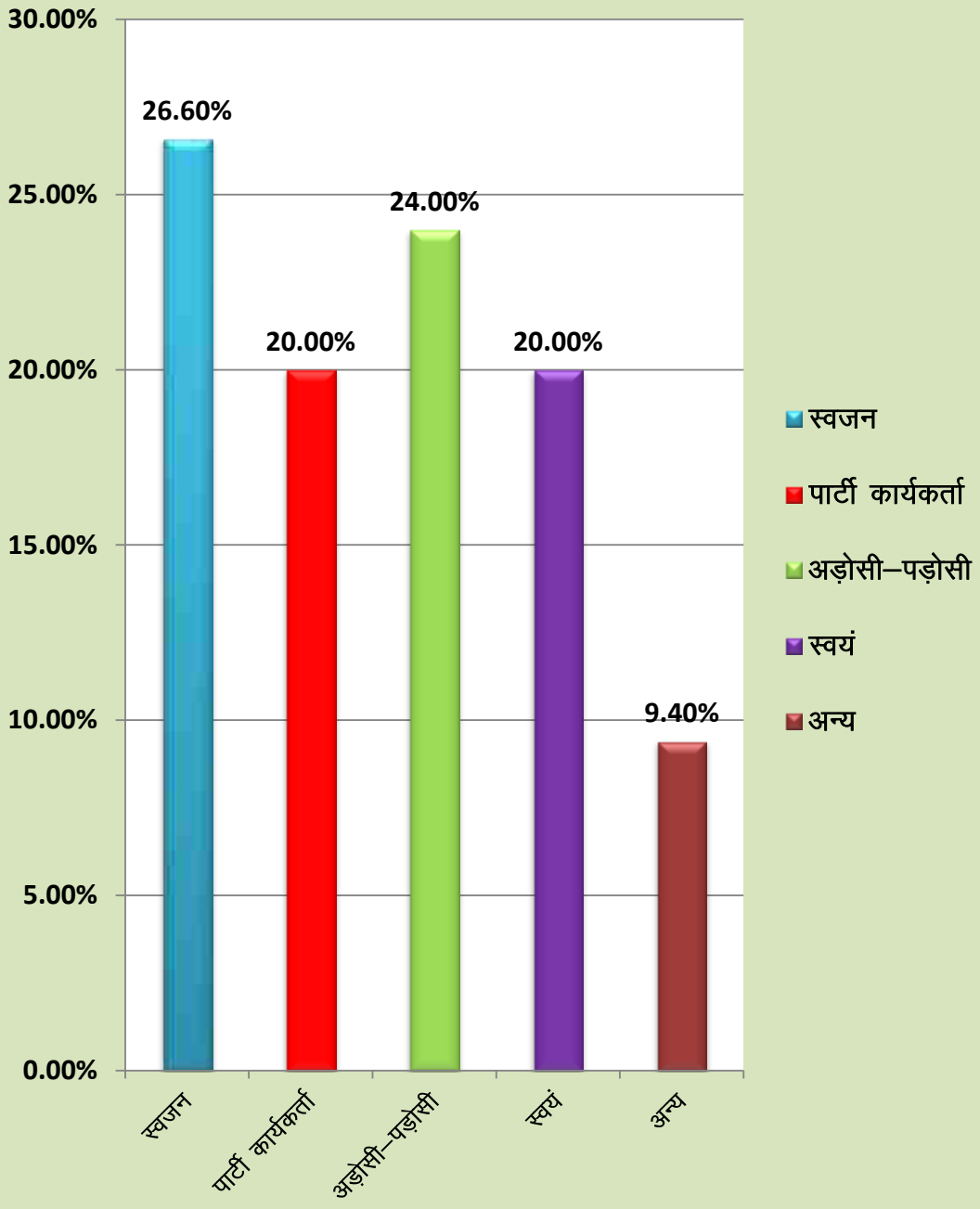

तालिका क्रमांक 7.28

शासन की योजना के फलस्वरूप सुविधाएँ

क्र.	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
01	सड़क	90	30.0%
02	पेयजल	62	20.6%
03	विद्युत	60	20.0%
04	सामाजिक सुरक्षा	58	19.4 %
05	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	30	10.0 %
	योग	300	100%

मतदाता जागरूकता के पश्चात् मतदाता चुनाव में किए गए वादों तथा शासन की योजना के फलस्वरूप मिलने वाली सुविधाओं के प्रति सजग एवं गंभीर है।

तलिका क्रमांक 7.28 के अन्तर्गत 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह मत हैं कि उनके यहां सड़क सुविधा है, 20.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं के यहां पेयजल की सुविधा है। 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत विद्युत सुविधा के पक्ष में हैं। क्रमशः 19.4 एवं 10 प्रतिशत उत्तरदाता सामाजिक सुरक्षा एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी सुविधाओं से परिपूर्ण है।

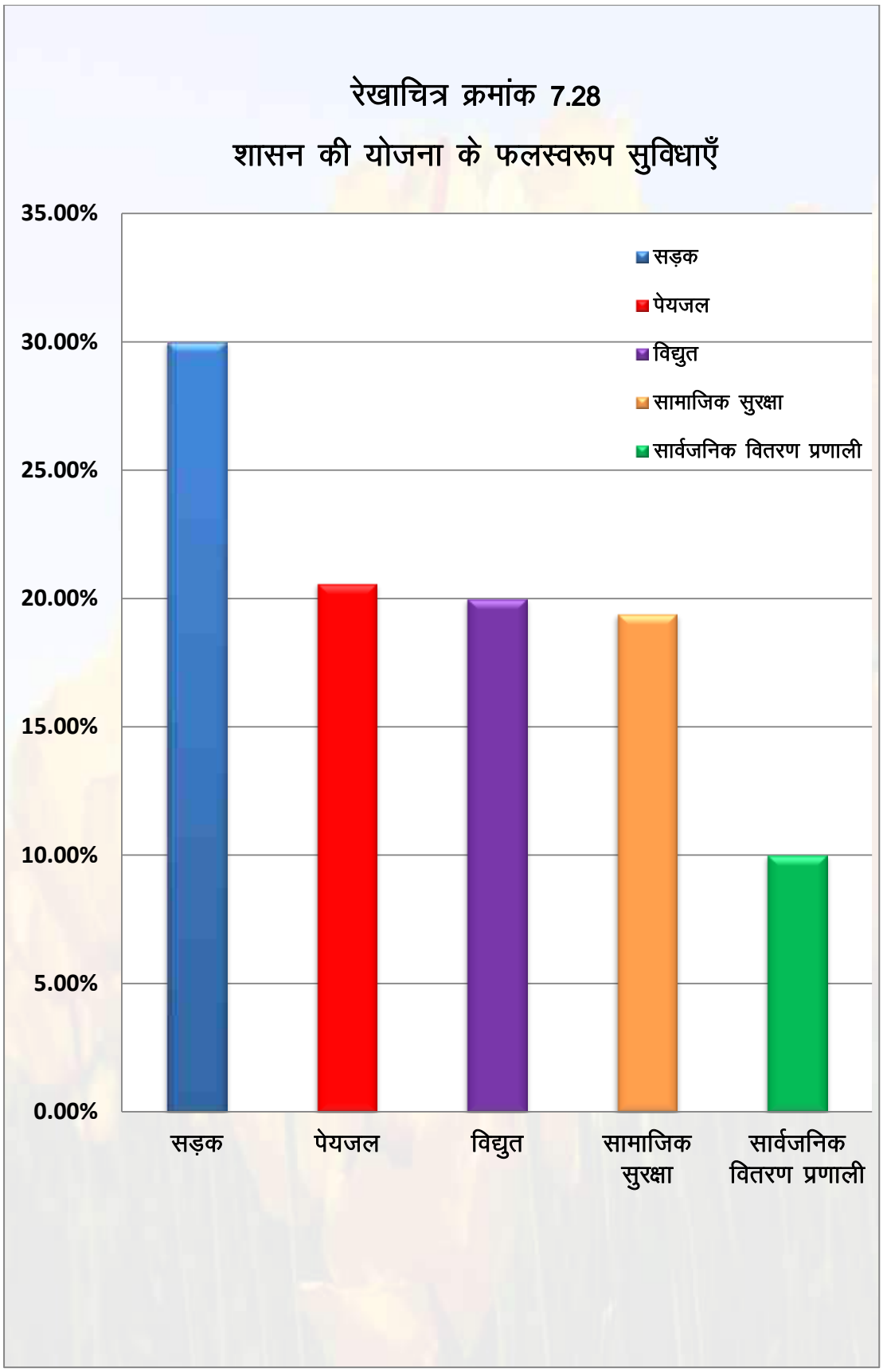
रेखाचित्र क्रमांक 7.28
शासन की योजना के फलस्वरूप सुविधाएँ
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
सड़क
पेयजल
विद्युत
सामाजिक सुरक्षा
सार्वजनिक वितरण प्रणाली
सड़क
पेयजल
विद्युत
सामाजिक सुरक्षा
सार्वजनिक वितरण प्रणाली

तालिका क्रमांक 7.29

घोषणा पत्र का क्रियान्वयन

क्र.	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
01	सफल	**158**	**52.6%**
02	आंशिक सफल	**96**	**32.0%**
03	असफल	**46**	**15.4%**
	योग	**300**	**100%**

तलिका क्रमांक 7.29 में शोध उद्देश्य की पूर्ती हेतु किये गये सर्वेक्षण में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा घोषणा–पत्र में किए गए वादों के संबंध में उसकी सफलता, आंशिकसफलता व असफलता पर 52.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सफल, 32 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आंशिक सफल एवं 15.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसे असफल बताया।

यह तथ्य इस बात की ओर इंगित करता है कि चुनाव में किए गए वादे जनता की कसौटी पर कितने खरे उतरते हैं, यह सरकार के द्वारा किये जा रहे जनहित एवं लोकहित के मुद्दों को प्रभावित करते है।

अतः यह सर्वेक्षण इस बात का द्योतक है कि सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों का क्रियान्वयन सफल है।

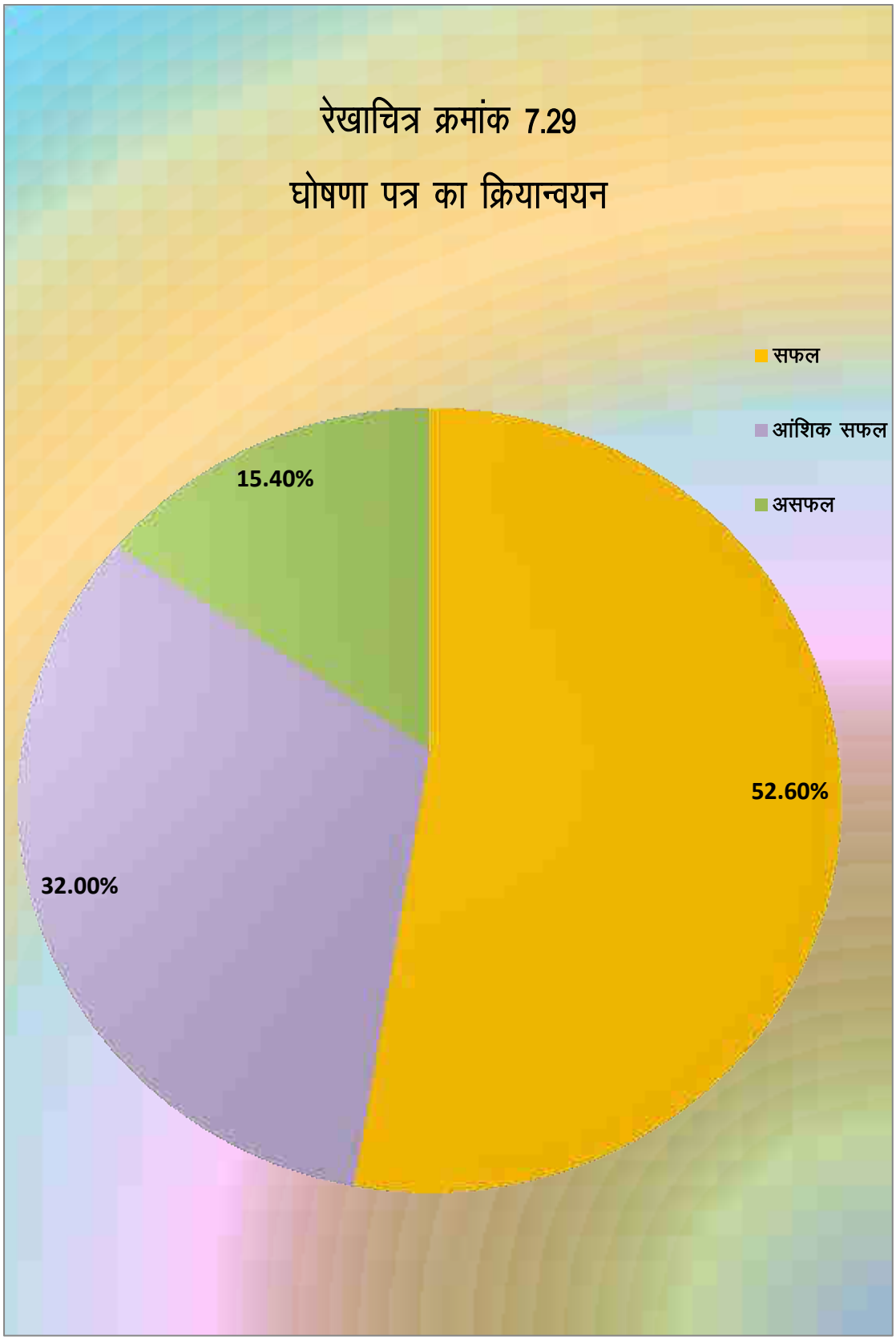
रेखाचित्र क्रमांक 7.29
घोषणा पत्र का क्रियान्वयन
सफल
आंशिक सफल
असफल
15.40%
52.60%
32.00%

तालिका क्रमांक 7.30

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना

क्र.	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
01	सफल	200	66.6%
02	आंशिक सफल	75	25.0%
03	असफल	25	08.4%
	योग	300	100%

तलिका क्रमांक 7.30 में 66.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को सफल माना, 25 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आंशिक सफल एवं 08.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसे असफल बताया।

यह तथ्य इस बात की ओर इंगित करता हैं कि तीर्थ दर्शन योजना अपने आप में भावनात्मक योजना मानवीय पहलू से जुड़ी हुई एवं बुजुर्गों की अंतिम इच्छा ही तीर्थ दर्शन रहती है। अध्ययन क्षेत्र आदिवासी बहुल होने के कारण अधिकांश उत्तरदाता स्वयं के खर्च पर तीर्थ दर्शन में सक्षम नहीं है, और यह योजना विशेषकर ग्रामीणजनों के लिए अनमोल उपहार हैं। इस प्रकार की भावनात्मक योजनाएं प्रदेश सरकार के मुखिया को और अधिक लोक एवं जनप्रिय बना देती है।

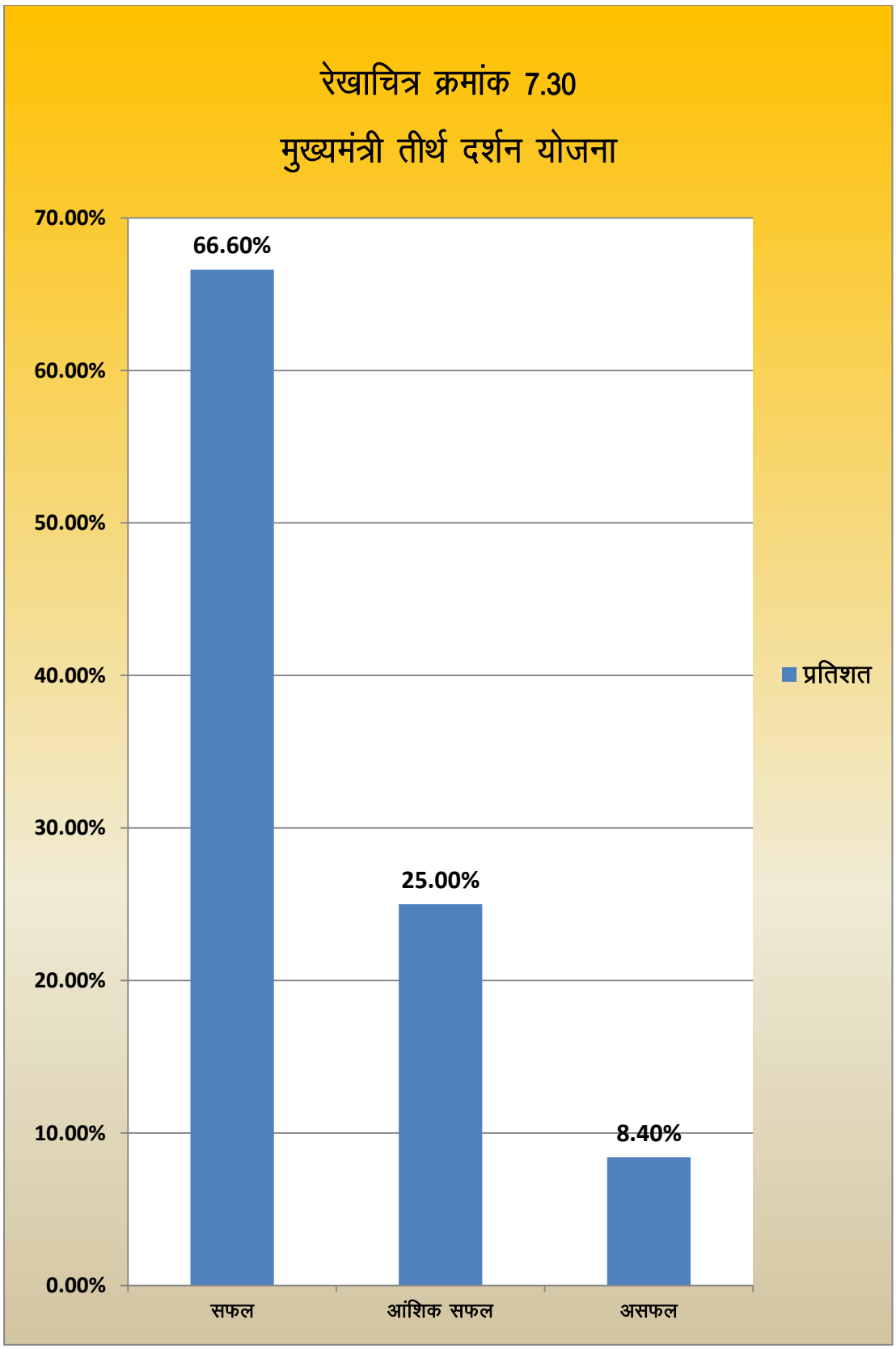
रेखाचित्र क्रमांक 7.30
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
66.60%
25.00%
8.40%
सफल
आंशिक सफल
असफल
प्रतिशत

तालिका क्रमांक 7.31

मर्यादा अभियान

क्र.	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
01	सफल	**155**	**51.6%**
02	आंशिक सफल	**96**	**32.0%**
03	असफल	**49**	**16.4%**
	योग	**300**	**100%**

मर्यादा अभियान अपने आप में एक अनुठी एवं महत्वपूर्ण योजना है, अभी कुछ समय पहले समाचार–पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ था, कि देवास जिले में कलेक्टर महोदय को जनसुनवाई में एक ग्रामीण महिला ने आवेदन दिया था कि मेरे ससुराल में शौचालय नहीं है, मुझे खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है या तो मेरे घर में शौचालय बने या मेरे पति द्वारा मुझे तलाक के साथ गुजाराभत्ता दे।

दूसरा यह पहलू हैं कि सालों से राजा महाराजाओं के जमाने से मैला ढोने की जो प्रथा चली आ रही है उस पर भी विराम लगेगा।

तलिका क्रमांक 7.31 में 51.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस योजना की सफलता के पक्ष मे अभिमत दिया, 32 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आंशिक सफल एवं 16.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसे असफल बताया।

रेखाचित्र क्रमांक 7.31

मर्यादा अभियान

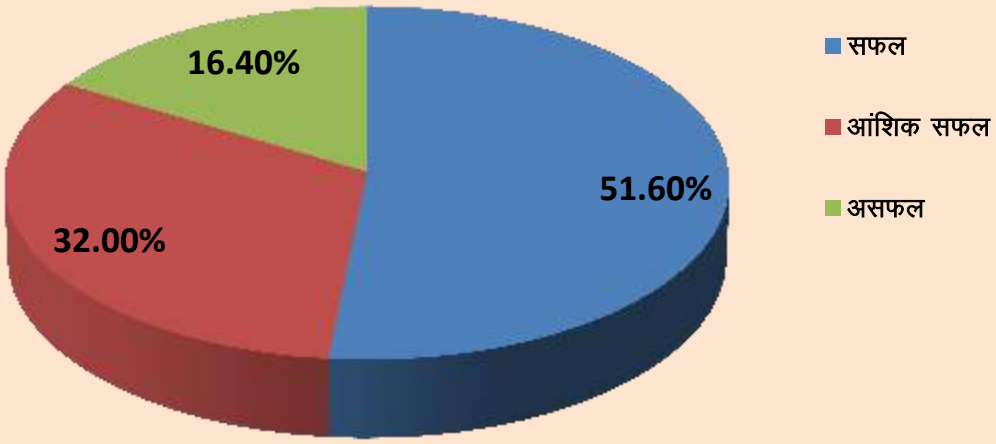

संदर्भ ग्रंथ सूची

आंकड़े – सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त तथ्यों के आधार पर।

निष्कर्ष एवं सुझाव

मध्यप्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है। जो भारत का सबसे सुरक्षित प्रदेश माना जाता है। किसी भी प्रदेश की उन्नति एवं समृद्धि लोकतंत्र एवं प्रदेश सरकार पर निर्भर करती है। मध्यप्रदेश को दुर्भाग्य रहा है कि जब से देश आजाद हुआ यहाँ कांग्रेस सरकार अधिकतम समय रही किन्तु दिग्विजय सिंह सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के जो खस्ता हालात हुए उससे प्रदेश की उन्नति कई वर्ष पिछड़ गई। मध्यप्रदेश राज्य में अब तक 14 विधानसभाओं के निर्वाचन हो चुके है। प्रदेश में अधिकांशतः कांग्रेस की ही सरकार रही है। कांग्रेस के शासन काल में बिजली, सड़क, पानी की समस्याओं से जुझता मध्यप्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में आ गया था। मध्यप्रदेश इस शासन काल में (दिग्विजय सिंह) अपनी पहचान खोता जा रहा था। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में मध्यप्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं से जैसे मुंह ही मोड़ लिया था, मध्यप्रदेश की हालत खराब होती चली गई। मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ मूलभूत सुविधा भी आम जनता की पहुंच से दूर होने लगी। सड़कों की खस्ता हालत के कारण 50 किलोमीटर की दुरी 5–6 घंटों में तय होती थी। परिवहन पूरी तरह से अस्त–व्यस्त हो गया था। इसी कारण से दूसरे राज्य मध्यप्रदेश के साथ व्यापार, व्यवसाय नहीं करना चाहते थे, क्योंकि यहां आने और जाने में उनका समय व धन खर्च हो जाता था कि लाभ का प्रतिशत घटता जा रहा था। 7–8 घंटों तक बिजली प्रदाय नहीं होती थी। बिजली नहीं होने से व्यपार, व्यवसाय, कृषि, उद्योग और विद्यार्थियों की शिक्षा पर काफी असर पड़ रहा था। यही नहीं पानी 2–3 दिन के अंतर से आता था, असमान पानी वितरण की असमान व्यवस्था से जनता इतनी त्रस्त हो गई थी कि, वह किसी भी हाल में इस व्यवस्था में परिवर्त्तन करना चाहती थी और यही कारणों से जनता शासन की बागडोर किसी और को सौंपना चाहती थी। 1993 से 2003 मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकाल में प्रदेश में विकास की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। बुनियादी सुविधाओं जैसे पानी, बिजली एवं सड़क जैसे मुद्दों पर कांग्रेस सरकार विफल रही। वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता

पार्टी ने प्रदेश में विकास को मुख्य मुद्दा बनाते हुए चुनाव में भाग लिया एवं बेहतर सरकार देने का वादा किया।

2003 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे के साथ चुनाव लड़ी तथा उसने 230 स्थानों से चुनाव लड़ा। कांग्रेस सरकार की शासन व्यवस्था में बदहाल जनता ने भाजपा पर अपना विश्वास रखते हुए पूर्ण बहुमत से उसे शासन की बागडोर सौपने का फैसला किया और परिणामतः 173 स्थानों पर सफलता के साथ प्रदेश में सुश्री उमा भारती के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ।

प्रदेश में सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा–पत्र में उल्लेखित कई मुद्दों को पूर्ण करने का प्रयास किया एवं प्रदेश में मुख्य मुद्दों–बिजली, सड़क एवं पानी जिनके आधार पर पार्टी सत्ता में आयी थी, उनकी स्थिति सुधारने में अपने कार्य और नीतियों का निर्माण किया और विकास की दौड़ में कार्य करने के प्रयास किए।

सुश्री उमा भारती 8 दिसम्बर 2003 से 22 अगस्त 2004 तक मुख्यमंत्री पद पर रही। इसके पश्चात् बाबूलाल गौर 27 नवंबर 2005 तक मुख्यमंत्री रहे। बदलते मुख्यमंत्री की इस दौड़ को समाप्त करने एवं प्रदेश में स्थायी एवं साफ सुथरी सरकार बनाने के उद्देश्य से पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने विचार–विमर्श कर 28 नवंबर 2005 को श्री शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की कमान सौंपी।

प्रदेश में सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा–पत्र में उल्लेखित कई मुद्दों को पूर्ण करने का प्रयास किया एवं प्रदेश की स्थिति सुधारने की दिशा में कदम बढ़ायें। प्रदेश में मुख्य मुद्दों – बिजली, सड़क एवं पानी जिनके आधार पर पार्टी सत्ता में आयी थी, उनकी स्थिति में सुधार किया गया। चूंकि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश में विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव में

उतरी थी एवं प्रदेश में जनता ने उस पर विश्वास प्रकट करते हुए प्रदेश की कमान भाजपा को सौंप दी थी।

भारतीय जनता पार्टी ने जनता के विश्वास को बनाए रखा उसके आधार पर भाजपा ने शैक्षणिक विकास में, राजनीति के क्षेत्र में, समाज कल्याण या औद्योगिक उद्यमिता का क्षेत्र हो। हर जगह रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए गए परिणामतः 5 वर्ष के कार्यकाल के पूर्ण होने पर फिर से विधानसभा चुनाव में जनता ने भाजपा पर विश्वास जताते हुए पुनः शासन की बागडोर भाजपा सरकार को सौंपी। योजनाओं के क्रियान्वयन के लक्ष्य आसानी से निर्धारित हो जाते परंतु परिणाम देरी से आते हैं। यही कारण है भाजपा की निर्वाचन 2003 की घोषित योजनाओं के अधूरे परिणाम निर्वाचन 2008 के पश्चात् देखे गये जिसके बेहतर प्रभाव रहे हैं। भाजपा सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में अपने घोषणा–पत्र में किए वादों के अनुसार शिक्षा, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, विद्युत, परिवहन एवं सड़क आदि क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने के लिए योजनाएं एवं नीतियों का निर्माण किया एवं उसका क्रियान्वयन भी किया, जिससे प्रदेश में हर क्षेत्र में कार्य कर विकास किया जा सके।

शोधार्थी ने अपने अध्ययन का क्षेत्र खरगोन जिले को लिया है, जिसकी 9 तहसीलें और विकास खण्ड है। इसमें ''सरकार द्वारा प्रदत्त योजनाओं उनके क्रियान्वयन का विश्लेषणात्मक अध्ययन'' के तहत योजनाओं को लाभ उठाने वाले एवं प्रतिनिधित्व करने वाले वर्गों में विभिन्न महाविद्यालय के विद्यार्थी, प्राध्यापक, अधिवक्ता, व्यापारी, शिक्षक, चिकित्सक, कृषक, पेंशनर आदि को सम्मिलित किया गया है। खरगोन जिले की भौगोलिक, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य का वर्णन कर पूरे जिले की स्थिति का वर्णन किया है।

अध्ययन मूलरूप से प्राथमिक और द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग करके किया गया है। खरगोन जिले के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया गया है तथा द्वितीयक स्त्रोतों का संकलन,

समाचार पत्र, पत्रिकाओं, किताबों, ग्रंथों आदि से प्रकाशित जानकारी से लिया गया है। मार्ग में आई समस्याओं का सामना करते हुए शोधार्थी ने अपना शोध कार्य संपन्न किया।

शोध के दौरान किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि शासन की योजना एवं ज्ञान के संबंध में उन्हे अन्य स्त्रोतों जैसे – पास–पड़ोस, सामुदायिक संगठन, स्थानीय नेताओं से जानकारी प्राप्त होती है। 33.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि समाचार–पत्रों के माध्यम से शासन की योजना की जानकारी प्राप्त होती है। क्रमशः 20 प्रतिशत एवं 6.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं को जानकारी स्थानीय संस्था एवं टेलिविजन के माध्यम से प्राप्त होती है।

अतः हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते है कि अन्य स्त्रोतों का प्रभाव उत्तरदाता पर अधिक पड़ा है।

- सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न योजनाओं की जानकारी

सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन एवं हितग्राहियों के लाभ की स्थिति को जानने के लिए किए गए सर्वेक्षण के अनुसार समय और उत्तरदाताओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा प्रदत्त लोकप्रिय योजना के बारे में 65.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है शासन की योजनाओं की जानकारी हैं के पक्ष में है, जबकि 34.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं में जानकारी का अभाव पाया गया।

अतः यह तथ्य इस बात की ओर भी इंगित करता हैं कि खरगोन जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में भी उत्तरदाता जागरूक एवं शिक्षित हुआ हैं।

- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कार्यक्रम

प्रदेश उन्नति एवं विकास के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री प्रदत्त योजना प्रणाली 2003 लागू की। इन योजनाओं के लाभ की स्थिति एवं क्रियान्वयन हेतु शोधार्थी ने सर्वे किया। सर्वे के अनुसार 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना हैं

कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कार्यक्रम सफल है, 28 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत हैं कि आंशिक सफल हैं, जबकि 12 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अनभिज्ञता जाहिर की।

यह तथ्य इस बात की ओर इंगित करता है कि सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनओं का प्रचार प्रसार सही ढ़ंग से हो रहा है।

- इन्दिरा आवास योजना

56 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना हैं कि इन्दिरा आवास योजना सफल है, 28.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत हैं कि आंशिक सफल हैं, जबकि 15.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत नहीं में हैं।

आवास एवं पर्यावरण नीती 2007 के प्रमुख प्रावधान के अनुसारे प्रत्येक जिले में आवास कार्ययोजना बनाई गई जिसमें शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल किया गया। गाँव से शहरों की ओर पलायन, शहर की तंग बस्तियों में निर्माण की समस्या के निदान के लिए इन्दिरा आवास योजना का निर्माण किया गया।

- जननी शिशु सुरक्षा योजना

60 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना हैं कि जननी शिशु सुरक्षा योजना कार्यक्रम सफल है, 28 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत हैं कि आंशिक सफल हैं, जबकि 12 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत नहीं है।

यह तथ्य इस बात की ओर इंगित करता है कि जननी शिशु सुरक्षा सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनओं का प्रचार प्रसार सही ढ़ंग से हो रहा है। इसमें सरकार का उद्दश्य है कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने का मुख्य उद्देश्य शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं के लिए निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना अपनी कसौटी पर खरा उतरा।

- दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना कार्यक्रम

65.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना हैं कि दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना कार्यक्रम सफल है, 26.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत हैं कि आंशिक सफल हैं, जबकि 08 प्रतिशत उत्तरदाता इसके पक्ष में नहीं है।

यह तथ्य इस बात की ओर इंगित करता है कि गरीबी रखा से निचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के सदस्यों को शासकीय चिकित्सालय में भर्ती होने पर जाँच–उपचार हेतु एक वित्तिय वर्ष में प्रति परिवार 30,000 रूपये सीमा तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यह योजना 25 सितम्बर 2004 से संचालित है।

अतः इस योजना को भरपूर प्रतिसाद मिला है, तथा शासन की योजना यहां भी सफल होती दिखाई देती है।

- रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति/जनजाति स्वरोजगार योजना

50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना हैं कि रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति/जनजाति स्वरोजगार योजना कार्यक्रम सफल है, 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत हैं कि आंशिक सफल हैं, जबकि 20 प्रतिशत उत्तरदाता को इसकी इस संबंध में जानकारी नहीं है।

- डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना

61.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना हैं कि डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना सफल है, 31.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत हैं कि आंशिक सफल हैं, जबकि 6.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अनभिज्ञता जाहिर की।

यह तथ्य इस बात की ओर इंगित करता है कि सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का प्रचार प्रसार सही ढ़ंग से हो रहा है। यह योजना केन्द्र शासन द्वारा चलाई जा रही है, राज्य शासन इसमें सहायता कर रहा है।

- निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना

शासकीय हाई/हायर सैकेण्डरी स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 तक के समस्त वर्ग के विद्यार्थियों के लिये निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराने की योजना सरकार चला रही है। सबंन्धित संस्था के प्राचार्य को नियोक्ता बनाया गया है।

48.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना हैं कि योजना सफल है, 32.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत हैं कि आंशिक सफल हैं, जबकि 19.7 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य से सहमत नही है।

यह तथ्य इस बात की ओर इंगित करता है कि सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनओं में हमारे हाई एवं हायर सैकेण्डरी स्कूल के प्राचार्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है, और संजीदगी के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, जिससे कि सरकार द्वारा चलायी जा रही योजना का लाभ एवं प्रचार प्रसार सही ढ़ंग से हो रहा है।

प्रशासन के द्वारा बनाई नीतियों, निर्देशों और योजनाओं का क्रियान्वयन किस दिशा में हो रहा है, इसकी जानकारी प्रशासन को समय–समय पर उचित निरीक्षण द्वारा लेते रहना चाहिए तथा मार्ग में आई बाधाओं और समस्याओं का उचित निरीक्षण और समस्याओं का उचित समय पर निराकरण करना चाहिए, जिससे पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिल सके तथा योजनाएँ वास्तविक रूप में सफल है ना कि सिर्फ खानापूर्ति की गई हैं।

शोध के माध्यम से शोधकर्ता ने मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उसके कार्य करने के ढंग को जनता किस नजरिए से देखती है, यह जानने का प्रयास किया। योजनाएँ सिर्फ नाम की है या उससे लोगों को लाभ भी मिल रहा है, इसकी जानकारी आमजन के बीच जाकर प्राप्त हो सकती है। यही परिणाम देखा गया कि जिन योजनाओं का प्रचार–प्रसार अधिक है उनकी जानकारी लोगों को है उन योजनाओं के तहत अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल रहा है। तथा यह भी तथ्य सामने आया कि चुनावी घोषणा–पत्रों का सरकार की कार्यप्रणाली पर काफी प्रभाव पड़ा है। सरकार ने जो वादे किए उन्हें कुछ हद तक पूरे भी किए। जैसे – सड़कों का निर्माण, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ आदि की समस्याओं को सुलझाने के साथ–साथ योजनाए भी ऐसी बनाई जिससे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी लाभ प्राप्त हो सके। शिवराज सरकार ने सर्वप्रथम जो योजनाएँ लागू की उसमें लाड़ली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जननी सुरक्षा योजना इत्यादि योजनाएँ काफी सफल रही और फलस्वरूप लोगों को लाभ भी प्राप्त हुआ। इन्ही योजनाओं के माध्यम से भाजपा सरकार जनता की लोकप्रिय एवं विश्वसनीय

सरकार बन गई। पिछले दस वर्षों के विकास को देखते हुए पुनः शिवराज सिंह के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा सरकार सत्ता प्राप्त करने में सफल रही है।

हमारे समाज की विडम्बना है कि इन योजनओं के होते हुए भी आज हम शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़े हुए है, क्योंकि योजनाएँ तो बनाई जाती है लेकिन उनके क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार, लालफीताशाही, राजनीतिक दल बंदी, बिचौलिए, काम न करने की प्रवत्ति आदि समस्याओं के कारण योजनाएँ फलीभूत नहीं हो पाती। सरकार को इन योजनाओं को सफल बनाने की दिशा में अभी और काम करने की आवश्यकता है।

चूंकि प्रदेश में रहने वाली जनता की आवश्यकताओं, उनकी सुख सुविधाओं, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व सरकार का है, इसलिए सरकार ये कार्य अपनी सरकारी तंत्र के द्वारा संचालित करती है। सरकार ने मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद का गठन कर उसे स्वंयसेवी संस्थाओं से जोड़कर गाँव–गाँव तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने एवं गाँव–गाँव में कार्यरत स्वयंसेवी संस्था के पंजीयन एवं उनके कार्य के मूल्यांकन के लिए जन अभियान परिषद को दायित्व दिया। जिसका परिणाम दिखाई देता है। गाँव में इन योजनाओं को सफल कराने एवं इसके तहत लोगों को लाभ पहुंचाने का कुछ श्रेय स्वंयसेवी संस्थाओं और मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद को भी जाता है। चूंकि शिवराज सिहं के नेतृत्व में ये सभी कार्य हो रहे थे, शिवराज जो कि जनता की समस्याओं को समझते थे, उनके समाधान के लिए नीतियाँ और योजनाएँ निर्माण करने एवं क्रियान्वयन में सफल रहे।

सुझाव –

1. सरकार की योजनओं की जानकारी का अभाव है अतः अधिक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए।
2. योजनाओं की जानकारी होर्डिंग, टी–वी. चैनलों, विज्ञापनों एवं समाचार पत्रों, लाउड स्पीकरों आदि से समय–समय पर प्रसारित करना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिल सके।
3. आर्थिक स्थितियों के आधार पर योजनाओं के लाभ की पात्रता होना चाहिए ना कि जाति के आधार पर।
4. भ्रष्टाचारियो और बिचौलियों के खिलाफ की गई शिकायतों का उचित समयानुसार निराकरण करना चाहिए।
5. योजनाओं में लघु और कुटीर उद्योग की स्थापना करके रोजगार के नए अवसर प्रदान करना चाहिए।
6. लघु, कुटीर उद्योगों की स्थापना करके रोजगार के नए अवसर प्रदान करना चाहिए।
7. क्षेत्रीय स्तर पर ऐसे कार्यक्रम किए जाना चाहिए, जिससे लोगों की क्षेत्रीय समस्याओं के आधार पर समाधान किया जा सके।
8. क्षेत्रीय स्तर की भौगोलिक और आर्थिक स्थिति के अनुसार वहां रोजगार के ऐसे अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे लोगों को वहां से पलायन न करना पड़े।
9. जल समस्याओं से निपटने के लिए नदियों को नदियों से जोड़ने के साथ–साथ उनकी साफ सफाई और वर्षा का जल साल भर संरक्षित किया जा सके, इस तरह योजनाएँ बनानी चाहिए।
10. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, जिससे हम उन्हें पुनः उपयोग में ला सके।
11. मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद और संबंधित एंजियों को योजनाओं की जानकारी हेतु समय–समय पर शिविर लगाने चाहिए।

12. इन संस्थाओं के माध्यम से क्षेत्रों का सर्वे कर वहां पर उपलब्ध स्थितियों के माध्यम से रोजगार के नए अवसरों की तलाश करना चाहिए।
13. योजनाओं में 1 रूपयें किलो अनाज देने पर आलस्य प्रकृति बढ़ रही है, अतः योजनाओं का लाभ निशक्त एवं कमजोर वर्गों को देना चाहिए।
14. वनक्षेत्र को बढ़ाने के लिए उस इलाके के आस–पास इस तरह की व्यवस्था करना चाहिए जिससे वहां के लोगों को रोजगार भी मिल सके और वन क्षेत्र की सुरक्षा भी हो सके।
15. जातिगत लाभ पहुंचाने से बचना चाहिए।
16. प्रशासन का कार्य पारदर्शी होना चाहिए।

मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा प्रदत्त योजनाएँ, एवं उनके क्रियान्वयन का विश्लेषण

अध्ययन 2003–2012

सक्षात्कार अनुसूची

निर्देशक

डॉ. श्रीमती गिरिजा निगम
प्राचार्य,
शास. महाविद्यालय,
तराना (म.प्र.)

शोधार्थी

श्रीमती मनीषा शर्मा
सहायक प्राध्यापक
आदर्श कॉलेज
धामनोद

1. नाम – .....
2. जाति – .....
3. उपजाति .....
4. परिवार का स्वरूप – (1) एकांकी ..... (2) संयुक्त .....

क्र.	नाम	संबंध	उम्र	धर्म	लिंग पु. /म.	वैवाहिक स्थिति	शिक्षा की स्थिति	प्रमुख व्यवसाय	मासिक आय (समस्त स्त्रोतों से)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

कृपया अतिरिक्त जानकारी नीचे लिखें :– .....
..

5. आपको शासन की योजनाओं का ज्ञान एंव उनकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है?

(1) समाचार पत्र (2) टी.वी. (3) रेडियो (4) स्थानीय नेता

(5) स्थानीय संस्थाओं (6) एन.जी.ओ. (7) मोबाईल फोन (8) अन्य

6. आपको निम्नांकित योजनाओं की जानकारी है :

(हाँ अथवा नहीं)

(सरकार द्वारा प्रदत्त लोकप्रिय योजनाएँ एंव लाभ)

1) मुख्यमंत्री कन्या दान योजना

हाँ/नही

2) इंदिरा आवास योजना

हाँ/नही

3) जननी सुरक्षा योजना

हाँ/नही

4) दीनदयाल रोजगार योजना

हाँ/नही

5) रानी दुर्गावती अनु. जाति/जनजाति स्वरोजगार योजना

हाँ/नही

6) जनश्री बीमा योजना

हाँ/नही

7) डॉ.ए.पी.जे. अब्दुलकलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना

हाँ/नही

8) विकलांग बच्चों की समावेशित शिक्षा सेकेण्ड्री स्टेज

हाँ/नही

9) निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना

हाँ/नही

10) सुपर 50 योजना

हाँ/नही

11) तकनीकी शिक्षा – अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवक–युवतियों के लिये रोजगारोन्मुखी कम्प्युटर प्रशिक्षण योजना

हाँ/नही

12) विद्यार्थी कल्याण योजना

हाँ/नही

13) कन्या साक्षरता प्रोत्साहन

हाँ/नही

14) उत्कृष्ठ छात्रावास योजना

हाँ/नही

15) प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूल में एवं सैनिक स्कूल में प्रवेश योजना

हाँ/नही

16) विदेश में अध्ययन हेतु छात्रवृति योजना

हाँ/नही

17) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन राशि योजना

हाँ/नही

18) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति राहत योजना नियम 1979

हाँ/नही

19) अस्पृश्यता निवारण के लिए अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

हाँ/नही

20) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आकस्मिकता योजना नियम 1995

हाँ/नही

21) प्रतिष्ठा पुनर्वास योजना

हाँ/नही

22) लघु एवं वित्त व्यवस्था योजना

हाँ/नही

23) लाडली लक्ष्मी योजना

हाँ/नही

24) मंगल दिवस योजना

हाँ/नही

25) स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना

हाँ/नही

26) एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम

हाँ/नही

27) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन

हाँ/नही

28) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

हाँ/नही

29) राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

हाँ/नही

30) मृत्यु की दशा में अंत्योष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना

हाँ/नही

7. शासन की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को औचित्य एवं मूल्याकंन –
(मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की दूसरे कार्यकाल के अंतर्गत)

1) मुख्यमंत्री कन्या दान योजना

क्या कार्यक्रम सफल है?

सफल/असफल/आंशिक सफल

2) इंदिरा आवास योजना

(क) क्या आवास संबंधी यह कार्यक्रम सफल है?

सफल/असफल/आंशिक सफल

(ख) यदि आंशिक सफल/असफल/ सफल हो तो क्यो?

(आवास राशि के उपलब्धता के आवसरों की कमी/नेतृत्व प्रशासनिक भ्रष्टाचार/धन प्राप्त करने संबंधी जटिलता/अन्य/कोई कारण नहीं)

(ग) आवास कार्यक्रमों की सफलता हेतु आपका क्या सुझाव है?

(आवास–निर्माण राशि में वृध्दि/नेतृत्व व प्रशासनिक सुधार राशि अवमुक्त व्यवस्था को सरल बनाना/अन्य/कोई सुझाव नहीं)

3) जननी सुरक्षा योजना

क्या कार्यक्रम सफल है?

सफल/असफल/आंशिक सफल

4) दीनदयाल रोजगार योजना

क्या कार्यक्रम सफल है?

सफल/असफल/आंशिक सफल

5) रानी दुर्गावती अनु. जाति/जनजाति स्वरोजगार योजना

क्या कार्यक्रम सफल है?

सफल/असफल/आंशिक सफल

6) जनश्री बीमा योजना

क्या कार्यक्रम सफल है?

सफल/असफल/आंशिक सफल

7) डॉ.ए.पी.जे. अब्दुलकलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना

क्या कार्यक्रम सफल है?

सफल/असफल/आंशिक सफल

8) विकलांग बच्चों की समावेशित शिक्षा सेकेण्ड्री स्टेज

क्या कार्यक्रम सफल है?

सफल/असफल/आंशिक सफल

9) निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना

क्या कार्यक्रम सफल है?

सफल/असफल/आंशिक सफल

10) सुपर 50 योजना

क्या कार्यक्रम सफल है?

सफल/असफल/आंशिक सफल

11) तकनीकी शिक्षा–अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवक–युवतियों के लिये रोजगारोन्मुखी कम्प्युटर प्रशिक्षण योजना

क्या कार्यक्रम सफल है?

सफल/असफल/आंशिक सफल

12) विद्यार्थी कल्याण योजना

क्या आपका शिक्षा का स्तर उन्नत हुआ है?

हाँ/नही

13) कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना

क) क्या आपके बोध्दिक स्तर में परिवर्तन हुआ है?

हाँ/नही

ख) क्या परम्परागत विचारों में परिवर्तन हुआ है?

हाँ/नही

14) उत्कृष्ट छात्रावास योजना

क्या बेहतर सुविधाओं से शिक्षा का स्तर उन्नत हुआ?

हाँ/नही

15) प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूल में एवं सैनिक स्कूल में प्रवेश योजना

क्या आपके भविष्य के लिए बेहतर विकल्प प्राप्त हुए है?

हाँ/नही

16) विदेश में अध्ययन हेतु छात्रावृति योजना

क) क्या आपको उच्च शिक्षा पाने के अवसर से आपका उत्सावर्धन हुआ है?

हाँ/नही

17) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन राशि योजना

क्या कार्यक्रम सफल है?

सफल/असफल/आंशिक सफल

18) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति राहत योजना नियम 1979

क्या कार्यक्रम सफल है?

सफल/असफल/आंशिक सफल

19) अस्पृश्यता निवारण के लिए अंर्तजातीय विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

क) क्या कानून बनने से आपको अपने अधिकारों को प्राप्त करने में कोई कठिनाई हुई है?

हाँ/नहीं

20) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आकस्मिकता योजना नियम 1995

क) स्वतंत्रता के बाद से स्वतंत्र भारत के वर्तमान समाज में जातिवाद व अस्पृश्यता है?

हाँ/नहीं

21) प्रतिष्ठा पुनर्वास योजना

क्या कार्यक्रम सफल है?

सफल/असफल/आंशिक सफल

22) लघु एवं वित्त व्यवस्था योजना

क्या कार्यक्रम सफल है?

सफल/असफल/आंशिक सफल

23) लाडली लक्ष्मी योजना

क्या कार्यक्रम सफल है?

सफल/असफल/आंशिक सफल

24) मंगल दिवस योजना

क्या कार्यक्रम सफल है?

सफल/असफल/आंशिक सफल

25) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

क्या कार्यक्रम सफल है?

सफल/असफल/आंशिक सफल

26) एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास नवीनीकरण मिशन

क्या कार्यक्रम सफल है?

सफल/असफल/आंशिक सफल

27) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन

क्या कार्यक्रम सफल है?

सफल/असफल/आंशिक सफल

28) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

क्या कार्यक्रम सफल है?

सफल/असफल/आंशिक सफल

29) राष्ट्रिय परिवार सहायता योजाना

क्या कार्यक्रम सफल है?

सफल/असफल/आंशिक सफल

30) मृत्यु की दशा में अंत्योष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना

क्या कार्यक्रम सफल है?

सफल/असफल/आंशिक सफल

8. मध्यप्रदेश सरकार के संदर्भ में शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभ लेने के फलस्वरूप राजनैतिक जीवन में आये परिवर्तन –

क्या आप मतदान करते है?

हाँ/नहीं

यदि हाँ तो किन–किन अवसरों पर?

1) नगरीय निकाय 2) विधानसभा

3) लोकसभा 4) अन्य

यदि नहीं तो क्यों?

1) जानकारी का अभाव 2) जागरूकता का अभाव 3) सम्पर्क का अभाव

4) रूचि नहीं 5) विश्वास नहीं 6) अन्य

9. क्या आपके नगर में शासन की योजनाओं के फलस्वरूप निम्न सुविधाएँ उपलब्ध है?

1. सड़क 2. पेयजल 3. विद्युत

4. सामाजिक सुरक्षा 5. सार्वजनिक वितरण प्रणाली

10. इलेक्ट्रानिक मीडिया ने राजनीति के में परिवर्तन किया है?

हाँ/ नहीं

11. क्या स्थानीय स्वशासन में आरक्षण व्यवस्था अपनी उचित भूमिका निभा पा रही है?

हाँ/ नहीं

12. क्या राजनैतिक दल अपना वादा पूरा करते है?

हाँ/ नहीं

13. क्या आप शासन के कार्यो से संतुष्ट है?

हाँ/ नहीं

यदि नहीं तो असंतुष्टि के कारण क्या है?

1. पक्षपात 2. गुटबंदी 3. भ्रष्टाचार

4. भाई–भतीजावाद 5. केवल अपना हित साधना 6. उपरोक्त सभी

14. क्या आप राजनैतिक समाचार पत्रों/रेडियों/दूरदर्शन आदि में पढ़ते या सुनते है :

हाँ/ नहीं

15. आप परिवार के सदस्यों के मध्य राजनैतिक चर्चा करते है?

हाँ/ नहीं

16. क्या आपको शासन के कार्यो की जानकारी है?

हाँ/ नहीं

17. क्या आप किसी दबाव में मतदान करते है?

हाँ/ नहीं

18. क्या आको सकारा द्वारा चलाई जा रही आर्थिक योजनाओं की जानकारी है?

हाँ/ नहीं

यदि हो तो कौन सी योजनाओं की जानकारी है :

1.....2.....3.....

19. परिवारों में कमाने वाले सदस्यों की संख्या : .....

20. आपके परिवार की कुल वार्षिक आयः .....

21. क्या आप बचत करते है ?

हाँ/ नहीं

22. आप ऋण किससे लेते है ?.....

23. क्या शासकीय योजनाओं की जानकारी देने वाले कोई व्यक्ति/संस्था/कर्मचारी ने आपसे सम्पर्क किया?

हाँ/ नहीं

24. क्या आपने अभी तक किसी सरकारी आर्थिक योजना का लाभ लिया है :

- ❖ यदि हाँ तो क्या आप संतुष्ट है :
- ❖ यदि नही ंतो असंतुष्टि का क्या कारण है :
- ❖ आपको योजनाओं की सही जानकारी नहीं दी गई?
- ❖ कर्मचारी का व्यवहार ठीक नहीं था?
- ❖ योजनाओं में खामियाँ थी?

संदर्भ ग्रंथ सूची

- मध्यप्रदेश संदर्भ 2008, प्रकाशक आयुक्त जनसंपर्क जनसंपर्क भवन टेगोर मार्ग, भोपाल, पृष्ठ सं. 452
- मध्यप्रदेश संदर्भ 2013, प्रकाशक आयुक्त जनसंपर्क मध्यप्रदेश भोपाल पृष्ठ सं. 12
- स्टेट गजेरिया, भोपाल पृष्ठ सं. 104
- सेन्ट्रल इण्डिया ऐजेन्सी रिपोर्ट 1980.81 पृष्ठ सं. 46
- मध्यप्रदेश संदर्भ 2013, प्रकाशक आयुक्त जनसंपर्क मध्यप्रदेश भोपाल पृष्ठ सं. 37
- मध्यप्रदेश संदेश, प्रकाशक आयुक्त जनसंपर्क मध्यप्रदेश भोपाल, अंक 7 नवम्बर 2013, पृष्ठ सं. 43
- रसेल आ.पी. एण्ड हिरालाल दि ट्राईब्ज एण्ड कास्ट इण्डिया पृष्ठ सं. 139
- सबका साथ सबका विकास आयुक्त जनसंपर्क मध्यप्रदेश शासन पृष्ठ सं. 67
- मध्यप्रदेश जिला गजेटियर खरगोन, राजभाषा एवं संस्कृति संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल, पृष्ठ सं. 38
- मध्यप्रदेश जिला गजेटियर खरगोन, राजभाषा एवं संस्कृति संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल, पृष्ठ सं. 86
- मानव विकास प्रतिवेदन जिला खरगोन राज्य योजना आयोग मध्यप्रदेश, भोपाल पृष्ठ सं. 113
- मुखर्जी आर.एल., सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी, विवके प्रकाशन, नई दिल्ली, 1993 पृष्ठ सं. 67

❖ रविन्द्रनाथ मुखर्जी, सामाजिक अनुसंधान, पृष्ठ सं. 37

❖ एम.पी.शर्मा शोध पध्दति, पृष्ठ सं. 59

❖ बोगार्ड्स ई.एस. 1968 ऐन इन्ट्रोडक्शन टू सोसल रिसर्च, ऐन्जिल एण्ड सट्टन हाउस, (प्रा.लि.), नई दिल्ली पृष्ठ सं. 92

❖ सिंह श्यामघर 1979 वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के मूल तत्व, कमल प्रकाशन, प्रिन्स यशवंत रोड, इन्दौर, पृष्ठ सं. 206

❖ चौबे रमेश, सामाजिक अनुसंधान तथा शोध प्रविधि हिन्दी गंथ अकादमी भोपाल, पृष्ठ सं. 16

❖ मुखर्जी आर.एन. 1990 सोसल रिसर्च एण्ड स्टेटिस्टिक्स, विवके प्रकाशन दिल्ली, पृष्ठ सं. 87

❖ आल्फ्रेड जे. काहन 1960 दि डिजाइन ऑफ सोसल रिसर्च, दि युनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस, शिकागो, पृष्ठ सं. 56

❖ जैन पी.सी., संगठनात्मक व्यवहार, सरस्वती पब्लिकेशंस, जयपुर 1992 पृष्ठ सं. 58

❖ कोठारी रजनी, कास्ट इन इण्डियन पॉलिटिक्स, ओरिएण्ट लाँगमेन, दिल्ली, 1970 पृष्ठ सं. 69

❖ लिमये मधु, कांग्रेस – इट्स स्ट्रेंथ एण्ड वीकनेस, हिन्दू, जुलाई 16, 1992 पृष्ठ सं. 23

❖ राठौर मीना, भारत में राजनैतिक दल, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 2003 पृष्ठ सं. 57

❖ शर्मा आर.पी., द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इण्डिया, द इण्डियन पब्लिकेशंस, 1963 पृष्ठ सं. 86,87

❖ वाजपेयी अशोक, पंचायती राज एवं रूरल डेवलपमेन्ट, 1998 पृष्ठ सं. 61

❖ वाजपेयी अन्तिमा, भारतीय निर्वाचन पध्दति, नार्दर्न बुक डिपो (सेंटर), दिल्ली, 1992 पृष्ठ सं. 47

❖ शर्मा हरीशचन्द्र, भारत में स्थानीय प्रशासन, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 1999 पृष्ठ सं. 106

❖ आगे आये लाभ उठाये 2009, प्रकाशक आयुक्त जनसंपर्क, टेगोर मार्ग, भोपाल, पृष्ठ सं. 26

❖ मध्यप्रदेश संदर्भ 2012, आयुक्त जनसंपर्क भवन, टेगोर मार्ग, भोपाल, पृष्ठ सं. 273

❖ मध्यप्रदेश संदेश अंक 11, वर्ष 110, नवम्बर 2014 प्रकाशन जनसंपर्क, भवन बाणगंगा भोपाल

❖ मध्यप्रदेश शासन दैनंदिनी म.प्र. शासन, भोपाल, पृष्ठ सं. 62

❖ सहायक आयुक्त कार्यालय : जिला संयोजक, भोपाल, पृष्ठ सं. 13

❖ मध्यप्रदेश संदेश 2008, अंक 3, पृष्ठ सं. 41

❖ आगे आये लाभ उठाये 2009, पृष्ठ सं. 78

❖ आगे आये लाभ उठाये 2011, पृष्ठ सं. 64

❖ आगे आये लाभ उठाये 2012, पृष्ठ सं. 51

❖ वर्मा राम स्वरूप, अछुतों की समस्या और समाधान

❖ आँकड़े मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग, भोपाल मध्यप्रदेश, 2009

❖ आँकड़े मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग, भोपाल मध्यप्रदेश, 2013

❖ मुख्यमंत्री की अभिनव योजनाएँ 2013 जनसंपर्क कार्यालय, भोपाल, पृष्ठ सं. 51

❖ गिरिजा शंकर, चुनाव मध्यप्रदेश 2008–09 अपूर्वा प्रकाशन, भोपाल, पृष्ठ सं. 17

❖ भाम्भरी, सी.पी., इलेक्शनस् – 191: एन एनालिसिस, बी. आर. पब्लिशिंग, नयी दिल्ली, 1991, पृष्ठ सं. 39

❖ भाम्भरी, सी.पी. भारतीय जनता पार्टीः पेरीफेरी टू सेण्टर, शिप्रा पब्लिकेशंस, दिल्ली, 2001, पृष्ठ सं. 13

❖ भगत के. अंजना, इलेक्शन्स एण्ड इलेक्टोरल रिफार्मस् इन इण्डिया, विकास पब्लिशिंग हाऊस, नयी दिल्ली, 1996, पृष्ठ सं. 87

❖ भगवानदास, विश्व में दलीय प्रणाली का उद्भव एवं विकास, महिला विधि भारती, विधि भारती परिषद, दिल्ली, 1999, पृष्ठ सं. 74

❖ अग्रवाल, एस. पी., लोकसभा एण्ड विधानसभा इलेक्शन्स, प्रोसेस एण्ड रिजल्ट्स विद कम्पेरेटिव स्टडी ऑफ मेनीफेस्टोस्, कांसेप्ट पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली

❖ मध्यप्रदेश संदर्भ 2012 प्रकाशक आयुक्त जनसंपर्क जनसंपर्क भवन टेगोर मार्ग, भोपाल, पृष्ठ सं. 31

❖ मध्यप्रदेश ''आज और कल'' प्रकाशक रामभुवन सिंह कुशवाह, अरूणा कुशवाह, प्रियंका ऑफसेट 25 प्रेस काम्पलेक्स, भोपाल पृष्ठ सं. 53

- अवस्थी मध्यप्रदेश प्रदेश प्रशासन, हिन्दीग्रंथ अकादमी, भोपाल, पृष्ठ सं. 26
- सबका साथ सबका विकास'' प्रकाशक आयुक्त जनसंपर्क, भोपाल पृष्ठ सं. 83
- मध्यप्रदेश शासन दैनंदिनी म.प्र. शासन, भोपाल, पृष्ठ सं. 62
- सहायक आयुक्त कार्यालय : जिला संयोजक, भोपाल, पृष्ठ सं. 13
- आँकड़े मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग, भोपाल मध्यप्रदेश, 2009
- आँकड़े मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग, भोपाल मध्यप्रदेश, 2013
- वर्मा रामस्वरूप, अछूतों की समस्या व समाधान पृष्ठ सं. 39
- www.janabhiyanparishad.com
- www.mpjap.org.2012
- www.mp.gov.in
- www.mponline.gov.in/portal/services/cmrf/indexhihtml
- www.mponline.gov.in/portal/services
- www.mp.gov.publicrelation.in
- http://www.ideaform.net
- www.mpsamadhan.org
- www.mpkrishi.org
- www.mpbdandbt.ric.in
- www.mpindustry.org

- www.mptax.net
- www.mpculture.in
- www.nvda.nic.in
- www.health.mp.gov.in
- www.mpinfo.org
- www.sednnp.nic.in
- www.techedu.org
- www.mptourism.com
- www.mptransport.org
- www.mpwed.nic.in
- www.mp.nic.in
- www.mpladlilaxmi.com
- www.mp.gov.in/gad
- www.mp.gov.in/parlimentaryaffairs
- www.mp.gov.in/planning
- www.sushasanmp.in
- www.mp.gov.in/services/right2info.asp (right to information)
- www.mpvidhanshabha.nic.in

पत्र पत्रिकाएँ

- ❖ मध्यप्रदेश संदेश
- ❖ इण्डिया टुडे
- ❖ क्रानिकल
- ❖ जनसत्ता
- ❖ इण्डियन एक्सप्रेस
- ❖ फ्री प्रेस
- ❖ स्वदेश
- ❖ नव दुनिया
- ❖ दैनिक जागरण
- ❖ नई दुनिया
- ❖ दैनिक भास्कर
- ❖ पत्रिका
- ❖ दबंग दुनिया
- ❖ 6 pm
- ❖ अग्निबाण

शब्द–ब्रह्म
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
ISSN 2320 – 0871
17 जनवरी 2016
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

सरकार द्वारा प्रदत्त योजनाएँ एवं क्रियान्वयन का विश्लेषणात्मक अध्ययन

*श्रीमती मनीषा शर्मा, विभागाध्यक्ष, राजनीति विभाग
**डॉ.गिरिजा निगम, प्राचार्य,
*आदर्श इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एण्ड साईस, धामनोद
**शासकीय महाविद्यालय, तराना,
मध्यप्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

एक सफल सरकार बनाने के लिए आवश्यक है कि जनता की समस्याओं का पता लगाकर उनका समाधान खोजना। इस कार्य को करने में सरकार की क्या भूमिका है और वह किस माध्यम से योजनाओं का निर्माण करती है एवं उनके क्रियान्वयन में कहां तक सफल हुई है एवं जनता तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है या नहीं। प्रस्तुत शोध पत्र में मध्यप्रदेश में शासन द्वारा संचालित योजनाओं और उनके क्रियान्वयन का विश्लेषण किया गया है।

प्रस्तावना

जमीनी समस्याओं के निदान के लिये राजनीतिक कुशलता तथा समय की आवश्यकता होती है। योजना के क्रियान्वयन के लक्ष्य आसानी से निर्धारित हो जाते हैं परन्तु परिणाम देरी से आते हैं। यही कारण है कि भाजपा की निर्वाचन 2004 की घोषित योजनाओं के अधूरे परिणाम निर्वाचन 2008 के पश्चात् देखे गए, जिसके बेहतर प्रभाव रहे हैं।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय

प्रस्तुत अध्ययन मध्यप्रदेश के विशेष संदर्भ में है लेकिन अध्ययन की इकाई के रूप में विशेषकर खरगोन जिले को लिया गया है। जिसके अंतर्गत जिले में 9 तहसीलें तथा विकासखण्ड हैं, जिसके अंतर्गत खरगोन, बड़वाह, भगवानपुरा, सेगॉव, भीकन गॉव, झीरन्या, महेश्वर, बड़वाह, कसरावद, गोगांवा सम्मिलित हैं। 25 नवम्बर 1956 में नवीन मध्यप्रदेश का निर्माण हुआ। नव निमाड़ प्रदेश को दो जिला प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया। पश्चिम में खरगोन जिला अर्थात् पश्चिम निमाड तथा पूर्व में खण्डवा जिला अर्थात पूर्वी निमाड़ के नाम से जाने जाते हैं।

खरगोन जिले का भौगोलिक महत्व

खरगोन जिला 21.22 से 22.23 उत्तरी अक्षांश 75.19 से 76.14 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। कर्क रेखा जिले के ऊपरी बिन्दु से लगभग 101 कि.मी. से दूर गुजरती है। प्राकृतिक रूप से यह जिला नर्मदा घाटी का मध्यवर्ती भाग है, जिसकी उत्तरी विन्ध्य कगार तथा दक्षिणी सीमा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। जिले का कुल क्षेत्रफल 13485 वर्ग कि.मी.है। उत्तर में धार एवं इंदौर तथा दक्षिण में बड़वानी जिला तथा महाराष्ट्र राज्य की सीमा है। जिला मुख्यालय खरगोन की समुद्र तल से ऊँचाई 259 मीटर है। सबसे अधिक 416 मी. की ऊँचाई सेंधवा तहसील है और सबसे कम बड़वाह 102 मीटर है।

शोध का उद्देश्य - सामान्यतः अनुसंधान हेतु निर्मित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अध्ययनकर्ता को

शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 जनवरी 2016
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

कुछ शोध प्रश्नों अथवा परीक्षणार्थ परिकल्पनायें निर्मित करनी होती हैं। अध्ययन के अन्तिम सोपान में इन परिकल्पनाओं की सत्यता तथा सार्थकता का परीक्षण करके निष्कर्ष उद्घाटित (स्थापित) किये जाते हैं, जिसे सिद्धान्तीकरण कहते हैं। अध्ययनकर्ता ने भी कतिपय परिकल्पनाएँ निर्मित की हैं। अनुसंधान कार्य हेतु यह परमावश्यक होता है कि सर्वप्रथम 'परिकल्पनाएँ' शब्द की अवधारणा स्पष्ट कर ली जाए। सामान्यतः शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से परिकल्पना (परि+कल्पना) दो शब्दों का योग है, जिनके अर्थ क्रमशः 'चारों ओर' तथा 'विचार या चिन्तन करना' है अर्थात अध्ययन समस्या के सन्दर्भ में एक सामान्य अनुमान के आधार पर विचार करना। इस प्रकार एक शोधकर्ता अनुसंधान कार्य आरम्भ करने के पूर्व ही अध्ययन की समस्या के विभिन्न पक्षों तथा उद्देश्यों से सम्बन्धित कुछ सामान्य अनुमान लगा लेता है, जिसका उद्देश्य अध्ययन के लिए एक निश्चित दिशा निर्धारित करना होता है ताकि अध्ययनकर्ता इधर-उधर निरर्थक न भटक कर सुनिश्चित आधार पर सम्बन्धित आकड़े एकत्रित करता है।

उद्देश्य

इस दृष्टिकोण से इस शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

1.मध्यप्रदेश में वर्तमान सरकार का अध्ययन करना।

2.मध्यप्रदेश में वर्तमान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा प्रदत्त योजना की जानकारी क्रियान्वयन प्रभाव एवं मूल्यांकन आदि के संबंध में जानकारी एकत्रित करना।

3.चुनावी घोषणा पत्रों का सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रभाव का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पनाएं

किसी भी शोध को केन्द्रित करने के लिये परिकल्पनाओं का सहारा लेना आवश्यक है, जिससे शोध को दिशा निर्देश दिया जा सके। प्रस्तुत अध्ययन को वैज्ञानिक आधार पर निर्देशित दिशा की ओर ले जाने हेतु कुछ उपकल्पनाओं (पूर्वानुमानित निष्कर्षों) का निर्माण किया गया है और इन्हीं उप कल्पनाओं को (निष्कर्ष को) उत्तरदाताओं की सहायता से वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणीकृत करने की चेष्टा की गयी है।

म.प्र. में वर्तमान सरकार द्वारा प्रदत्त योजना -

विकास की अवधारणा को एक स्पष्ट रुप देने का एक तरीका राष्ट्र की प्रगति को इसके सबसे गरीब हिस्से की प्रगति के संदर्भ में मापना है, ताकि जनसंख्या के निचले हिस्से की प्रगति हो सके तथा निचले हिस्से की प्रति व्यक्ति आय को मापा जा सके और इसकी आय की वृद्धि दर को आंका जा सके निर्धनतम हिस्से से जुड़े इन उपायों के संदर्भ में हमारी आर्थिक सफलता का मूल्यांकन किया जाता है। यह तरीका आकर्षक है क्योंकि इसमें विकास को उस तरह नजर अंदाज नहीं किया जाता जैसे कुछ पुराने अपरांपरागत मापदंड तय करते रहे हैं। इसमें जनसंख्या के सबसे गरीब वर्गों की आय में हुई वृद्धि को देखा जाता है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि जो लोग निचले हिस्से से बाहर है, उनकी उपेक्षा न हो। पूरी संभावना है कि वे लोग निचले हिस्से में शामिल हो जाएंगे और इस तरह स्वतः ही नीतियों को सीधा लक्ष्य के रुप में तय किया गया है। नीतिगत परिचर्चा में इस बात से प्रेरित किया है जो आगे निष्कर्षों तक ले जाता है। भारत में उच्च विकास हासिल करने का प्रयास किया गया है। यह सुनिश्चत करने के लिये काम

शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 जनवरी 2016
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

करना चाहिए कि सबसे कमजोर वर्ग इस सम विकास योजना से लाभान्वित हो सके।

मध्यप्रदेश की आबादी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना और आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना शासन का दायित्व है। इसके लिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कार्य कर रहा है। राज्य में लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित कई संस्थाएँ एवं योजनाएँ संचालित हैं। राज्य शासन का ध्यान राज्य में तेजी से बढ़ती जनसंख्या की तरफ भी है, जो विकास में एक बाधक तत्व है। अतः अपनी स्वास्थ्य नीति में इसे भी शामिल किया गया है।

भाषण की योजनाएं एवं ज्ञान के संबंध में

सरकार द्वारा प्रदत्त योजनाएं एवं क्रियान्वयन का विश्लेषणात्मक अध्ययन -

मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त लोकप्रिय योजनाएं एवं लाभ के सम्बन्ध में साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से अध्ययन क्षेत्र में निवासरत उत्तरदाताओं में विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि, विशिष्टजन, शिक्षक एवं आमजन कुल 300 उत्तरदाताओं से भाषण की योजना के संबंध में अभिमत जानने का प्रयास किया गया। जिनका विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है -

शासन की योजनायें एवं ज्ञान के संबंध में

क्र.	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
01	समाचार पत्र	100	33.3%
02	टेलिविजन	20	06.7%
03	स्थानीय संस्थाएं	60	20.0%
04	अन्य	120	40.0%
	योग	300	100%

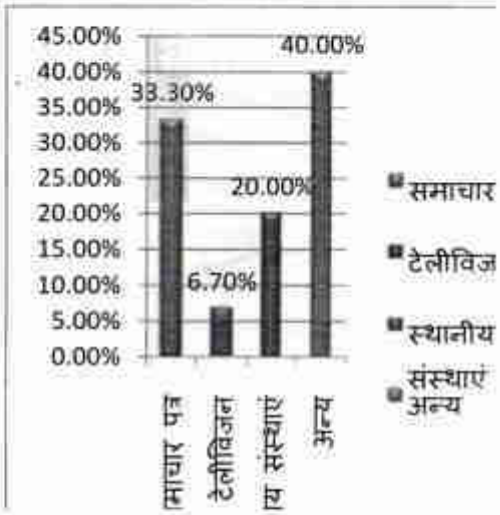

सारणी में 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि भाषण की योजना एवं ज्ञान के संबंध में उन्हें अन्य स्रोतों जैसे - पास-पड़ोस, सामुदायिक संगठन, स्थानीय नेताओं से जानकारी प्राप्त होती है। 33.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि समाचार-पत्रों के माध्यम से भाषण की योजना की जानकारी प्राप्त होती है। क्रमशः 20 प्रतिशत एवं 6.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं को जानकारी स्थानीय संस्था एवं टेलिविजन के माध्यम से प्राप्त होती है।

अतः हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि अन्य स्रोतों का प्रभाव उत्तरदाता पर अधिक पड़ा है।

निष्कर्ष

दस सालों की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मध्यप्रदेश से 'बीमारू राज्य' का शर्मनाक तमगा हट चुका है। सड़कें बेहतर हैं, बिजली की स्थिति में काफी हद तक सुधार आया है। प्रदेश में स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वृद्धि बहुत तेजी से हुई है। प्रदेश में विकास का नया विजन आया है। कई ऐसी परियोजनाएं पूरी की हैं जो उन्हें प्रदेश को

ISSN 2320 – 0871
17 जनवरी 2016

एक अलग स्थान प्रदान कर रही हैं। प्रदेष में और भी कुछ बडे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिनसे प्रदेश की तस्वीर और बदलेगी। बडे-बडे समूह शिक्षा में निवेश के लिए रूचि दिखा रहे है।

संदर्भ ग्रंथ

1. मध्यप्रदेश संदर्भ 2012 प्रकाशक आयुक्त जनसंपर्क जनसंपर्क भवन टेगोर मार्ग, भोपाल, पृष्ठ सं. 31
2. मध्यप्रदेश "आज और कल" प्रकाशक रामभुवन सिंह कुशवाह, अरूणा कुशवाह, प्रियंका आफसेट 25 प्रेस काम्पलेक्स भोपाल पृष्ठ सं. 53
3. अवस्थी मध्यप्रदेश प्रदेश प्रशासन, हिन्दीग्रंथ अकादमी, भोपाल, पृष्ठ सं. 26
4. पग नया अवसर नया, प्रकाशक म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल पृष्ठ सं. 77
5. "सबका साथ सबका विकास" प्रकाशक आयुक्त जनसंपर्क, भोपाल पृष्ठ सं. 83
6. मध्यप्रदेश संदेश, अंक 9 सितम्बर 2012, पृष्ठ सं. 21
7. मध्यप्रदेश संदर्भ 2012 प्रकाशक आयुक्त जनसंपर्क जनसंपर्क भवन टेगोर मार्ग, भोपाल, पृष्ठ सं. 58
8. जिला गजेटियर विभाग भोपाल, पृष्ठ सं. 124
9 जैन पी.सी., संगठनात्मक व्यवहार, सरस्वती पब्लिकेशंस, जयपुर 1992 पृष्ठ सं. 58
10 कपूर अनूपचन्द, संसार की प्रमुख शासन प्रणालियाँ, एस. चन्द एण्ड कं., नई दिल्ली, 1966 पृष्ठ सं. 207
11 कोठारी रजनी, कास्ट इन इण्डियन पालिटिक्स, ओरिएण्ट लॉंगमेन, दिल्ली, 1970 पृष्ठ सं. 69
12 कोठारी रजनी, पालिटिक्स इन इण्डिया, ओरिएण्ट लॉंगमेन, दिल्ली, 1972 पृष्ठ सं. 72
13 लिमये मधु, कांग्रेस - इट्स स्ट्रेंथ एण्ड वीकनेस, हिन्दू, जुलाई 16, 1992 पृष्ठ सं. 23
14 माहेश्वरी महेश कुमार, मध्यप्रदेश राजनीति के विविध आयाम, प्रिंटवेल प्रकाशन, जयपुर, 1996पृष्ठ सं. 64
15 मान्देकर बी.जी., लोकल गवर्नमेंट - इट्स रोल इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कान्सेप्ट, नई दिल्ली, 1970 पृष्ठ सं. 117
16 पाण्डेय सुरेन्द्र, आम चुनाव में जाति एवं सम्प्रदाय, एस.के. पब्लिशिंग कम्पनी, राँची, 2004 पृष्ठ सं. 59
17 पाण्डेय रामकृष्ण, भारतीय प्रजातांत्रिक पध्दति में नागरिक असंतोष, पब्लिकेशंस स्कीम, जयपुर 1999 पृष्ठ सं. 37
18 राठौर मीना, भारत में राजनैतिक दल, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 2003 पृष्ठ सं. 57
19 शर्मा आर.पी., द फ्यूचर आफ डेमोक्रेसी इन इण्डिया, द इण्डियन पब्लिकेशंस, 1963 पृष्ठ सं. 86,87
20 शर्मा राजेन्द्र कुमार, राजनैतिक समाजशास्त्र, अटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 1996 पृष्ठ सं. 29
21 शर्मा साधना, स्टेट पालिटिक्स इन इण्डिया, मित्तल पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 1995 पृष्ठ सं. 93
22 शर्मा हरीशचन्द्र, भारत में स्थानीय प्रशासन, कालेज बुक डिपो, जयपुर, 1999 पृष्ठ सं. 106
23 त्रिवेदी आर.एन. एवं राय एम.पी., भारतीय सरकार एवं राजनीति, कालेज बुक डिपो, जयपुर, 1999 पृष्ठ सं. 213
24 वाजपेयी अन्तिमा, भारतीय निर्वाचन पध्दति, नार्दर्न बुक डिपो (सेंटर), दिल्ली, 1992 पृष्ठ सं. 47
25 वाजपेयी अशोक, पंचायती राज एवं रूरल डेवलपमेन्ट, 1998 पृष्ठ सं. 61
26 मोयल ओ.पी., कास्ट एण्ड वोटिंग बिहेवियर 1978 पृष्ठ सं. 85